द्वितीय माला, खण्ड १८—अंक ९

२१ अगस्त, १९५८ (गुरुवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fifth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड १८ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

146 LSD

विषय-सूची

पृष्ठ

(द्वितीय माला, खण्ड १८, अंक १ से १०—११ अगस्त से २२ अगस्त, १९५८)

अंक १—सोमवार, ११ अगस्त, १९५८

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण । १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ७, ९ से १२ और १४ से २१ . १—२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८, १३ और २२ से ३७ . . २५—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७५ . . ३४—६७

स्थगन प्रस्ताव . . . . . ६८—७८

१. केरल में स्थिति . . . . ६८—७३

२. भारत-पाकिस्तान सीमा की घटनायें . . . ७३—७८

श्री रायजादा हंसराज का निधन ७८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ७९—८२

प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेश . . ८२

संसदीय समितियां—कार्य का सारांश . . . ८२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८२

केन्द्रीय बिक्रीकर (दूसरा संशोधन) विधेयक . . ८३

प्रवर समिति का प्रतिवेदन ८३

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७ के उत्तर की शुद्धि . . ८३

रेलवे की बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य . . ८३—८६

केरल तथा मद्रास में विषैले भोजन के मामलों सम्बन्धी जांच आयोग के सम्बध में वक्तव्य—

प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया . . . ८६—८८

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक ८८

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की उपस्थापना के लिये समय का बढ़ाना . ८८

विधेयक पुरःस्थापित . . . . . ८८—९२

१. सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियां विधेयक . ८८—८९

२. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक . ८९

३. खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) विधेयक ८९—९०

४. श्रमजीवी पत्रकार (मजूरी की दरों का निर्तारण) विधेयक ९०—९१

पृष्ठ

५. औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय संशोधन विधेयक . ९१

६. राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक . ९१

७. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक . ९२

सभा पटल पर रखे गये अध्यादेशों के सम्बधं में वक्तव्य . ८९—९३

१. सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियां अध्यादेश, १९५८ . ८९

२. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ . ८९

३. खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) अध्यादेश, १९५८ . ९०

४. श्रमजीवी पत्रकार (मजूरी की दरों का निर्धारण) अध्यादेश, १९५८ ९०–९१

५. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश ९२–९३

प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष विधेयक— . ९३—१००

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ९३

नीवेली लिग्नाइट निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा . . . . . १००—१०९

ब्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक . . . १०९

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . १०९

व्यापार तथा पण्य चिह्न विधेयक . . १०९

संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखा गया १०९

कार्य मंत्रणा समिति— . . १०९

छब्बीसवां प्रतिवेदन . . . १०९

दैनिक संक्षेपिका . . . ११०—११८

अंक २—मंगलवार १२ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८, से ४१, ५४, ५५, ६२, ४४, ४५, ४७ से ४९, ५१ से ५३ और ५६ ११९—१४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२, ४३, ४६, ५०, ५७, से ६१ और ६३ से ७० . . . १४२—१५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६, से ९३, ९५ से १४४ और १४६ से १८२ १५०—१९९

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव . . . १९९—२०२

जमशेदपुर में सेना का बुलाया जाना . . १९९—२०२

श्रीमती अनुसूया बाई काले का निधन . . २०२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २०२—२०३

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५ के उत्तर की शुद्धि २०४

कार्य मंत्रणा समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन २०४

प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष विषयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव २०४

खण्ड २ से ३९ और १ . . . २२१—२२३

पारित करने का प्रस्ताव . . २२३

अखिल भारतीय सेवा (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव . . २२३—२२८

खण्ड १ और २ . . . . २२९

पारित करने का प्रस्ताव २३०

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे)—१९५४–५५ २३०—२४४

दैनिक संक्षेपिका . . ३४५—३५१

अंक ३,—बुधवार, १३ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ७३ और ७५ से ८७ २५३—२७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४ और ८८ से १११ . . २७५—२८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८३ से २३५ और २३७ से २८६ २८६—३२८

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद में स्थिति ३२९—३३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३३२—३३७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कोटला बिजली घर का बन्द हो जाना ३३८

तारांकित प्रश्न संख्या २०९९ के उत्तर की शुद्धि ३३८

तारांकित प्रश्न संख्या १२९८ तथा १३१५ के उत्तर की शुद्धि ३३८

तारांकित प्रश्न संख्या १४८६ के उत्तर की शुद्धि ३३९

विदेशी मुद्रा की स्थिति सम्बन्धी वक्तव्य—

श्री मोरारजी देसाई ३३९—३४२

पृष्ठ

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय सेना छात्र निकाय की केन्द्रीय सलाहकार समिति . . ३४२—३४३

चीनी निर्यात सम्बर्द्धन विधेयक— पुरःस्थापित . . . ३४३

चीनी निर्यात संवर्द्धन अध्यादेश के सम्बन्ध में वक्तव्य—सभा पटल पर रखा गया . ३४३

खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) अध्यादेश सम्बन्धी संविहित संकल्प—अस्वीकृत . . ३४३—३४६

खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) विधेयक—

पारित करने का प्रस्ताव . ३४६—३५७

खंड १ से ६ पारित करने का प्रस्ताव ३६२

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश सम्बन्धी संविहित संकल्प तथा बनारस हिन्दूविश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक . ३६३—३७२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३७३—३८५

अंक ४—गुरुवार, १४ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२, ११३, और ११५ से १३० ३८७—४१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४ . ४१५—४२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २८७, से ३४४, ३४६ से ३५० और ३५२ ४२३—४५५

श्री लल्लन जी का निधन . . . ४५४

स्थगन प्रस्ताव ४५४

उत्तर प्रदेश में बाढ़ . . . ४५४—४५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४५५—४५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति तेइसवां प्रतिवेदन ४५६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना मध्यपूर्व की स्थिति ४५६—४६२

लागत लेखा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में वक्तव्य . ४६२—४६३

विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक—पुरःस्थापित . ४६३

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक . ४६३—५०३

दैनिक संक्षेपिका ५०४—५०८

अंक ५—शनिवार, १६ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १५०, १५४ से १५६ और १५८ से १६५ ५०९—५३३

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१ से १५३, १५७ और १६६ से १७७ . ५३४—५४०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३५३—४३६ ५४०—५८०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५८०—५८३

लोक लेखा समिति—

सातवां प्रतिवेदन ५८३

सभा का कार्य ५८३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना ५८४

विनियोग (रेलवे) संख्या ३, विधेयक, १९५८ . . . ५८४

विचार करने का प्रस्ताव ५८४
खण्ड १ से ३ तथा अनुसूची पारित करने का प्रस्ताव . . ५८४

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प
—अस्वीकृत . . . ५८५—६०५

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ५८५—६०५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तेइसवां प्रतिवेदन ६०६

कुछ उद्योगों में मजदूरनियों की कमी के बारे में संकल्प ६०७—६१४
एकाधिकार रखने वाले साथों के कार्य के बारे में संकल्प ६१४—६२२
दैनिक संक्षेपिका ६२३—६३०

अंक ६—सोमवार, १८ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७८ से १८०, १८२ से १८६, १८८ से १९०, १९२, १९४ से १९६, १९८ से २००, २०२ और २०३ ३३१—३५६

तारांकित प्रश्न संख्या १८३ के उत्तर की शुद्धि . ६५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१, १८७, १९१, १९३, १९७, २०१ और २०४ से २१८ . . . . ६५६—६६५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४० से ५१८ . . ६६५—६९७

स्थगन प्रस्ताव . . . . ६९७—७५५

स्वतन्त्रता दिवस पर जयपुर में घटनायें . . . ६९७—६९८
दिल्ली में पानी का बन्द हो जाना—अस्वीकृत . . ६९८—७५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ७०१—८०४

पृष्ठ

दो सदस्यों की गिरफ्तारी . . . ७०४

सदस्य की नजरबन्दी तथा रिहाई . . . ७०४

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . ७०४

नई रेलवे भाड़ा दरों के बारे में वक्तव्य . ७०४–७०५

रेलवे बोर्ड में परिवर्तनों सम्बन्धी वक्तव्य . . ७०५–७०६

प्राक्कलन समिति की कार्यवाही का सारांश . . ७०६

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव ७०६—७१२

खण्ड २ से ४ तथा १ . . . . ७१४

पारित करने का प्रस्ताव . . . ७१४

श्री दातार . . . . ७१२—७१४

सशस्त्र बल (आसाम तथा मणिपुर) विशेष शक्तियां विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . ७१४—७३१

खण्ड २ से ७ तथा १ . ७३२

पारित करने का प्रस्ताव . . . . ७३२—७५५

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव ७५५

दैनिक संक्षेपिका . . . . ७५६—७६२

अंक ७— मंगलवार, १९ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २१९, २२० और २२२ से २३४ . ७६३—७८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २२१ और २३५ से २७१ . . ७८८—८०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१९ से ५८४, ५८६ और ५८७ . . ८०४—८३६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ८३७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८३७–८३८

अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

जमुना में बाढ़ और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही . . ८३८–८३९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ८४०—८६९

दिल्ली में पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में वक्तव्य . . . ८६९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ८७०—८७४

अंक ८—बुधवार, २० अगस्त, १९५८ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२ से २७४, २७७, २७८, २८१, २८२, २८५ से २८९ और २९१ से २९६ . . ८७५—९००

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ और २ . . . ९००-९०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७६, २७९, २८३, २८४, २९० और २९७ से ३२७ . ९०१—९१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५८८ से ६५६ . . ९१७—९४६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . ९४७

श्री बीरकिशोर रे का निधन . . ९४७-४८

स्थगन प्रस्ताव . . ९४८—९५०

१. कोयम्बटूर में मिल का बन्दा हो जाना ९४८-९४९

२. जयपुर में स्थिति . ९४९-९५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ९५१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन . ९५१

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव . ९५२—९६१

खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ९६२—१०००

दो सदस्यों की गिरफ्तारी . ९८०

कार्य मंत्रणा समिति

सत्ताइसवां प्रतिवेदन ९९१

दैनिक संक्षेपिका . १००१—१००७

अंक ९, गुरुवार, २१ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२८ से ३३०, ३३२, ३३३, ३५५, ३३५ से ३३७ ३३९, ३४०, ३४२, ३४४ और ३४५ . . १००९—१०३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ३३१, ३३४, ३४१, ३४३, ३४६ से ३५४ और ३५६ से ३९१ . . . . १०३१—१०५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५७ से ६६१, ६६३ से ७०५ और ७०७ से ७२४ १०५०—१०७४

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०७४

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक १०७५

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १०७५

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य—सभा पटल पर रखा गया । . १०७५

कार्य मंत्रणा समिति—

सत्ताइसवां प्रतिवेदन १०७५–७६

खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव १०७६—११२६

दैनिक संक्षेपिका ११२७—११३२

अंक १०, शुक्रवार, २२ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९२ से ३९६, ३९८ से ४००, ४०२ से ४०४, ४१०, ४११, ४१३, ४२० से ४२६, ४२८ और ४२९ ११३३—११६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०१, ४०५ से ४०९, ४१२, ४१४ से ४१६ ४१८, ४१९, ४२७ और ४३० से ४३५ . . ११६१—११६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२५ से ७३१, ७३३ से ७४४ और ७४६ से ७८९ ११६९—११९५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११९५

सभा का कार्य ११९६

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना । ११९६–११९७

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक—पुरस्थापित . ११९७

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ११९७—१२१०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन . . . १२११

तेलों के उद्जनीकरण पर रोक विधेयक, १९५८—पुरस्थापित . १२११

भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक, १९५८—

(धारा ३ का संशोधन तथा धारा १० और ११ आदि के स्थान पर अन्य धाराओं का रखा जाना)—पुरस्थापित. . १२११

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, १९५८—

(धारा १३ और द्वितीय अनुसूची का संशोधन)—पुरस्थापित . १२१२

	पृष्ठ
कामगार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १९५८—(अनुसूची १ का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१२
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५८— (धारा ११६-क का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१२–१२१३
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संशोधन विधेयक, १९५८— (धारा ६ का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१३
पशुओं के चारे में निर्यात पर रोक विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१३
विस्थापित व्यक्तियों का (प्राकृतिक आपत्तियों से) पुनर्वास विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१४
सिख गुरुद्वारा विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१४
एकाधिकार और व्यापार सम्बन्धी अनुचित तरीके (जांच तथा रोक) विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१४–१३१५
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	१२१५
संविधान संशोधन विधेयक, १९५८— (अनुच्छेद १३६ का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१५
भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव	१२१५—१२२५
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव	१२२५—१२३२
दैनिक संक्षेपिका	१२३३—१२३७

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

गुरुवार, २१ अगस्त, १९५८

लोक-सभा ११ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सरकारी सेवा के लिये भर्ती की अर्हतायें

+

†*३२८. श्री वि० च० शुक्ल :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० सुशीला नायर :
डा० राम सुभग सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है कि उच्च प्रशासकीय और टैक्नीकल पदों के अतिरिक्त साधारण सरकारी नौकरियों के लिये विश्वविद्यालय की डिग्री की क्या आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जी हां। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८०]

†श्री वि० च० शुक्ल : विवरण से पता चलता है कि मंत्रिमंडल ने यह निश्चय किया है कि केन्द्रीय सरकार के तीसरी श्रेणी (नान टैक्निकल), राज्य अधीनस्थ (नान-क्लैरिकल) और अपर और लोअर डिवीजन सेवाओं के लिये विश्वविद्यालय की डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या

---

†मूल अंग्रजी में

इन सेवाओं में भर्ती करते समय उन स्नातकों को अधिमान दिया जायेगा जो प्रतियोगिता में भाग लेंगे ?

†**श्री दातार** : जी, नहीं। उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी परन्तु उन्हें कोई अधिमान नहीं प्राप्त होगा ।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या समिति ने सरकार द्वारा की जाने वाली भर्ती के तरीके में कोई और परिवर्तन करने का सुझाव दिया है ?

†**श्री दातार** : केवल इन्हीं परिवर्तनों पर विचार करके निर्णय किया गया है।

†**श्री दामानी** : क्या अन्तिम निर्णय करने से पूर्व राज्य सरकार की राय लीगई थी ?

†**श्री दातार** : इस समिति ने राज्य सरकारों की राय पर विचार किया था और कुछ सदस्य गवाहों के तौर पर पेश भी हुए थे। इसलिये हम राज्य सरकारों को उन के पदाधिकारियों के बारे में कुछ सुझाव भी देने वाले हैं ।

†**श्री तंगामणि** : विवरण में कहा गया है कि अपर डिवीजन क्लर्क की सेवा के लिये इण्टरमीडियेट और लोअर डिवीजन के लिये मैट्रिक पास होना पर्याप्त है। क्या मंत्रिमंडल के इस निर्णय के पश्चात कितने व्यक्ति इस आधार पर भरती किये गये हैं ?

†**श्री दातार** : हाल ही में ये निर्णय किये गये हैं। अभी इन्हें कार्यान्वित किया जाना है।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : क्या राज्य सरकारों को भी इस निर्णय का पालन करने के लिये कहा गया है ?

†**श्री दातार** : राज्य सरकारें इस पर अमल करें या न करें परन्तु हम उन्हें यह सूचना देंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण से पता चलता है कि केवल क्लर्कों की तीन श्रेणियों के लिये विश्वविद्यालय की डिग्री की छूट दी गई है। समिति ने पहले तरीके में क्या परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। मेरे ख्याल से तो पुराना तरीका ही चल रहा है।

†**श्री दातार** : इस समिति में प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी थी। उन्होंने इस के कई कारण बताये हैं कि इन के लिये विश्वविद्यालय की डिग्री क्यों आवश्यक नहीं है।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित सिफारिशों को सरकार कब तक कार्यान्वित करेगी ?

†**श्री दातार** : लगभग दो वर्ष में ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : विवरण में कहा गया है कि अपर डिवीजन क्लर्क के लिये इन्टरमीडियेट की अर्हता अपेक्षित होगी। क्या वर्तमान लोअर डिवीजन क्लर्क जो इण्टरमिडियेट पास है उन्हें अपर डिवीजन बना दिया जायेगा ?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं समझ सका ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** : आज कल लोअर डिवीजन क्लर्क को तभी पदोन्नति प्राप्त होती है जब वह स्नातक हो जाये । क्या इण्टरमिडियेट की अर्हता निश्चित हो जाने से इण्टरमिडियेट पास क्लर्कों की भी पदोन्नति की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : इस मामले पर विचार किया जायेगा ।

शहीदों का स्मारक

+

†*३२९. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री राघा रमण :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री बाजपेयी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १२ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से १९५७ तक स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष करते हुए जिन शहीदों ने जान दी उन के लिये स्थापित किये जाने वाले एक अखिल भारतीय स्मारक के स्थान और आकार के बारे में विख्यात कलाकारों और वास्तुशास्त्रियों और अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों ने क्या क्या सुझाव दिये हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन सुझावों पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये; और

(घ) स्मारक पर कितनी लागत का अनुमान है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ) कई स्थानों पर सुझाव दिया गया है । निम्नलिखित दो स्थान कई कारणों से उपयुक्त समझे गये हैं :—

(१) लाल किले के सामने और चांदनी चौक के पीछे जो जगह है; और

(२) काश्मीरी गेट के बाहर जो खुली जगह है ।

आशा है कि इस बारे में शीघ्र ही निर्णय हो जायेगा कि स्मारक किस प्रकार का और कहां स्थापित किया जाये ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या इस सुझाव पर विचार करने के लिये कोई विशेष समिति नियुक्त की जायेगी या विभागीय तौर पर निर्णय कर लिया जायेगा ?

†**श्री दातार** : समिति की राय पर विचार किया जा चुका है । सरकार अब निर्णय कर लेगी ।

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन्, चूंकि गांधी जी के स्मारक के सम्बन्ध में काफी देर हुई है, इसलिये यह आशंका करने की गुंजाइश है कि इस बारे में भी काफी देर होगी । क्या मैं जान सकता हूं कि इस में जल्दी से जल्दी निर्णय करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : जी हां

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : सरकार किन व्यक्ति अथवा संस्थाओं का स्मारक स्थापित करने के बा में विचार कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी के लिये ।

†**श्री दातार** : गत १०० वर्ष के आन्दोलनों में जिन लोगों ने भाग लिया यह उन सब का स्मारक होगा ।

श्री बाजपेयी : स्वतंत्रता के युद्ध को समाप्त हुए दस साल से ऊपर हो गये । सरकार उस सम्बन्ध में जो स्मारक बनाने जा रही है उसमें शीघ्रता करने में क्या विशेष कठिनाइयां हो रही हैं ?

पंडित गो० ब० पन्त : शीघ्रता की जा रही है ।

†**श्री महन्ती** : क्या १९४७ के पश्चात् शहीद नहीं हुए हैं और क्या सरकार १९४७ के बाद के समय में हुए शहीदों के स्मारक की स्थापना के बारे में विचार कर रही है ? क्या ऐसा करना ठीक न होगा ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : क्योंकि देश १९४७ में स्वतन्त्र हो गया ।

श्री श्रीनारायण दास : शहीदों के इस स्मारक के आकृति के बारे में क्या मुख्य सुझाव दिये गये हैं ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : ९० फुट ऊंचा एक स्तम्भ स्थापित किया जायेगा ।

भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता

†*३३०. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के लिये एक ऐसी इमारत का निर्माण आरम्भ कर दिया गया है जिसे आग नहीं लग सकती ।

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यह कब तक तैयार हो जायेगी ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) यह कार्य प्रारम्भ से ले कर तीन वर्ष तक समाप्त हो जायगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के लिये नई इमारत बनाने के क्या कारण थे ?

†**श्री हुमायून् कबीर** : संग्रहालय में प्राणकीय सर्वेक्षण और अन्य 'स्पिरिट' संग्रहों के परीक्षण के लिये ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस इमारत के लिये कुल कितनी राशि अलग रखी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबीर :** अनुमान है कि इमारत पर लगभग १९·७५ लाख रुपये खर्च होंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री राम कृष्ण ।

†**श्री हुमायून् कबीर** : अभी मामला विचाराधीन है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न नहीं पूछा गया । श्री राम कृष्ण उपस्थित नहीं हैं । माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो कर प्रश्न पूछें जिस से उलझन न हो । मैं उन की ओर अभी देखता ही नहीं हूं कि वे बैठे बैठे प्रश्न पूछ लेते हैं । कई बार ऐसा लगता है कि प्रश्न पूछा ही नहीं गया । अब श्री राम कृष्ण उपस्थित नहीं हैं ।

सरकारी उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था

+

†*३३२. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री सूपकार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न सरकारी उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्थाओं का परीक्षण तथा पुनरावलोकन कर के कोई निष्कर्ष निकाले हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार के कितने पदाधिकारी एक से अधिक, दो से अधिक और तीन से अधिक सरकारी उपक्रमों के सभापति अथवा डायरेक्टर हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) जी हां । सरकार ने यह निश्चय किया है कि वर्तमान प्रबन्ध व्यवस्था को कुछ वर्ष तक और देखा जाये ।

(ख) एक से अधिक उपक्रमों के बीस--जिन में से १४ दो-दो उपक्रमों के । दो तीन-तीन उपक्रमों के और चार पदाधिकारी तीन से अधिक उपक्रमों के डायरेक्टर हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या श्री के० सी० नियोगी, श्री जी० एल० मेहता और श्री फीरोज गांधी की नियुक्तयां सरकार की वर्तमान नीति में कुछ परिवर्तन के फलस्वरूप की गई हैं और यदि ये नियुक्तियां हो जाती हैं तो उन की नियुक्ति की शर्तें क्या हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** अभी सरकारी तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या इस का यह अर्थ है कि ये सरकारी पदाधिकारी एक से अधिक, दो से अधिक और तीन से अधिक उपक्रमों के डायरेक्टर रहेंगे ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मैंने बताया कि सरकार ने वर्तमान प्रबन्ध व्यवस्था को कुछ और वर्षों तक आजमाने का निश्चय किया है ।

†**श्री च० द० पांडे :** क्या सरकार ने इस मामले के बारे में विचार किया है कि उपक्रम जिस विभाग के अधीन है उसी विभाग ने पदाधिकारी उपक्रम के डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किये जायें क्योंकि उसी मंत्रालय से मंत्रणा प्राप्त करनी पड़ती है जिस के कारण कुछ मतभेद हो जाता है और प्रबन्ध में भी गड़बड़ होती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : समय-समय पर इन प्रश्नों पर विचार किया जाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि पदाधिकारी और सार्वजनिक कार्यकर्ता उपलब्ध हैं या नहीं।

†**श्री च० द० पांडे** : यह बुरा तरीका है।

†**श्री त्यागी** : वे २० पदाधिकारी जो विभिन्न उपक्रमों के सभापति अथवा डायरेक्टर हैं क्या उन की सेवायें उन उपक्रमों को दे दी गई हैं या वे अभी भारत सरकार के ही कर्मचारी हैं और यह काम अंश-मालिक तौर पर कर रहे हैं।

†**श्री च० द० पांडे** : उसी विभाग में।

†**श्री मोरारजी देसाई** : जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वे सारा समय केवल निगमों का ही काम करते हैं। परन्तु सभापति और डायरेक्टर पदेन सभापति अथवा डायरेक्टर हैं अर्थात् वे अपने विभाग में रहते हुए ही यह काम करते हैं।

†**श्री रंगा** : क्या आजकल सरकार की यह नीति है कि विभागों में सचिव को इन में से किसी उपक्रम का सभापति नियुक्त न किया जाये और यह प्रयत्न किया जाये कि उन्हें किसी विचित्र परिस्थिति का सामना न करना पड़े ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह सामान्य नीति है।

†**श्री विमल घोष** : प्रबन्ध-व्यवस्था से सरकार का अभिप्राय क्या है—विभाग अथवा निगमों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा प्रबन्ध करना। सरकार किसे जारी रख रही है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : निगमों अथवा लिमिटेड कम्पनियों अथवा इस समय जैसे प्रबन्ध चल रहा है उसे जारी रखा जायेगा।

†**श्री विमल घोष** : क्या सब कुछ जारी रखा जायेगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : सरकार ऐसा ही कर रही है।

†**श्री महन्ती** : वैदेशिक कार्य मंत्रालय के कितने पदाधिकारी इन उपक्रमों के सभापति अथवा डायरेक्टर हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : शायद केवल एक।

†**श्री महन्ती** : इन व्यापारिक उपक्रमों से वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का क्या सम्बन्ध है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : उसे इस लिये नियुक्त नहीं किया गया कि वह वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पदाधिकारी है .....

†**श्री त्यागी** : उनके पास खाली समय होता है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : विभिन्न विभागों के प्रत्येक पदाधिकारी के बारे में मैं उत्तर नहीं दे सकता।

†**श्री मुरारका** : एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितने निगमों का डायरेक्टर अथवा सभापति है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : तीन से अधिक नहीं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या इसका यह अर्थ है कि सरकार कुछ वर्षों तक कोई परिवर्तन नहीं करेगी या कि सरकार इस मामले पर सतर्क हो कर विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मोरारजी देसाई : अब भी सरकार इस पर विचार कर रही है।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न :

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : दो उत्तरों में बड़ा अन्तर है।

†अध्यक्ष महोदय : मैं ने काफी अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है अब मैं और प्रश्न नहीं पूछने दूंगा।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं कोई नया प्रश्न नहीं पूछना चाहता मैं तो दो उत्तरों को स्पष्ट कराना चाहता हूं।

†अध्यक्ष महोदय : दोनों ठीक हैं।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वे वर्तमान व्यवस्था को भी आजमाना चाहते हैं . . . . .

†अध्यक्ष महोदय : वर्तमान व्यवस्था को जारी रखा जायेगा। परन्तु प्रति दिन बल्कि प्रत्येक क्षण इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उपमंत्री ने कहा . . . . .

†अध्यक्ष महोदय : मैं उनके और वित्त मंत्री के वक्तव्यों को समझता हूं और माननीय सदस्य भी समझते हैं।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : दोनों बातों में बड़ा अन्तर है।

†अध्यक्ष महोदय : कोई अन्तर नहीं है। अगला प्रश्न।

†श्री नवल प्रभाकर : ३३३।

†श्रीमती पार्वती कृष्णन् : मेरी प्रार्थना है कि प्रश्न संख्या ३५५ का भी उत्तर इसके साथ ही दे दिया जाये ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या वे एक से हैं ? यदि माननीय मंत्री चाहें तो दोनों का उत्तर एक साथ दे दें।

नागा विद्रोही

\+

*३३३. { श्री नवल प्रभाकर :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री भक्त दर्शन :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री हेम राज :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में बहुत से नागा विद्रोही उत्तरी कछार में घुस आये थे और उन्होंने सीमावर्ती गांवों में लूटमार की ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनकी लूटमार का ब्यौरा क्या है ;

(ग) गांवों को इससे कितनी हानि हुई ; और

(घ) पीड़ित क्षेत्रों में लोगों की रक्षा के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): (क) से (ग). जी हां, विरोधी नागाओं के कुछ हमलों और लूटमार से चार व्यक्तियों की जान गई और करीब २०,००० रुपये की पब्लिक और प्राइवेट सम्पत्ति का नुक्सान हुआ ।

(घ) राज्य सरकार ने जरुरी कार्यवाही कर ली है और सम्बन्धित इलाकों में और अधिक संख्या में पुलिस भेज दी है ।

नागा

\+

†*३५५. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री दामानी :
श्री खुशवक्त राय :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री वोडयार :
श्री राधा रमण :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भोगजी भाई :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बाजपेयी :
श्री कालिका सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री त्यागी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री त्रिमल घोष :
श्री हेम राज :
श्री आसर :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री हेम बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा विद्रोही पाकिस्तान से मिले हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार को इसकी पुष्टि करने के लिये कोई दस्तावेज अथवा कोई प्रमाण मिले हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). आसाम पुलिस को एक नागा व्यक्ति डाली नमो के घर से कुछ पत्र और दस्तावेज मिले जिन से पता चलता था कि नागा विद्रोही पाकिस्तान की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। इन पत्रों से यह भी पता चलता है यह सम्पर्क शिलांग में पाकिस्तान के सहायक उच्च आयुक्त के द्वारा स्थापित हुआ था।

(ग) भारत सरकार के निवेदन करने पर पाकिस्तान सरकार ने इस पदाधिकारी को शिलांग से हटा दिया है।

†**श्री बसुमतारी**: क्या केन्द्रीय सरकार के अधीन नई प्रशासन व्यवस्था हो जाने से नागा विद्रोहियों की गतिविधियां कम हुई हैं या बढ़ी हैं? एक प्रश्न तो यह है.....

†**अध्यक्ष महोदय**: एक बार केवल एक ही प्रश्न पूछा जा सकता है।

†**श्री बसुमतारी**: यह अनुपूरक प्रश्न प्रश्न संख्या ३३३ के सम्बन्ध में है। प्रश्न संख्या ३५५ के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न मैं बाद में पूछंगा।

†**अध्यक्ष महोदय**: एक साथ एक के बाद दूसरा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।

†**पंडित गो० ब० पन्त**: कुछ समय से उनकी गतिविधियां कम हो रही हैं।

†**श्री बसुमतारी**: प्रश्न संख्या ३५५ के बारे में मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि एक नागा युवक को इस शक पर गिरफ्तार किया गया है कि शिलांग में पाकिस्तानी उच्च आयुक्त के साथ उसकी सांठगांठ थी?

†**पंडित गो० ब० पन्त**: कुछ नागा लोग गिरफ्तार किये गये हैं। उन से कुछ दस्तावेज प्राप्त होने पर कुछ निष्कर्ष निकाले गये थे।

†**श्रीमती मफीदा अहमद**: प्रश्न संख्या ३३३ के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या राज्य सरकार को उन लोगों की सहायता के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई जिन्हें नागा विद्रोह के कारण हानि पहुंची थी?

†**पंडित गो० ब० पन्त**: नागा एकक को प्रत्यक्ष रूप से उन कर्मचारियों के द्वारा जो वहां काम करते हैं केन्द्रीय सरकार स्वयं सहायता देती है। सेना के लोगों को सहायता देने के बारे में सरकार विचार करती रही है और उनकी प्रार्थनाओं पर ससहानुभूति विचार करेगी।

श्री नवल प्रभाकर: क्या मैं जान सकता हूं कि नागा जो हथियार इस्तेमाल करते हैं, वे उन्हें कहां से प्राप्त हुए हैं?

पंडित गो० ब० पन्त: पुराने जमाने में जब लड़ाई हुई थी, तो जापान वाले वहां गये थे। उस वक्त कई हथियार वहां रह गये। तब से वे जंगलों में इधर उधर छिपे रहे। उन हथियारों का इस्तेमाल वे लोग करते रहते हैं। कुछ उन में यह भी माद्दा है कि वे मामूली किस्म के हथियार खुद भी बना लेते हैं।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन**: प्रश्न ३५५ के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा कि शिलांग में पाकिस्तान के सहायक उच्च आयुक्त के बारे में पाकिस्तान सरकार के पास अभ्यावेदन गये हैं। इस बात को देखते हुए कि समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुए कि नागा विद्राहियों ने पाकिस्तान से शस्त्रों के रूप में सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न किये थे और सेना पदाधिकारियों

---

† मूल अंग्रेजी में

ने भी इसका खंडन नहीं किया है बल्कि यही कहा कि उनके प्रयत्न सफल नहीं हुए थे । क्या मैं जान सकती हूं कि सीमा पर आवागमन बन्द करने और उस क्षेत्र में चौकियां बिठाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** सीमा पर हमारी चौकियां और पुलिस गई हैं जो यह देखते हैं कि किसी भी पक्ष का कोई व्यक्ति हानि न पहुंचा सके अथवा अपराध न करे ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि उत्तरी कछार जिले में नागा विद्रोहियों ने जो आक्रमण किया, वह अपने ढंग की पहली घटना नहीं है, बल्कि और भी इस तरह की घटनायें हो रही हैं ? क्या उन की रोक-थाम के लिये कोई विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

पंडित गो० ब० पन्त : माननीय सदस्य ने किसी खास गांव का नाम लिया है कि वहां ऐसी कार्यवाही हुई । मुझे गांव के नाम तो याद नहीं हैं । कई जगहों में बेजा हरकतें की गई और उन को रोकने की और उन को सजा देने की कोशिश की गई है ।

†**श्री जयपाल सिंह :** प्रश्न ३३३ (क) के उत्तर में स्वीकार किया गया कि बहुत से नागा विद्रोही थे परन्तु उपमंत्री के भाषण में थोड़े से नागा लोगों का उल्लेख किया गया—इस में कुछ उलझन सी दिखाई देती है । क्या मोटे तौर पर उनकी संख्या का पता चल सकता है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** उलझन क्या है पहले मैं यह समझ लूं ।

†**श्री जयपाल सिंह :** प्रश्न ३३३ के (क) भाग में यह पूछा गया कि "क्या यह सच है कि बहुत से नागा विद्रोही उत्तरी कछार में दाखिल हो गये . . . ." इत्यादि और उत्तर स्वीकारात्मक हैं ।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** उत्तर में इसे स्वीकार नहीं किया गया है ।

†**श्री जयपाल सिंह :** यदि यह स्वीकार नहीं किया गया है तो हमें कृपया बता दें कि उनकी संख्या कितनी थी क्योंकि हमें बताया गया है कि बहुत कम लोग थे और सेना विधि को ही साधारण विधि बना दिया गया है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** ठीक-ठीक आंकड़े बताना बहुत कठिन है । आखिर नागा विद्रोही इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं और पहाड़ियों के पीछे छिपे रहते हैं परन्तु उनकी संख्या कम होती जा रही है । इन में से बहुत से—जो उनके नेता थे—विद्रोही प्राधिकारों के सामने उपस्थित हुए हैं और नागा यूनिट में भी गड़बड़ बहुत कम हो गई है ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** १० मई, १९५८ के हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड (कलकत्ता संस्करण) में यू० पी० आई० का एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि पाकिस्तान ने नागा विद्राहियों को पूर्वी पाकिस्तान पहाड़ी बटालियन में प्रशिक्षण देने की सुविधायें दी हैं । यदि हां, तो सरकार को इस बारे में और क्या जानकारी मिली है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** सरकार के पास इस बारे में कोई ठीक-ठीक जानकारी नहीं है ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन :** एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि कचार के एक प्रमुख व्यापारी ने नागा विद्रोहियों को आश्रय दिया था और सीमा पार करने में सहायता दी थी और मिलहट में कुछ लोगों से जान पहचान कराने के लिये कुछ पत्र भी दिये थे । क्या सरकार को इस बारे में कोई सूचनायें मिली हैं और यदि हां तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**पंडित गो० ब० पन्त :** पूछताछ की गई थी और पता चला कि प्रमुख व्यापारी ऐसे काम नहीं कर रहे हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** नागा क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने में सरकार को कितना समय लग जायेगा ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** यदि हम सब सहयोग से कार्य करें और नागाओं की सद्भावना प्राप्त करने में सफल हो जायें तो अधिक समय नहीं लगेगा ।

श्री बाजपेयी : गृह-मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि कुछ ऐसे कागज पत्र बरामद हुए हैं जिन के आधार पर पाकिस्तान ने अपने असिस्टेंट हाई-कमिशनर को वापिस बुला लिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि उन कागज पत्रों से क्या केवल पाकिस्तान का एक ही अफसर आपत्तिजनक कार्यवाइयों में संलग्न पाया गया है या कुछ ऐसे भी सूत्र मिले हैं जिन से यह प्रकट होता है कि पाकिस्तान का सम्पूर्ण प्रशासन नागा क्षेत्र में उपद्रव कराने के पीछे है ?

पंडित गो० ब० पन्त : कोई पत्र ऐसे नहीं मिले हैं जिन से यह मालूम हो कि पाकिस्तान का सम्पूर्ण प्रशासन नागाओं के पीछे है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** माननीय मंत्री ने बताया है कि हमें नागाओं की सद्भावना प्राप्त करनी होगी । हमारे सभी समाचार पत्रों से पता चलता है कि नागा लोगों और पाकिस्तान के बीच कुछ सांठ गांठ थी । कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और एक पाकिस्तानी पदाधिकारी को भी वापस बुलवाया गया । इस से लोगों में बेचैनी फैल गई है । यह कहां तक सही है और क्या कार्यवाही की गई है । क्या शान्तिप्रिय नागा लोगों से इस पर चर्चा की गई है कि आगे क्या कार्यवाही करनी चाहिये ।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** उत्तर में बताया जा चुका है कि क्योंकि समाचार पत्रों में यह संकेत था कि सहायक उच्च आयुक्त का इस विद्रोह में हाथ था इसलिये उसे वापस बुला लिया गया था । नागा लोगों में से भी कुछ एक पाकिस्तान की ओर वहां के अफसरों आदि की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहे हैं । इस से पता चलता था कि वह पदाधिकारी विद्रोहियों को सुविधायें और सहायता दिला रहा है । इसलिये इसे हटा दिया गया है ।

†**श्री नौशेर भरुचा :** माननीय मंत्री ने कहा कि नागा विद्रोहियों की संख्या कम होती जा रही है तो फिर अध्यादेश लागू करने की क्या जरूरत थी ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** इसके कारण पहले बताये जा चुके हैं । नागा क्षेत्र में तो विद्रोहियों की गतिविधियां कम हो गई हैं——उन्हें निकाल दिया गया है और उन्हें नागा लोगों की सहानुभूति भी प्राप्त नहीं है——परन्तु वे आसाम के अन्य क्षेत्रों और मनीपुर में अपनी गतिविधियां फैला रहे हैं । इन क्षेत्रों में यह अध्यादेश लागू नहीं किया गया था परन्तु स्थिति पर काबू पाने के लिये ऐसा करना आवश्यक हो गया था ।

निर्धन छात्र सहायता निधि

†***३३५. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री २६ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

---

† मूल अंग्रेजी में

द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार निर्धन छात्र सहायता निधि की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८१**]

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण से पता चलता है कि यद्यपि १२ विश्वविद्यालयों को कुल लगभग ७५,००० रुपये के अनुदान दिये जा चुके हैं, जहां चालू वर्ष का सम्बन्ध है, कुछ भी कार्य नहीं किया गया है। इस निर्धन छात्र सहायता निधि में अनुदान कब दिये जायेंगे, १९५८–५९ के लिये कब तक इसे अन्तिम रूप प्रदान कर दिया जायेगा और क्या विद्यार्थियों को अनुदान मिलेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक १९५८–५९ का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव मांगें हैं। इनके मिलते ही अनुदान मंजूर कर दिये जायेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : केवल १२ विश्वविद्यालयों को कुछ अनुदान दिये गये हैं। मैं अनुदानों की राशि की अल्पता के सम्बन्ध में तो कुछ नहीं कहता, लेकिन अन्य विश्वविद्यालयों का क्या हुआ ? विश्वविद्यालयों की संख्या तो ३० से भी अधिक है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सभी विश्वविद्यालयों को परिपत्र भेजे जाते हैं और इन अनुदानों का भुगतान उन विश्वविद्यालयों को किया जाता है जो इन्हें मांगते हैं।

†**श्री जाधव** : क्या बम्बई, मद्रास और मैसूर विश्वविद्यालयों ने निर्धन छात्रों की सहायता के लिये कुछ मांग की थीं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं बता चुका हूं कि सभी विश्वविद्यालयों को परिपत्र भेजे गये थे। जिन विश्वविद्यालयों ने अपने प्रस्ताव भेजे उनके लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुदान मंजूर कर दिये। अन्य विश्वविद्यालयों के विषय में माननीय सदस्य स्वयं अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

†**श्री तंगामणि** : १९५७–५८ के लिये १२ विश्वविद्यालयों को ७५,००० रुपयों के अनुदान मंजूर किये गये थे––इनमें मद्रास और अन्नामलाई विश्वविद्यालय शामिल नहीं हैं। मंत्री महोदय ने यह भी बताया है कि १९५८–५९ के लिये सभी विश्वविद्यालयों को परिपत्र भेजे गये थे। अब तक कितने विश्वविद्यालयों ने उत्तर भेजे हैं और, क्या उन में मद्रास और अन्नामलाई विश्वविद्यालय शामिल हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह १२ कह चुके हैं।

†**श्री तंगामणि** : यह १९५७–५८ के सम्बन्ध में था। उन्हें २,००० से १०,००० रुपये तक दिये गये थे। १९५८–५९ के विषय में विभिन्न विश्वविद्यालयों को परिपत्र भेजे गये हैं। उन में से अब तक कितनों ने उत्तर दिया है और उनके नाम क्या हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यहां तीस नाम पढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा।

†**श्री तंगामणि** : क्या उन में मद्रास और अन्नामलाई शामिल हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मेरे पास यह जानकारी यहां नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कर संबंधी विशेष रियायतें

†*३३६. **श्री मुरारका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी समवाय अथवा व्यापारिक संस्था के लिये कर सम्बन्धी कुछ विशेष रियायतों की मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार की रियायत दी गई है और रियायत पाने वालों के नाम क्या हैं ; और

(ग) किसी संस्था विशेष को किन परिस्थितियों में यह रियायत दी गयी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) भारत सरकार ने अब तक किसी भी समवाय या व्यापारिक संस्था को आय-कर सम्बन्धी ऐसी कोई भी ऐसी विशेष छूट नहीं दी है जो विधि सम्मत न हो। लेकिन स्टैंडर्ड वैकुअम ऑयल कम्पनी को, जो इस समय भारत सरकार के सहयोग से पश्चिम बंगाल में तेल की खोज और तेल के उत्पादन के कार्य में लगी हुई है, करों सम्बन्धी कुछ रियायतें देने का वचन दिया जा चुका है।

(ख) भारतीय आय-कर से सम्बन्धित विषयों में स्टैंडर्ड वैकुअम ऑयल कम्पनी को जो आश्वासन दिये गये हैं उनका उल्लेख कम्पनी और भारत सरकार के बीच २४ दिसम्बर, १९५३ को हुए करार के ज्ञापन में किया गया है। इस करार की प्रतियां संसद्-पुस्तकालय को उपलब्ध की जा चुकी हैं। जो रियायतें देने का वचन दिया गया है वह मोटे तौर पर इस प्रकार है :—

(१) तेल की खोज में असफल रहने पर स्टैंडर्ड वैकुअम को राजस्व अथवा पूंजी की किसी भी प्रकार की जो हानि होगी उसके एक अंश के बारे में यह मान लिया जायेगा कि उतनी राशि उसकी बिक्री की आय में से काट ली गयी है ; और

(२) व्यावसायिक पैमाने पर उत्पादन आरम्भ होने के बाद तेल के उत्पादन से होने वाली शुद्ध आय के २५ प्रतिशत से ४५ प्रतिशत के बराबर छूट प्रति वर्ष दी जायेगी। स्टैंडर्ड वैकुअम वाले उस रियायत को छोड़ देने के लिये राजी हो गये हैं जो उन्हें आय-कर अधिनियम की धारा १५ग के अधीन मिलतीं।

(ग) ये रियायतें राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य थीं। इनकी क्रियान्विति के लिये मौजूदा विधि में संशोधन करना आवश्यक होगा और इस सम्बन्ध में संशोधन विधेयक यथा-समय सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा।

†**श्री मुरारका :** स्टानवॉक को यह रियायत देने के अतिरिक्त क्या यह सच नहीं है कि भारत में तेल शोधनशालाओं की स्थापना के लिये सहमत होते समय एंग्लो-सैक्सन पैट्रोलियम कम्पनी और बर्मा आयल कम्पनी को भी कर सम्बन्धी विशेष रियायतें दी गई हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** आयकर सम्बन्धी रियायतें विधि सम्मत हैं।

†**श्री मुरारका :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। माननीया उपमंत्री ने कहा है कि रियायत केवल स्टानवॉक को ही दी गई है। क्या यह सच नहीं है कि जब बर्मा आयल कम्पनी और एंग्लो-सैक्शन आयल कम्पनी भारत में तेल शोधनशालाएं स्थापित करने के लिये सहमत हुई थीं तो उन्हें भी विशेष प्रकार की कर सम्बन्धी रियायतें दी गई थीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैं ने भाग (क) में उत्तर दे दिया है । माननीय सदस्य ने विशेष रियायत के बारे में प्रश्न पूछा है । अन्य कम्पनियों को दी जाने वाली सब रियायतें भारतीय आय कर अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप हैं ।

†**श्री मुरारका :** इन कम्पनियों को दी जान वाली रियायतों का स्वरूप जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस प्रकार चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा । माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था कि क्या कोई विशेष रियायतें दी गई हैं । इसका उत्तर दिया गया था कि केवल स्टानवॉक को ही रियायतें दी गई हैं उन्होंने इस विषय में विस्तृत जानकारी भी दे दी है । फिर माननीय सदस्य ने अन्य दो कम्पनियों के बारे में प्रश्न पूछा कि उन्हें विशेष रियायतें दी गई हैं अथवा नहीं । इसके उत्तर में मंत्री महोदया ने कहा कि आयकर अधिनियम के अधीन दी गई रियायतों के अतिरिक्त और कोई रियायतें नहीं दी गई हैं । माननीय सदस्य अब इस विषय में और प्रश्न पूछ कर इस पर नियमित चर्चा व वाद-विवाद ही आरम्भ करना चाहते हैं । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री प्रभात कार :** इस कम्पनी को जो रियायत दी गई है वह किन्हीं और कम्पनियों को भी दी गई है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** ऊपर वर्णित रियायत का विशिष्ट स्वरूप है और भिन्न कार्य में संलग्न होने के कारण अन्य कम्पनियों को यह रियायत नहीं दी गई है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या तेल खोजने वाली कम्पनियों को विदेशों में इस प्रकार की रियायतें देने के सम्बन्ध में सरकार के पास जानकारी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह प्रश्न भारतीय कम्पनियों के बारे में है ?

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** जी नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** फिर मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा । माननीय सदस्यों को यह नहीं समझना चाहिये कि सरकार विशेषज्ञ है और वे विश्व में प्रत्येक स्थान पर होने वाली हर एक बात जानते हैं । उनके उत्तरदायित्व के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न ही पर्याप्त हैं उन्हे यह जानकारी हो न हो, मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** मेरा प्रश्न इस प्रकार था : जब कभी इस प्रकार के समझौते किये जाते हैं तो पड़ौसी देशों में विदेशी तेल कम्पनियों के समझौतों पर भी विचार किया जाता है ताकि यह मालूम हो जाय कि क्या तेल खोजने वाली कम्पनियों को रियायतें प्रदान की जाती हैं । मैं यह जानना चाहता था कि सरकार इस बात से अवगत है कि क्या कुछ ऐसे देश हैं जहां कम्पनियों को इस प्रकार की रियायतें दी जाती हैं ।

†**श्री त्यागी :** इन रियायतों में कुल कितनी राशि निहित है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** इसके लिये पूर्व-सूचना चाहिये ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** यह कहना कठिन है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका :** क्या यह सच है कि रूरकेला में परामर्शदाता **क्रुप्प डेमाग**[1] को ५० प्रतिशत रियायत दी गई है; क्या हम उनके साथ इस बात पर सहमत हो गये हैं कि वे केवल ५० प्रतिशत देंगे जबकि अन्य क्षेत्रों से १०० प्रतिशत वसूल किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं वैयक्तिक मामलों पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री मुरारका :** मैं इस विषय में कुछ निवेदन कर दूं ? मेरा प्रश्न कतिपय कम्पनियों को दी जाने वाली रियायतों से सम्बन्धित है । इस उत्तर में विशिष्ट नाम का उल्लेख किया गया था । मेरे पास जो जानकारी है उससे यह प्रकट है कि इस प्रकार की रियायतें इस कम्पनी को ही नहीं प्रत्युत दूसरी कम्पनियों को भी दी जाती हैं । किन्तु इन रियायतों से भेदभाव परिलक्षित होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय मंत्री से केवल उत्तर देने के लिये ही कह सकता हूं । मंत्री महोदया ने बता दिया है कि दूसरे मामलों में कोई विशेष रियायतें नहीं दी गई हैं । यदि माननीय सदस्य के पास ऐसा आधार है जो इस स्थिति का खण्डन करते हों तो वह इस विषय को बाद में उठा सकते हैं । अभी प्रश्न के घण्टे में अधिक नहीं हो सकता है ।

†**श्री त्रि० ना० सिंह :** इस में संविधान का भी उल्लेख किया जा सकता है । संविधान के अधीन देश में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री त्रि० ना० सिंह :** मैं औचित्य प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री त्रि० ना० सिंह :** क्या किन्हीं विशेष वर्ग के व्यक्तियों को इस प्रकार की रियायतें दी गई हैं ? यह रियायत वर्ग अथवा व्यक्ति पर विचार करने के पश्चात् दी जाती है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** आयकर अधिनियम के बाहर उत्तर में वर्णित जानकारी से पृथक् किसी व्यक्ति को रियायत नहीं दी गई है ?

†**श्री त्रि० ना० सिंह :** मैं यही जानना चाहता था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरी सम्मति में प्रश्न इस प्रकार है । तेल की खोज का कार्य कुछ कम्पनियों को दिया गया है और उन्होंने इसके लिये इस देश में विशेष रियायतों की मांग की है । किन्तु इन कम्पनियों को इस कार्य के लिये अन्य देशों में कोई रियायत नहीं दी गई है । उन्हें इस देश में ही विशेष रियायतें क्यों दी जायें--यह प्रश्न है ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** यह सही नहीं है । इस प्रकार की रियायतें अन्यत्र दी गई हैं ।

†**श्री नरायणन् कुट्टि मेनन :** माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि इस प्रकार की रियायतें अन्य देशों में दी जाती हैं । क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि १९५८ में इटालियन और जापानी कम्पनियों के साथ दो समझौते किये गये थे .....

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को माननीय मंत्री के वक्तव्य पर विश्वास करना चाहिये । यदि इस में कोई विसंगति हो तो अन्य उपायों का आश्रय लिया जा सकता है । दूसरा प्रश्न ।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Krupp Demag.

†**श्री तंगमणि :** संख्या ३३७. ।

†**अध्यक्ष महोदय :** पूर्व प्रश्न के बारे में मैं ने कहा था कि अन्य उपायों का आश्रय लिया जा सकता है । मेरे इस कथन का अभिप्राय यह था कि यदि माननीय सदस्य को मंत्री महोदय की जानकारी से पृथक् कोई बात मालूम है तो उस स्थिति में मैं यहां चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा । किन्तु माननीय सदस्य वे मामले विशेष रूप से मंत्री महोदय के समक्ष रख सकते हैं । मुझे विश्वास है कि यदि माननीय मंत्री से उत्तर में कुछ भूल हो गई है तो वह स्वयं उसकी शुद्धि के अवसर की मांग करेंगे ।

†**श्री रंगा :** हम यह जानकारी आपके समक्ष भी प्रस्तुत कर सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जी हां ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** मैं निस्संदेह ही इस विषय की जांच करूंगा और फिर यह जानकारी वैयक्तिक रूप से माननीय सदस्य तथा आपके समक्ष इसे प्रस्तुत करूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि एक-दो प्रश्न पूछने के पश्चात् माननीय सदस्य और माननाय मंत्री में तथ्य सम्बन्धी जानकारी के बारे में मतभेद हो तो सदस्य महोदय उसे मेरे या सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं । यदि मुझे यह अनुभव हुआ कि इस में किसी ओर से त्रुटि हो गई है तो मैं इसकी शुद्धि का अवसर दूंगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यदि किसी प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है तो 'प्रक्रिया नियम' के अधीन आध घंटे की चर्चा हो सकती है । क्या आपने अभी जो विनिर्णय दिया है उससे आध घंटा की चर्चा नहीं की जा सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरा विनिर्णय किसी अन्य विधि का द्रोही नहीं है ।

एस० ए० एस० एकाउन्टैंट

†*३३७. **श्री तंगमणि :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पुनः वेतन निश्चित करते समय डिप्टी एकाउन्टैंट जनरल, डाक तथा तार, मद्रास, से युद्ध सेवा के लिये नियुक्त किये गये एस० ए० एस० एकाउन्टैंटों को अन्य एकाउन्टैंटों से अलग श्रेणी में रखा गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) और (ख). डिप्टी एकाउन्टैंट जनरल, डाक तथा तार, मद्रास, से युद्ध सेवा के लिये कोई एस० ए० एस० एकाउन्टैंट नियुक्त नहीं किये गये थे ।

कुछ एस० ए० एस० पास क्लर्कों को युद्ध काल में कई लेखा तथा लेखा परीक्षा कार्यालयों में नियुक्त किया गया था और जब वे अपने असली कार्यालयों में वापस आये तो डेपूटेशन के समय उनके वेतन, कार्य तथा उत्तरदायित्व को देखते हुए उनके वेतन पुनः निश्चित किये गये थे । ऐसा करते समय सब का वेतन समान नहीं रखा गया था ।

†**श्री तंगमणि :** माननीय उपमंत्री ने कहा कि कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया था परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार यह बात सही नहीं है । खैर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या

---

†मूल अंग्रेजी में

मिलिटरी एकाउंट्स आफिस और सिविल एकाउंट्स आफिस में नियुक्त किये गये व्यक्तियों का वेतन १९४७ के वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निश्चित किया गया था जबकि सप्लाई एकाउंट्स आफिस और डिफेंस एकाउंट्स आफिस में नियुक्त किये गये व्यक्तियों को अन्य लोगों से ३० रुपये कम वेतन मिलता था ?

†अध्यक्ष महोदय : यह अन्तर क्यों था ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित कार्यालयों को यह विशेष आदेश दिये जाने का मूल कारण यह था कि कर्मचारियों के असल कार्यालयों में किसी की पदावनति न हो और न ही उन्हें अपने असल कार्यालय के कर्मचारियों से अधिक लाभ प्राप्त न हो—जब वे अपने असल कार्यालय में लौट के आये तो उन्हें अन्य लोगों, जिनका सेवा काल उनके बराबर है, से अधिक वेतन न मिले ।

†श्री तंगामणि : सेना सेवा में कई लेखा परीक्षक नियुक्त किये गये थे और जब वे लौट कर अपने असल कार्यालय में आये तो आधे लोगों का वेतन क्रम और था और आधे लोगों का कुछ और था । इस अन्तर का क्या कारण है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विशेष मामले बतायें . . . . .

†श्री तंगामणि : मेरे पास नाम हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : इस समय नहीं । माननीय मंत्री इसकी जांच करेंगे और बाद में जानकारी दे देंगे ।

राजस्थान की राजधानी

+

†*३३९. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वाजपेयी :

क्या गृह-कार्य मंत्री ३ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राजधानी जांच समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): (क) और (ख). राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजधानी जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया है और समिति की सारी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ।

†सरदार इकबाल सिंह : क्या इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने कोई निदेश अथवा मंत्रणा दी है; यदि हां, तो क्या ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मुख्य मंत्री ने मुझ से परामर्श किया था और मैं ने उन्हें यही मंत्रणा दी थी कि वह सिफारिशों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लें।

†**श्री वाजपेयी :** विधि आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के बावजूद कई उच्च न्यायालयों की बैंचें विभिन्न राज्यों में कार्य कर रही हैं परन्तु क्या कारण है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की केवल जयपुर बैंच को ही क्यों हटा दिया गया ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** अजमेरी-राजस्थान के पश्चात् राजस्थान की कई रियासतों को मिला देने से कई समस्यायें उत्पन्न हुईं उदाहरणतः राजधानी कहां रखी जाये, क्या बैंचों को रहने दिया जाये या कि उन्हें उच्च न्यायालय के साथ मिला कर एक कर दिया जाये और क्या कार्यालयों को एक से दूसरे स्थान पर ले जाया जाये। इन मामलों पर विचार करने के लिये जसटिस सत्यनारायण राव के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की गई और उस समिति ने इन मामलों के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह सिफारिश की कि राजधानी जयपुर ही रहे, उच्च-न्यायालय एक ही हो जिसे जोधपुर में रखा जाये और कुछ कार्यालय जयपुर से अजमेर ले जाये जायें।

†**श्री वाजपेयी :** क्या यह सच है कि जयपुर बेंच को हटा देने से जयपुर में कुछ असन्तोष फैल गया है और इसका विरोध किया गया है और यदि हां, तो क्या सरकार यह उचित समझती है कि राजस्थान सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की मंत्रणा दी जाये।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** इसका विरोध किया गया था और कितना ही अच्छा होता कि विरोध करने वाले लोग ज़रा सोच-विचार से काम लेते। सरकार यदि कोई ठीक निर्णय करती है तो उसे केवल इसलिये नहीं बदला जा सकता कि लोग उसका विरोध कर रहे हैं।

आयल इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड

†*३४०. **श्री सूपकार :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से आयल इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड की स्थापना हुई है तब से उसने क्या कार्य किया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) :** आयल इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड अभी औपचारिक रूप से निगमित नहीं हुई है। निगमित होने से पूर्व तेल के लिये छिद्र करने के कार्य को और गहन बना दिया गया है और अशोधित तेल के लिये पाइप लाइन बिछाने के बारे में प्रारम्भिक कार्यवाही की जा चुकी है।

†**श्री सूपकार :** क्या इस समवाय का क्षेत्र आसाम तक ही सीमित है या कि समस्त भारत में तेल की खोज और अनुसन्धान का कार्य इसे सौंप दिया जायेगा ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** इसका क्षेत्र केवल आसाम तक ही सीमित है।

†**श्री सूपकार :** श्रीमान्, मुझे पता चला है कि एक और समवाय, जिसका नाम आयल रिफाइनरीज़ (प्राईवेट) लिमिटेड होगा, की स्थापना की जा रही है। क्या इन दोनों समवायों के कृत्यों में कोई और भी अन्तर होगा या केवल यही कि यह अर्द्ध-सरकारी समवाय है और पूर्णतः सरकारी समवाय होगा।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** जी नहीं, इसके अतिरिक्त और भी अन्तर है। आयल इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड का काम तेल के कुओं से तेल निकालना

---

†मूल अंग्रेजी में

होगा । आयल इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड में सरकार के एक-तिहाई अंश हैं और बी० ओ० सी० और आसाम आयल कम्पनी के दो-तिहाई । यह समवाय कच्चे तेल का उत्पादन करके उसे तेल साफ करने वाले कारखानों तक पहुंचा देगा । दूसरा समवाय तेल साफ करने वाले कारखानों का निर्माण करेगा और उन्हें चलायेगा ।

†श्रीमती मकीदा अहमद : जब आसाम आयल कम्पनी को मोरान और हुगरीगन के ये क्षेत्र तेल की खोज के लिये पट्टे पर दिये गये थे क्या उस समय कोई अवधि भी निश्चित की गई थी ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : खनन सम्बन्धी सभी पट्टों में अवधि निश्चित कर दी जाती है । इसके लिये कितने वर्ष की अवधि निश्चित की गई थी मुझे याद नहीं है; यदि अलग प्रश्न की सूचना दी जाये तो मैं जानकारी दे सकता हूं ।

†श्री वि० च० शुक्ल : क्या किसी सरकारी पदाधिकारी को आयल इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड का सभापति नियुक्त नहीं किया जा रहा है; इसके क्या कारण हैं ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : सरकार अभी रिफाइनरीज लिमिटेड के लिये उपयुक्त सभापति नियुक्त करने के बारे में विचार कर रही है ।

†श्री दासप्पा : सरकार ने इस समवाय के केवल एक-तिहाई अंश लेना ही क्यों मुनासब समझा उसने कम से कम ५१ प्रतिशत अंश क्यों नहीं खरीदे ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : इन अंशों को अपने पास रखने का तो कोई प्रश्न नहीं है । आसाम आयल कम्पनी और बी० ओ० सी० को इसलिये रियायत दी गई कि उन्होंने ही तेल की खोज की थी और अब तक जो ४३ कुएं खोदे गये उन में से २९, जिन में ६ गैस उत्पादक हैं, सफल हो गये हैं । तब यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि इन कुओं से तेल निकालने के लिये क्या प्रबन्ध किया जाये । अतः इस करार के अनुसार सरकार भी इस में शामिल हो गई अन्यथा आयल कम्पनी सारे अंश अपने पास रख सकती थी ।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या सरकार ने साफ किये जाने वाले तेल के वितरण के बारे में कुछ विचार किया है और इसके लिये क्या प्रबन्ध करने का विचार किया गया है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : सरकार अभी इस बारे में विचार कर रही है । क्योंकि शोधित तेल के उत्पादन आरम्भ होने में तो कई वर्ष लग जायेंगे और इसके लिये अभी काफी समय है ।

†श्री नौशीर भरूचा : क्या आयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड का क्षेत्र नाहरकटिया तक ही सीमित होगा या आसाम तक या इस के बाहर तक विस्तृत होगा ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : शायद इस प्रश्न का उत्तर सभा-सचिव द्वारा दिया जा चुका है । आयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड का काम उन क्षेत्रों में तेल का उत्पादन करना और उस का परिवहन करना है जिन के लिये आसाम आयल कम्पनी को तेल की खोज करने के लिये रियायतें दी गई हैं ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या बरौनी रिफाइनरी को आयल रिफाइनरीज (प्राइवेट) लिमिटेड के अधीन लाया जा रहा है या कि आयल इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड के अधीन ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मैं समझता था कि मैं ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है । आयल इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड का तेल साफ करने वाले कारखानों से कोई सम्बन्ध नहीं है । सरकार ने यह

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्णय किया है कि तेल साफ करने वाले कारखाने सरकारी सैक्टर में उपयुक्त पार्टियों के टैक्नीकल अथवा अन्य सहयोग से स्थापित किये जायेंगे । अतः तेल साफ करने वाले कारखानों की व्यवस्था और प्रबन्ध का आयल इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होगा क्योंकि इसे तो केवल तेल का उत्पादन और परिवहन करना है ।

बिना निकल का स्टेनलेस-स्टील

†*३४२. **श्री दामानी** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल मैटलर्जिकल विभाग ने जो बिना निकल का स्टेनलेस-स्टील तैयार किया है क्या उस का अर्द्ध-वाणिज्यिक दृष्टि से विदोहन करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय कब होगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)**: (क) और (ख) सरकारी सैक्टर में जो अलाय और टूल स्टील कारखाना लगाया जाने वाला है उस में बिना निकल के स्टेनलेस स्टील की चादरें बनाने की भी व्यवस्था की जायेगी ।

†**श्री दामानी** : क्या किन्हीं विदेशी समवायों से बात चीत हो रही है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : जी हां । अलाय और बिना निकल के स्टेनलेस स्टील के कारखाने की स्थापना के बारे में चार देशों से प्रस्थापनायें प्राप्त हुई हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : कुछ विशेषज्ञों ने भद्रावती इस्पात कारखाने को इस के लिये बहुत उपयुक्त बताया है और यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या राय है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : प्रस्थापना पर अन्तिम निर्णय करते समय विशेषज्ञों की राय पर विचार किया जायेगा । विशेषज्ञों की कोई विशेष राय मुझे याद नहीं, सभी विशेषज्ञ भी एक बात पर सदा सहमत नहीं होते ।

†**श्री दामानी** : यह कारखाना कहां खोला जाने वाला है, इस पर कितनी पूंजी लगेगी और उत्पादन की क्षमता क्या होगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह कुछ देर और प्रतीक्षा करें क्योंकि अभी मामला प्रारम्भिक अवस्था में है और यह ब्यौरा बताना सम्भव नहीं है ।

सरकारी निवृत्ति-वेतन भोक्ता

+

*३४४. { श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :
श्री दलजीत सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ जुलाई १९५२ से पूर्व सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी निवृत्ति-वेतन भोक्ताओं (पेन्शनरों) को कुछ अन्तरिम सहायता दी गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन लोगों को अन्तरिम सहायता क्यों नहीं दी गई जो उस तिथि के बाद सेवा निवृत्त हुए ?

वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) सरकारी निवृत्ति-वेतन भोक्ताओं (पैंशनरों) को 'अन्तरिम सहायता' नाम से तो कोई सहायता नहीं दी गई लेकिन १ जनवरी १९४५ से लागू पेंशन की अस्थायी वृद्धि की दरों में १ अप्रैल, १९५८ से, केन्द्रीय सरकार के उन निवृत्ति-वेतनभोक्ता कर्मचारियों के लिये और वृद्धि कर दी गई है जो १५ जुलाई १९५२ से पहले सेवा-निवृत्त हो चुके हैं और जिन्हें १०० रुपये प्रतिमास तक पेंशन मिलती है ।

(ख) गाडगिल समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के परिणामस्वरूप जो सरकारी कर्मचारी १५ जुलाई १९५२ को अथवा उस के बाद सेवा-निवृत्त हुए उन्हें यह अधिकार प्राप्त हो गया कि उन की पेंशन की रकम निर्धारित करते समय उन का आधा महंगाई भत्ता वेतन में शामिल कर लिया जाय । इसलिये जो व्यक्ति १५ जुलाई १९५२ को या उस के बाद सेवा-निवृत्त हुए और जिन के मामले में वेतन में आधा महंगाई भत्ता शामिल कर लेने के कारण पेंशनें अधिक लाभदायक रहीं, उन के सम्बन्ध में अस्थायी वृद्धि की दरें वापस ले ली गयीं । पेंशन के लिये आधे महंगाई भत्ते को वेतन मानने की सुविधा के बदले यदि इन कर्मचारियों को पेंशन की हाल ही में बढ़ी हुई दरों के अनुसार पेंशन दी जाती (जिसे निर्धारित करते समय आधा महंगाई भत्ता वेतन में नहीं जोड़ा जाता), तो भी उन्हें लाभ न होता । इसीलिये इन कर्मचारियों को अस्थायी रूप से बढ़ी हुई दरों के अनुसार पेंशन देना आवश्यक नहीं समझा गया ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या यह सच है कि अखिल भारतीय निवृत्ति-वेतन भोक्ता संघ ने निवृत्ति वेतन नियमों का पुनरीक्षण करने के बारे में सरकार को एक ज्ञापन भेजा है और क्या यह मामला वेतन आयोग को सौंपा गया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : कई अभ्यावेदन मिले थे परन्तु अधिकतर वे थोड़े निवृत्ति वेतन पाने वालों के बारे में थे जिन्हें महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा था और जो गाडगिल समिति की सिफारिशें प्राप्त होने से पहले ही सेवा निवृत्त हो चुके थे; उन सब को देखा गया और उन अभ्यावेदनों के कारण ही उस अवधि से पूर्व सेवानिवृत्त होने वालों को यह रियायत दी गई थी ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : प्रश्न के आखिरी भाग का उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है यह केवल कुछ वर्षों के लिये है या पक्के तौर से बढ़ोतरी कर दी गई है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जो बढ़ोतरी हुई है वह कुछ वर्षों के लिये नहीं है, बल्कि पक्के तौर पर है ।

†**श्री मा० कृ० गायकवाड** : क्या यह सच है कि राज्य सरकारों के कुछ निवृत्ति-वेतन उपभोक्ताओं से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन में केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की गई है कि वह राज्य सरकारों को अन्तरिम सहायता देने और महंगाई भत्ता बढ़ाने के बारे में केन्द्रीय सरकार की नीति अपनाने की मंत्रणा दे और यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या प्रश्न को दोहराया जा सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इन के भुगतान में वही नीति अपनाने की मंत्रणा दी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : इस पर राज्य सरकारों को विचार करना होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या केन्द्रीय सरकार ने उन्हें अभ्यावेदन भेज दिये हैं ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : वे उन्हें भेज दिये गये हैं । वे अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह समझती हैं ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है यह केवल सिविल कर्मचारियों के लिये है या फौजी कर्मचारी जो सेवा निवृत्त होते हैं उन को भी यह सुविधा दी जाती है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: जिन के लिये ये सब रूल्स बने हुए हैं उन सभी कर्मचारियों के लिये यह पेंशन की दर लागू होगी ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या सेवा निवृत्ति वेतन सम्बन्धी नियमों को पुनरीक्षण के लिये वेतन आयोग को सौंपने के बारे में सरकार ने विचार किया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : शायद नहीं ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : सेवा निवृत्ति वेतनों का मामला वेतन आयोग को नहीं सौंपा गया है ।

इस्पात के अभ्यंश

+

†*३४५. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि लोहा और इस्पात नियंत्रक ने यह निदेश दिया है कि ऐसी हालतों में जबकि यदि किसी विशेष मद के अन्तर्गत इस्पात का संभरण आवंटन से बढ़ गया है परन्तु कुल संभरण कुल आवंटन से नहीं बढ़ा है तो इस्पात का संभरण तब तक जारी रहेगा जब तक कि संभरण कुल आवंटन के बराबर न हो ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)**: जी हां, सरकार ने यह निर्णय किया है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या उन राज्यों के आवंटित अभ्यंशों को देखते हुए इस्पात का संभरण बढ़ा दिया जायेगा जहां मांग बढ़ गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : वस्तुतः, इस समय इस्पात का संभरण कम हो रहा है । इसलिये राज्यों को इस्पात का अभ्यंश तभी बढ़ाया जा सकता जब कि या तो इस्पात का उत्पादन बढ़ जाये या हमारी विदेशी मुद्रा की कठिनाई दूर हो जाये जिस से हम अधिक इस्पात का आयात कर सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पुरातत्व संस्था

†*३३१. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २८ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इतिहास तथा अन्य विषयों के स्नातकोत्तर छात्रों को पुरातत्व के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिये दिल्ली में जो पुरातत्व संस्था खोलने की योजना थी उस का क्या हुआ ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** अभी मामला विचाराधीन है ।

कोयला खानों में सेवा निवृत्ति की आयु

†*३३४. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साप्ताहिक वेतन पाने वाले कुछ श्रेणियों के श्रमिकों को, जैसे कि हुकमैन, आन-सैटर आदि, ५५ वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त कर दिये जाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य कोयला खानों में सेवा निवृत्ति की सामान्य आयु ६० वर्ष है ;

(ग) क्या यह सच है कि १९४६ का समझौता पंचाट 'हुकमैन', 'आनसैटर' आदि पर भी लागू होता है ; और

(घ) इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) साप्ताहिक वेतन पाने वाले उन श्रमिकों को ५५ वर्ष की आयु में सेवा से निवृत्त कर दिया जाता है जो १ जून, १९४४ से भर्ती किये गये थे जबकि कोयला खानों का प्रबन्ध और नियंत्रण रेलवे के हाथ में था । उन व्यक्तियों पर अब भी रेलवे के नियम लागू होते हैं । हालांकि १ जून, १९४४ को कोयला खानें पहले भारत सरकार के भूतपूर्व संभरण विभाग को सौंपी गईं और बाद में क्रमशः उत्पादन मंत्रालय और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के नियंत्रण में आ गईं जिस से वे रेलवे कर्मचारी नहीं रहे ।

(ख) यह सही है कि १ जून, १९४४ के बाद भर्ती किये गये उन श्रमिकों, जिन्हें साप्ताहिक वेतन मिलता है, की सेवा निवृत्ति की आयु ६० वर्ष रखी गई है । यह इसलिये कि इन व्यक्तियों पर असैनिक नियम लागू होते हैं जिन में चौथी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु अधिक होती है ।

(ग) जी हां । अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण को देखते हुए १९४६ के समझौता पंचाट में सुधार किया गया है ।

(घ) सरकार इस बात की जांच कर रही है कि क्या १ जून, १९४४ से पूर्व भर्ती किये गये साप्ताहिक वेतन पाने वालों की सेवा निवृत्ति की आयु ६० वर्ष निश्चित की जा सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

†*३४१. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम कृष्ण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी क्षेत्र में किन-किन उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने सहयोग देना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के सहयोग को बढ़ाने के लिये आगे और क्या कार्यवाही की गई है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) शायद माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि भारत में गैर-सरकारी उद्योगों में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने कुल कितनी पूंजी लगाई है । अभी पूंजी नहीं लगाई गई है । भारत से मये कई आवेदन पत्रों पर अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम विचार कर रहा है ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मूल उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से गैर-सरकारी उपक्रमों से बातचीत कर के, उन की योजनाओं का परीक्षण कर के ऋण देना है और उस ऋण को चुकाने के लिये सरकार से कोई प्रतिभूति नहीं मांगता इसलिये किसी विशेष कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

इस्पात के प्रतिधारण मूल्य का पुनरीक्षण

†*१४३. श्री वें० प० नायर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्न जानकारी बताई गई हो :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ काल के पश्चात् इस्पात के प्रतिधारण मूल्य का भारत सरकार ने कितनी बार पुनरीक्षण किया है ;

(ख) कीमत पहली बार पुनरीक्षित करते समय इस्पात का बाजार भाव कितना था और नवीनतम पुनरीक्षित भाव क्या है ; और

(ग) प्रत्येक बार के पुनरीक्षण में भेद के परिणामस्वरूप इस्पात उत्पादकों को कुल कितनी रकम प्राप्त हुई है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) मेसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड में ७ बार ; मेसर्स इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड में ९ बार और मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लिमिटेड में ४ बार ।

(ख) प्रथम पुनरीक्षण के पहले की और इस समय की इस्पात की औसत प्रतिधारण कीमतें इस प्रकार हैं :—

	रुपये	रुपये
टाटा . . .	२५१	४०५
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	२७३	४०५
मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लिमिटेड . .	३०८	४०५

†मूल अंग्रेजी में

टाटा और इंडियन आयरन कम्पनी को १६-६-५७ से प्रतिधारण कीमतों में ४६ रुपये प्रति टन की अस्थायी वृद्धि भी दी गई है। इसे अन्तिम रूप प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के पश्चात् दिया जायेगा। सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं।

(ग) लगभग २४·७१ करोड़ रुपये मेसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को प्राप्त हुए और मेसर्स इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को १०·१४ करोड़ रुपये और मैसर्स मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स को ५५·११ लाख रुपये प्राप्त हुए।

युद्ध सामग्री कारखानों में उत्पादन

†३४६. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगमणि :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध सामग्री कारखानों में १९५८ में अभी तक उत्पादन वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) क्या युद्ध सामग्री कारखानों में उत्पादन कार्यक्रम से श्रमिकों के प्रतिनिधि सम्बद्ध हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां।

(ख) १९५८ की प्रथम तिमाही के उपलब्ध अस्थायी आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष की समनुवर्ती अवधि की तुलना में लगभग १७ प्रतिशत उत्पादन वृद्धि हुई है।

(ग) सेनाओं की मांग, असैनिक आर्डर और कारखाने की उत्पादन क्षमता के आधार पर कारखाने के प्रबन्धकर्ता उत्पादन कार्यक्रम तैयार करते हैं। उत्पादन कार्यक्रम श्रमिक प्रतिनिधियों के परामर्श से तैयार नहीं किया जाता है। किन्तु उत्पादन समिति के माध्यम से उन्हें उत्पादन कार्यवाही से अवगत रखा जाता है। उत्पादन समिति में श्रमिकों और प्रबन्धकर्ताओं के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

उड़ीसा को ऋण

†३४७. **श्री संगमा** : क्या वित्त मंत्री उड़ीसा की नई राजधानी भुवनेश्वर के बारे में २ अप्रैल १९५८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३९९ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार की ६१ लाख ७५ हजार रुपये के ऋण की प्रार्थना भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

(ख) यदि नहीं तो, इस के क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). राज्य की विविध विकास योजनाओं के लिये १९५७-५८ में हुए खर्च की पूर्ति के लिये उड़ीसा सरकार को १९५७-५८ और १९५८-५९ में ऋण सहायता के रूप में कुल ३५० लाख रुपये की रकम स्वीकृत की गई है। इन में नई राजधानी, भोपाल का निर्माण भी सम्मिलित है

---

†मूल अंग्रेजी में

जीवन बीमा निगम

†*३४८. { **श्री ही० नां० मुकर्जी :**
श्री दामानी :
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी होल्डरों के दावे, ऋण आवेदन पत्र आदि में कथित विलम्ब और बढ़ती हुई कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है ;

(ख) क्या प्रीमियम के नोटिस और रसीदें भेजने में निगम द्वारा बरती जाने वाली अनियमितताओं की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) और (ख). २०० से अधिक जीवन बीमा कम्पनियों के एकीकरण के उपरान्त जीवन बीमा निगम बन जाने के पश्चात् पालिसी होल्डरों के दावे, ऋण आवेदन-पत्र हल करने और प्रीमियम नोटिस तथा रसीदें भेजने में प्रारम्भिक अवस्था में कुछ कठिनाई प्रतीत होती हैं। इन कठिनाइयों में वृद्धि के बारे में सरकार अवगत नहीं है। पालिसी-होल्डरों के मार्ग में उत्पन्न कठिनाइयों के सम्बन्ध में वे चिन्तित हैं और इस बात के लिये उत्सुक हैं कि यथासम्भव शीघ्र ही इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये उपाय और विधियां ढूंढी जायें।

(ग) प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितताओं की शिकायतें दूर करने की दृष्टि से निगम ने शक्तियों का युक्तिसंगत विकेन्द्रीयकरण करने का निर्णय कर लिया है ताकि इस प्रकार की शिकायतें प्रभावक ढंग से हल करने के लिये सब स्तरों पर अधिकारियों के पास अधिकार हों।

स्टेनलेस स्टील का आयात

†*३४९. **श्री वोडयार** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अनेक स्टेनलेस स्टील कारखानों में स्टेनलेस स्टील की चादरों पर हाल के प्रतिबन्ध के परिणामस्वरूप अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं; और

(ख) यदि हां तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) एक या दो कारखानों ने रिपोर्ट दी है कि सामान की कमी के कारण उन्हें कारखाने बन्द करना पड़ेंगे अथवा उत्पादन की गति मंद हो जायगी।

(ख) जब तक विदेशी विनिमय के अधिक संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं स्टेनलेस स्टील का आयात बढ़ाना कठिन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में पंचायतघर

३५०. **श्री पदम देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १५ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश में पंचायतघरों के निर्माण के लिये आय-व्ययक में कुछ राशि रखी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९५७-५८ में कोई पंचायतघर न बनाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (**श्री दातार**) : (क) जी हां। इस काम के लिये दूसरी पंचशाला योजना में चार लाख रुपये रखे गये हैं जो इस प्रकार खर्च किये जायेंगे :—

साल	रकम
१९५७–५८	२० पंचायतघरों के लिये एक लाख रुपये
१९५८–५९	,, ,,
१९५९–६०	,, ,,
१९६०–६१	,, ,,

(ख) १९५७–५८ में ३८ पंचायतों को अपने अपने पंचायतघर बनाने के लिये १,९०,००० रुपये दिय गये लेकिन चूंकि उन्हें ये ग्रान्ट देरी से अर्थात्, मार्च, १९५८ के आखिर में दी गई थी, इसलिये वे इस रकम को उस साल में काम में नहीं ला सकीं। इसी वजह से १९५७-५८ में पंचायतघर नहीं बनाये जा सके। सम्बन्धित नियमानुसार पंचायतें इस रकम को साल भर के भीतर काम में ला सकती हैं। अतः आशा है कि यह ग्रांट चालू वर्ष में काम में ले ली जाएगी।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी, खड़गपुर और दिल्ली पोलीटेक्नीक

†*३५१. **श्री कोडियान** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी, खड़गपुर और दिल्ली पोलीटैक्नीक में १९५७–५८ में पृथक-पृथक कितने विद्यार्थी भरती किये गये; और

(ख) इन संस्थाओं में १९५७–५८ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पृथक-पृथक कितने स्थान रक्षित किये गये थे;

(ग) क्या सम्पूर्ण रक्षित स्थानों की पूर्ति की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** (**श्री हुमायून् कबिर**) : (क) से (घ). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८२**]

---

†मूल अंग्रेजी में

अंग्रेजी भाषा का अध्यापन

†*३५२. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री शिवनंजप्पा :
श्री तंगामणि :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंग्रेजी के अध्यापन के लिये विश्वविद्यालयों को विशेष अनुदान देने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोई योजना तैयार की है ;

(ख) किन किन विश्वविद्यालयों ने अभी तक इस योजना का लाभ उठाया है; और

(ग) अभी तक कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ।

†शिक्षा मंत्री (डा० का० सा० श्रीमाली) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कलकता के सिटी सिविल कोर्ट में केन्द्रीय सरकार के एडवोकेट

†*३५३. **श्री सुबिमन घोष** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के दावों और मामलों के सम्बन्ध में सरकार ने कलकत्ता की सिटी सिविल कोर्ट में दो एडवोकेट किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी नियुक्ति की शर्तें और अवस्थाएं क्या-क्या हैं ।

(ग) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी वकील और अभियोक्ता भारत सरकार के भी पदेन सरकारी वकील और अभियोक्ता हैं ।

(घ) यदि हां तो सिविल कोर्ट में एडवोकेटों की प्रथक नियुक्ति के क्या कारण है ?

†विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) : (क) जी हां ।

(ख) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८३]

(ग) जी नहीं ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

इस्पात उद्योग के लिये आस्ट्रेलिया की सहायता

†*३५४. **श्री आसर** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया की सरकार भारतीय इस्पात उद्योग की सहायता करने के लिये इच्छुक है; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या ब्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) जी हां।

(ख) आस्ट्रेलिया की सरकार ने स्टील सम्बन्धी कार्य में छः इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये कोलम्बो योजना के अधीन १९५७ में सुविधायें प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। वे कोलम्बो योजना के अधीन इसे ४ वर्ष की अवधि तक हर छः महीने पश्चात् ब्रोकन हिल प्रोप्राइटरी कम्पनी, आस्ट्रेलिया में २४ इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये भी उद्यत हैं।

मौलाना आजाद की रचनायें

†*३५६. श्री शिवनंजप्पा :
श्री हेमराज :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय मौलाना आजाद की रचनायें प्रकाशित करने की दृष्टि से उन के समस्त लेखों आदि की प्रतिलिपियां प्राप्त करने और उन्हें संग्रहीत करने के लिये साहित्य अकादमी ने क्या कदम उठाये हैं ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूंन् कबिर) : मौलाना आजाद की सम्पूर्ण रचनाओं का संग्रह कर उन का सम्पादन करने के लिये साहित्य अकादमी ने एक समिति नियुक्त की है।

कोयला

†*३५७. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल के समीपवर्ती कोयला खानों और झरिया के कोयला क्षेत्रों में महमा आग लग जाने के फलस्वरूप काफी मात्रा में कोयला बर्बाद हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार बेकार होने वाले कोयले की अनुमानित मात्रा कितनी है; और

(ग) आग पर रेत डालने अथवा पानी फैंकने आदि उपायों से उसे बुझाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८४]

भारत प्रशासन सेवा (विशेष) भर्ती

†*३५८. श्री रघुनाथ सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में भारत प्रशासन सेवा के लिये चुने गय १०२ उम्मीदवारों की तुरन्त खपत नहीं हो रही है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): विशेष भरती योजना के अधीन संघ लोक सेवा आयोग ने खुले बाजार से चुने गये उन १०२ उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की थी जो विभिन्न राज्यों के भारत प्रशासन सेवा संवर्ग के रिक्त स्थानों में पूर्ति के लिये उपयुक्त समझे गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस समय उपलब्ध रिक्त स्थानों की पूर्ति के आधार पर इस सूची के ७२ उम्मीदवारों के पास नियुक्ति प्रस्ताव प्रेषित किये जा चुके हैं और शेष उम्मीदवारों के नियोजन के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार कर रही है ।

गुप्तवार्ता विभाग[1]

†*३५९. श्री मोहम्मद इमाम : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय गुप्त वार्ता विभाग की एक शाखा बंगलौर (मैसूर राज्य) में स्थापित की गई है;

(ख) इस के क्या कार्य हैं ;

(ग) क्या मैसूर प्रशासन सम्बन्धी कोई रिपोर्ट उक्त गुप्तवार्ता विभाग द्वारा भेजी गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह लोक-सभा के पटल पर रखी जायेगी ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) सुरक्षा सम्बन्धी सूचना संग्रह करना ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशियों के बारे में केन्द्रीय ब्यूरो[2]

†*३६०. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि विदेशियों के बारे में एक केन्द्रीय ब्यूरो स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस ब्यूरो की कार्यवाही ब्रिटिश कामनवैल्थ के नागरिकों पर भी लागू होगी ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) इस ब्यूरो की स्थापना का उद्देश्य भारत में आने और जाने वाले सब व्यक्तियों के बारे में रेकार्ड और सांख्यकी रखना है ।

गुरुकुल विश्वविद्यालय का डिप्लोमा

†*३६१. श्री वाजपेयी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगड़ी, हरिद्वार और वृन्दावन स्थित गुरुकुल विश्वविद्यालय के डिप्लोमाओं को केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों और सेवा नियोजन हेतु एक वर्ष के लिये मान्यता प्रदान की गई है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Intelligence Bureau.

[2]Central Foreigners, Bureau.

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अन्य किसी राष्ट्रीय संस्था के डिप्लोमा को भी इसी प्रकार मान्यता प्रदान की गई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). १८ अगस्त, १९५१ से तीन डिप्लोमाओं को अस्थायी रूप से मान्यता प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त होने तक उपरोक्त मान्यता १७ सितम्बर, १९५९ तक वैध रहेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक बार मान्यता मिल जाने पर इन की डिग्रियां और डिप्लोमा स्वतः मान्यताप्राप्त कहलायेंगे ।

(ग) जी हां । इन संस्थाओं के नाम हैं :—

१. प्रयाग महिला विद्यापीठ, इलाहाबाद ।

२. जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली

३. काशी विद्यापीठ बनारस ।

रुपये का अवमूल्यन

†*३६२. श्री म० रा० मुनिस्वामी :
श्री कालिका सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के बारे में बार बार फैलने वाली खबर में कोई सत्यता है; और

(ख) यदि हां तो रुपये का अवमूल्यन कब और क्यों किया जायेगा ?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता

राजनीतिक पीड़ित

†*३६३. श्री राघा रमण : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों को शिक्षा सम्बन्धी रियायतें देने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय का क्या स्वरूप है ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) जी हां ।

(ख) (१) मान्यताप्राप्त सम्पूर्ण प्राइमरी, बेसिक, मिडिल और हाई स्कूलों में प्रवेश तथा निःशुल्क छात्रवृत्तियां और अर्द्ध शुल्क छात्रवृत्तियां प्रदान करने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जायेगा ?

(२) मान्यता प्राप्त स्कूलों और कालेजों से सम्बद्ध छात्रावासों में निःशुल्क आवास का उपबन्ध रहेगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) प्राइमरी से स्नातकोत्तर स्तर तक विद्यार्थियों को सीमित संख्या में छात्रवृत्तियां और पुस्तक अनुदान दिये जायेंगे । ये रियायतें उन राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों तक सीमित हैं जिन की आय ३०० रुपये मासिक से अधिक नहीं है । इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप रेखा तैयार की जा रही है ।

केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य

†*३६४. श्री मणियंगाडन :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मोहम्मद इमाम :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि केरल के मुख्य मंत्री ने इस आशय का वक्तव्य दिया था कि यदि केरल में विरोधी दलों ने परस्पर मिल कर यूनाइटेड फ्रंट की स्थापना की तो गृह-युद्ध हो जायेगा ;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उक्त वक्तव्य ने जनता और जनतांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं में भय उत्पन्न कर दिया है; और

(ग) यदि सरकार ने इस प्रकार के भय का निराकरण करने के लिये कोई कदम उठाये हैं तो वे क्या हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) मैं ने भाषण नहीं पढ़ा है । जैसा केरल के मुख्य मंत्री ने कहा है अखबारों में छपी खबर पूरी नहीं थी और उस से उन के कथन का सही अर्थ नहीं लगता है ।

(ख) कुछ व्यक्तियों और संगठनों द्वारा इस प्रकार के भय की अभिव्यक्ति की गई है ।

(ग) भारत सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है । प्रधान मंत्री और केरल के मुख्य मंत्री के बीच कुछ पत्र-व्यवहार हुआ था ।

मनीपुर में स्टेडियम

†*३६५. श्री नारायणन्कुट्टि मेनन :
श्री वारियर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या मनीपुर में खेल कूद स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस का निर्माण कब और कहां किया जायेगा ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख) मनीपुर प्रशासन ने मनीपुर में एक खेदकूद स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव जून, १९५७ में रखा था किन्तु भारत सरकार ने उसका अनुमोदन नहीं किया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पालना कोयला खान

†*३६६. **श्री कर्णी सिंह जी:** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बीकानेर जिले की पालना कोयला खान में लिग्नाइट के खनन की ओपन कास्ट पद्धति[1] के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये टैक्नीकल विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट लोक-सभा के पटल पर रखी जायेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) समिति की रिपोर्ट मिलने के पश्चात् सरकार इस पर विचार करेगी ।

मैसूर में अनुसूचित जातियों की सूची

†*३६७. **श्री सिदय्या** : क्या गृह-कार्य मंत्री ६ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने अनुसूचित जातियों की सूची से उन जातियों के नाम अलग कर देने के बारे में अपनी सिफारिशें भेज दी हैं जो अब अस्पृश्यता के कलंक से पीड़ित नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कार्यवाही क्या है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस

†*३६८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ४६ वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक जनवरी, १९५९ में दिल्ली में होने की संभावना है;

(ख) क्या इस अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिये विदेशों को आमंत्रण पत्र भेजे गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम और आमंत्रित वैज्ञानिकों की संख्या क्या क्या है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Open Cast System.

मिश्र धातु और विशेष इस्पात का निर्माण

†*३६९. { **श्री वि० च० शुक्ल :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २० मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्र धातु और विशेष इस्पात के निर्माण के लिये कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मंगाये गये हैं और सम्बन्धित विदेशी फर्मों से वे प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) इस विषय में क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं ; अभी नहीं ।

(ख) नमूनों को अभी अन्तिम रूप दिया गया है। इस विशद ब्यौरे के आधार पर ही विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आमंत्रित किये जायेंगे ।

शिक्षकों को इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण

†*३७०. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, बम्बई को इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में सहायता देने के विस्तृत कार्यक्रम के अधीन सोवियत रूस में प्रशिक्षण के लिये शिक्षकों के चुनाव को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें सोवियत रूस कब भेजा जायेगा ?

श्री हुमायून कबिर : १९५८ के कार्यक्रम के अधीन सोवियत रूस में प्रशिक्षित किये जाने वाले छः शिक्षकों में से चार का चुनाव हो चुका है और आशा की जाती है कि अक्टूबर, १९५८ में वे सोवियत रूस चले जायेंगे ।

दिल्ली में चलते-फिरते दल

*३७१. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बेतार के तार से सज्जित चलते-फिरते नौ स्क्वैड गश्त पर लगाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है और कितने पदाधिकारी भर्ती किये जायेंगे ;

(ग) दिल्ली में ऐसे चलते-फिरते स्क्वैड कब से काम करने लगेंगे ; और

(घ) इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क), (ख), (ग) और (घ). इन सवालों पर विचार हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दुर्गापुर इस्पात परियोजना सम्बन्धी परियोजना रिपोर्ट

†*३७२. **श्री मुरारका :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दुर्गापुर इस्पात परियोजना की ब्यौरेवार अन्तिम परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) जहां तक प्रविधिक जानकारी का सम्बन्ध है, तीनों इस्पात परियोजनाओं की रिपोर्ट कहां तक मिलती है ; और

(ग) तीनों रिपोर्टों के लिये अलग अलग कितनी फीस दी गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). दुर्गापुर इस्पात कारखाना का ब्यौरेवार विशेष विवरण जून/जुलाई १९५६ में प्राप्त हुआ था जो कि ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट से मिलता जुलता है। तीनों इस्पात संयंत्रों के निर्माण की व्यवस्था के अन्तर के कारण होने वाले भेदों के अधीन तीन को परियोजना रिपोर्टें ब्यौरेवार सभी सूचना देती हैं जो कि मिलते जुलते स्वरूप की है ।

(ग) ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्टों के लिये अलग से कोई फीस नहीं दी गई ।

गवेषणा

†*३७३. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ऐसी कोई कार्यवाही की है जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार अपने उद्योगों में आने वाली ऐसी कठिन समस्याओं का वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के अधीन कार्य करने वाली राष्ट्रीय गवेषणा संस्थाओं/प्रयोगशालाओं को निदेश कर सकें, जिनको हल करने के लिये राज्यों में आवश्यक गवेषणा सुविधायें नहीं हैं ; और

(ख) राज्य सरकारों ने इस सुविधा का कहां तक लाभ उठाया है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी, हां ।

(ख) जहां राज्य सरकारों ने आवश्यक समझा है, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को अपनी औद्योगिक समस्याओं का सलाह लेने या जांच कराने के लिये निदेश किया है ।

ध्वनि प्रक्षेपकों[1] का उत्पादन

†*३७४. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४१५ के उत्तर के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार सर्वेक्षण हो चुका है ;

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Sound Projectors.

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ;

(ग) क्या सरकार ने ३५ मिलीमीटर वाले ध्वनि प्रक्षेपकों को आयुध कारखानों में बनाने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, उसका क्या परिणाम हुआ ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता ।

बच्चों को उठा ले जाना

†*३७५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निश्चय करने के लिये वर्त्तमान विधियों का अध्ययन कर लिया है कि वे बच्चों के उठाये जाने तथा उनके विकृत किये जाने की विशिष्ट समस्या का सामना करने के लिये पर्याप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). मामला विचाराधीन है। सरकार ने कुछ परिणाम निकाल लिये हैं और राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है।

औद्योगिक प्रबन्ध संवर्ग

†*३७६. **श्री दामानी :**
श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ९ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने औद्योगिक प्रबन्ध संवर्ग में नियुक्तियों के लिये उम्मीदवारों का इंटरव्यू पूरा कर लिया है ; और

(ख) क्या अन्तिम चुनाव कर लिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) इंटरव्यू अभी चल रहा है और आशा की जाती है कि वह जल्दी ही समाप्त हो जायेगा ।

(ख) उसके बाद ही चुनाव किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पैट्रोलियम उत्पाद

†*३७७. **श्री तंगामणि :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री कालिका सिंह :
श्री जनिचन्द्रन :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम उत्पादों के आयात में मितव्ययिता करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि है, तो प्रस्ताव क्या है और ऐसे उपायों के क्या कारण हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) पैट्रोलियम उत्पादों के आयात में मितव्ययिता करने के कुछ प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ख) इस अवस्था में इन प्रस्तावों का ब्यौरा बताना लोक हित में नहीं होगा ।

जामा मस्जिद

*३७८. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जामा मस्जिद की मरम्मत के लिये आगरा, जयपुर तथा जोधपुर से कई राज बुलाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन की संख्या कितनी है ;

(ग) जामा मस्जिद के किस भाग की मरम्मत होगी ;

(घ) इस पर कितना व्यय होगा ; और

(ङ) मस्जिद की मरम्मत में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). माननीय सदस्यों का ध्यान प्रश्न संख्या १९०, १८ अगस्त १९५८ को दिये गये जवाब की ओर दिलाया जाता है ।

(ङ) अंदाजन ६४ प्रतिशत काम पूरा हो गया है ।

इस्पात उत्पादन

†३७९. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८ के दौरान में देश का इस्पात उत्पादन कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की वर्त्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिये उत्पादन की दर संतोषप्रद है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) १९५८ के आधे वर्ष लगभग ३३,००० टनों की कमी हुई है।

(ग) जी, नहीं।

केन्द्रीय भारतीय औषधीय जड़ी बूटी संगठन

*३८० **श्री पद्म देव** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय भारतीय औषधीय जड़ी बूटी संगठन कब तक स्थापित किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : उम्मीद है कि सिम्पो या (केन्द्रीय भारतीय औषधीय जड़ी बूटी संगठन) दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में स्थापित हो जायेगा।

रूमानिया से मिट्टी का तेल

†*३८१. { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** :
श्री साधन गुप्त :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूमानिया सरकार भारत द्वारा चुकाई जाने वाली हाल की कीमतों से कम कीमतों पर भारत को मिट्टी का तेल तथा हाई स्पीड डीजल आयल बेचने को तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). रूमानिया सरकार का मिट्टी का तेल तथा हाई स्पीड डीजल आयल बेचने का प्रस्ताव परीक्षाधीन है। इस अवस्था में प्रस्ताव के ब्यौरों को बताना लोक हित में नहीं है।

प्रविधिक कर्मचारियों सम्बन्धी आवश्यकतायें

†*३८२. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की बड़ी बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के लिये प्रविधिक कर्मचारियों सम्बन्धी आवश्यकताओं का विस्तृत अध्ययन गृह-कार्य मंत्रालय के जन शक्ति निदेशालय द्वारा अन्य मंत्रालयों के सहयोग से शीघ्र ही किया जायेगा ;

(ख) यदि किया जायेगा तो कब ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). समय समय पर जब ऐसी परियोजनायें चालू की जाती हैं तब ऐसा अध्ययन किया जाता है। सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों तथा भारी विद्युत् उपकरण संयंत्र[1] की जन शक्ति की जरूरतों का विस्तृत अध्ययन पहिले ही किया जा चुका है। विभिन्न मंत्रालयों में अन्य बड़ी परियोजनाओं के सम्बन्ध में उसी प्रकार का अध्ययन हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Heavy Electrical Equipment Plant.

रूरकेला में सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्य

†*३८३. **श्री मुरारका :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला में रोलिंग मिलों से सम्बन्धित सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्य के लिये पश्चिमी जर्मनी से कोई खास उपकरण किराये पर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ; और

(ग) इस उपकरण के किराये के लिये कितनी रकम देनी पड़ेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) एक्सकेवेटर्स, पम्पस्, लोहा काटने की मशीनें, लोहा मोड़ने की मशीनें, कंक्रीट मिलाने वाली मशीनें, बिजली के आरे, कम्प्रेसर्स, वाइब्रेटर्स, क्रालर शॉवेल्स, ट्रकों में लगे हुए क्रेन, टर्निंग लेथ, ड्रिलिंग मशीनें, ग्राइंडिंग मशीनें आदि।

(ग) (१) काम में लगे हुए उपकरणों के लिये खरीद मूल्य का ३·२५ प्रतिशत प्रति माह।

(२) अनुपयोगी रहने पर खरीद मूल्य का १·७ प्रतिशत प्रति माह।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश

†*३८४. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री निम्नलिखित बातें बतलाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) १ अप्रैल, १९५८ से अब तक नियुक्त किये गये उच्च-न्यायालयों के न्यायाधीशों की (प्रत्येक उच्च न्यायालय में) संख्या ; और

(ख) उन में से कितने किसी राज्य के बाहर से नियुक्त किये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त):** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी बतलाने वाला एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २ अनुबन्ध संख्या ८६]**

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

*†३८५. **श्री दो० चं० शर्मा :**
श्री राधा रमण :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री कालिका सिंह :
श्री कुमारन :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री सूपकार :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बन्धित मुदालियर जांच

---

†मूल अंग्रेजी में

समिति की रिपोर्ट की परीक्षा कर ली है ;

(ख) इस समिति के सुझावों को अपनाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ; और

(ग) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ के लागू हो जाने से विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्य संचालन में किस प्रकार के सुधार हुए हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (ग). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८७**] ।

दिल्ली के स्कूल

†*३८६. **श्री तंगामणि :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में दिल्ली में स्कूलों की पक्की इमारतें बनाने के लिये कितनी रकम की व्यवस्था की गई है ; और

(ख) आज तक दिल्ली में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में कितने नये स्कूल बनाये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १३९·२० लाख रुपये ।

(ख) मार्च, १९५८ तक तीन स्कूल बने हैं और दिसम्बर, १९५८ तक २७ स्कूलों के पूरे होने की आशा है ।

नया हिन्दी व्याकरण

*३८७. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आधुनिक हिन्दी का मूल व्याकरण प्रकाशित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठित विद्वानों को उन के विचार जानने के लिये भेजा गया था ;

(ग) यदि हां, तो उन्होंने क्या विचार व्यक्त किये हैं ; और

(घ) यह व्याकरण किन किन भाषाओं में प्रकाशित किया गया है अथवा किया जाने वाला है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) हां। व्याकरण अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नहीं, क्योंकि यह व्याकरण इस उद्देश्य से नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा ही तैयार किया गया है। फिर भी प्रसिद्ध हिन्दी विद्वानों की सम्मतियां मांगी जा रही हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इसका हिन्दी रूपान्तर तैयार हो रहा है, और अन्तिम रूप से तैयार होते ही वह प्रकाशित कर दिया जायेगा। उसे किसी अन्य प्रादेशिक भाषा में प्रकाशित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

अतिवयस्क अधिकारी[1]

†*३८८. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री हेम बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार में १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक कुल कितने अतिवयस्क अधिकारियों को फिर से नौकरी पर लिया गया है ;

(ख) क्या उन्हें फिर से नौकरी पर रखने की कोई शर्त विहित की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और वह यथासमय सभा पटल पर रखी जायेगी।

(ख) और (ग). अतिवयस्क अधिकारियों के दक्ष बने रहने पर ही उन्हें उतने समय के लिये ही नौकरी पर रखा जाता है जितने के लिये उन की आवश्यकता होती है। उन की सेवा अवधि एक माह की पूर्व सूचना दे कर खत्म की जा सकती है।

औद्योगिक कर्मचारी

†*३८९. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय सरकार के अधीन अलग से सेवा आचरण नियमावली बनाई जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कैसी कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). यह मामला विचाराधीन है।

खनन् निगम

†*३९०. **श्री वि० चं० शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जापान को लौह अयस्क का निर्यात करने के लिये एक राज्य खनन् निगम स्थापित करने की संभावना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Superannuated officers.

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

दिल्ली में लड़कियों के कालेज

*३९१. **श्री पद्म देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा अलग-अलग लड़कियों के कितने कालेज चलाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बहुत सी लड़कियों को कालेजों में प्रवेश नहीं मिल पाता है ;

(ग) क्या सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिये किसी योजना पर विचार कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो वह क्या है ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ङ) तक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८८]**

दिल्ली में बर्फ की कीमत

६५७. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में गर्मियों के महीनों में बर्फ की कीमत चढ़ जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) गर्मी के महीनों में उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर बर्फ मिल सके, इस के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) जी हां, आम तौर से ऐसा ही होता है ।

(ख) बर्फ का व्यापार मौसमी होता है । बर्फ की कीमत उस की रसद और मांग पर निर्भर करती है । गरमी के दिनों में बर्फ की मांग बढ़ जाती है और इसीलिये उस की कीमत भी आम तौर से बढ़ जाती है ।

(ग) बर्फ की समस्या बहुत मामूली होने के कारण, उस की बिक्री, वितरण, कीमत और उस को इकट्ठा करके रखने पर कोई कंट्रोल नहीं है । इस के व्यापार को रेग्यूलेट करने के लिये कोई खास उपाय करने की जरूरत नजर नहीं आती ।

दुर्गापुर में स्टील फैब्रीकेटिंग शॉप

†६५८. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में एक स्टील फैब्रिकेटिंग शॉप खोलने के लिये अब कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). जी नहीं। विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति के कारण यह प्रस्ताव फिलहाल उठा रखा गया है ।

"सैनिक समाचार"

†६५९. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "सैनिक समाचार" के प्रकाशन में कितनी रकम प्रति वर्ष खर्च की जाती है ;

(ख) इस प्रकाशन के लिये कितने कर्मचारी रखे गये हैं ; और

(ग) इस की मासिक बिक्री कितनी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) संपादकीय एवं अन्य कर्मचारी वर्ग के खर्च को मिलाकर सन् १९५७-५८ में खर्च की गई कुल रकम ४,५२,२१८ रुपये थी ।

(ख) ६५ ।

(ग) प्रति प्रकाशन अर्थात् प्रति सप्ताह उस की १०,००० प्रतियां बिकती हैं । इन में से अधिकांश प्रतियां मेसों और पुस्तकालयों को जाती हैं । अतएव पाठकों की संख्या अधिक है ।

कुटुम्ब के निर्वाह के लिये भारत को धन-विप्रेषण

†६६०. { **श्री दामानी** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय राष्ट्र-जनों द्वारा भारत को कुटुम्ब के निर्वाह के लिये भेजे जाने वाले धन विप्रेषणों को कम करने का निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कमी किस प्रकार की है ; और

(ग) इसी प्रकार के धन विप्रेषणों को पाकिस्तान भेजने के बारे में भारत सरकार का क्या रुख है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

(ग) सरकार का वर्तमान ५० रुपये प्रति माह की सीमा को बदलने का कोई विचार नहीं है ।

आर्डनेंस डिपो में फालतू सामान

†६६१. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १९५६-५७ और १९५७-५८ में विभिन्न आर्डनेंस डिपो में नीलाम किये गये फालतू सामान की कीमत बताने की कृपा करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : सन् १९५६-५७ और १९५७-५८ में विभिन्न आर्डनेंस डिपो में नीलाम किये गये फालतू सामान की कीमत निम्नलिखित है :—

	वर्ष १९५६–५७	१९५७–५८
पुस्त मूल्य . . .	१०४५ लाख रुपये	९२१ लाख रुपये
बिक्री मूल्य	२१८ लाख रुपये	२५३ लाख रुपये

उत्तर प्रदेश की परियोजनायें

†६६३. **श्री स० म० बनर्जी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५८-५९ की अवधि के लिये उत्तर प्रदेश की विविध परियोजनाओं के लिये कुल कितनी रकम मंजूर की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : १८ तारीख को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९१ के उत्तर में यह बताया गया था कि विकास योजनाओं के लिये राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार सन् १९५८-५९ में उत्तर प्रदेश विकास योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता उन विभिन्न प्रशासक मंत्रालयों के द्वारा मंजूर की जायेगी जो कि परियोजनाओं से संबंधित हैं। यह सहायता १९५८ की फरवरी के बाद के भाग में ही दी जायेगी।

दिल्ली के सरकारी बुनियादी स्कूलों के शिक्षक

†६६४. **श्री वासुदेवन् नायर**: : क्या **शिक्षा** मंत्री ६ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी बुनियादी स्कूलों के शेष शिक्षक स्थायी कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उन को स्थायी बनाने के लिये जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) अभी तक स्थायी नहीं किये गये ।

(ख) औपचारिकताओं को यथासंभव शीघ्र पूरा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत आयोग तथा समितियां

६६५. **श्री पांगारकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री उन आयोगों तथा समितियों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन ने १ अप्रैल से ३१ जुलाई, १९५८ तक की अवधि में शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत काम किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट, २ अनुबन्ध संख्या ८९**]

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई में माध्यमिक शिक्षा

†६६६. **श्री पांगरकर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७-५८ में बम्बई सरकार को माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने के लिये कितनी रकम नियत की गई थी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** ३५,७३,७५१ रुपये ।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के कर्मचारी

†६६७. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७-५८ तथा १ जून, १९५८ तक राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली, के कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तृतीय श्रेणी में और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी, द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत किये गये हैं ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** १ जनवरी १९५७ से १ जून, १९५८ तक की अवधि में की गई पदोन्नतियां इस प्रकार हैं :—

चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में . . .	२५
तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में	८

सैनिक इंजीनियरिंग सेवा के औद्योगिक कर्मचारी

†६६८. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जून, सन् १९५८ तक सैनिक इंजीनियरिंग सेवा के कितने औद्योगिक कर्मचारियों को स्थायी बनाया गया है ?

(ख) कितनों का अभी भी स्थायी बनाया जाना बाकी है ?

(ग) उन को स्थायी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) ६८९३ ।

(ख) १६५२

(ग) व्यक्तिगत लोगों का स्थायी बनाया जाना निम्नलिखित कारणों से विचाराधीन है :—

(एक) औद्योगिक कर्मचारियों के विशेष वर्गों में पदोन्नति का सीधा रास्ता होने का निर्णय ; और

(दो) अनुसूचित जातियां/अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों का न मिलना ।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में असैनिक कर्मचारी

†६६९. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में १०० रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले कितने असैनिक कर्मचारी हैं ; और

(ख) ऐसे कितने असैनिक कर्मचारी हैं जिन्हें १०० से अधिक मासिक वेतन मिलता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) १-१०-१९५७ को २,१२,४१३ असैनिक कर्मचारी थे ।

(ख) १-१०-१९५७ को ४३,५३९ असैनिक कर्मचारी थे। १-७-१९५८ तक की जानकारी एकत्रित की जा रही है और ज्योंही पूरी जानकारी मिल जायेगी, त्योंही उसे लोक सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में औद्योगिक कर्मचारी

†६७०. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में काम करने वाले कितने औद्योगिक कर्मचारी १ जून, १९५८ तक क्षय रोग से पीड़ित थे ; और

(ख) उन में से कितने सेनीटोरियम भेजे गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती

६७१. **श्री क० दे० मालवीय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ और १९५७-५८ में संघ लोक सेवा आयोग ने प्रत्येक मंत्रालय के कुल कितने पदों का साक्षात्कार (इंटरव्यू) द्वारा भर्ती करने के लिये विज्ञापन दिया था ;

(ख) उक्त पदों के लिये प्रत्येक (मंत्रालय में) कितने ऐसे उम्मीदवार चुने गये, जो विज्ञापित पदों पर पहले ही से काम कर रहे थे ; और

(ग) उन में से ऐसे (प्रत्येक मंत्रालय में) कितने हैं जिन्होंने साक्षात्कार की तिथि तक उसी पद पर एक साल से अधिक सेवा की हुई थी ?

गृह-मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क), (ख) और (ग). मांगी हुई सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी जल्दी हो सकेगी वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थानों का रक्षण

†६७२. **श्री सिदय्या** : क्या शिक्षा मंत्री १ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन, दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये स्थान रक्षित करने का प्रश्न अन्तिम रूप से तय हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

होशियारपुर के समीप विमान दुर्घटना

†६७३. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ८ मई, १९५८ को होशियारपुर के निकट तूफानी विमान के दुर्घटना ग्रस्त हो जाने के लिये नियुक्त किये गये जांच न्यायालय ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख) . जी हां । तूफानी विमान का चालक फ्लाइंग आफिसर डी० एस० बजाज, जो दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त था, ८ मई, १९५८ को सेना समन्वय अभ्यास में भाग ले रहा था दुर्घटना का कारण विमान चालक के निर्णय में तनिक सी गलती का हो जाना है ।

भिलाई इस्पात संयंत्र के लिये रूसी ऋण

†६७४. **श्री राम कृष्ण :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र के लिये रूस से कुल कितना ऋण लिया गया है जो फिलहाल शेष है ; और

(ख) भुगतान की तारीख कौन सी है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सोवियत रूस मुख्य संयंत्र और उपकरण एवं ६३०७·६ लाख रुपये के मूल्य का ६०,००० टन वाला इस्पात के ढांचे का सम्भरण ऋण पर करेगा जिस का भुगतान बारह बराबर वार्षिक किस्तों में किया जा सकेगा और जिस पर २½ प्रतिशत वार्षिक व्याज देना होगा । इसी प्रकार सोवियत रूस में इंजीनियरों और टेक्नीशियनों के प्रशिक्षण पर किये गये व्यय का भुगतान भी बारह वार्षिक किस्तों में किया जायेगा । जुलाई, १९५८ के अन्त तक ३ करोड़ ५० लाख रुपये का सम्भरण प्राप्त हो चुका है । वहां की सरकार को १४२·३ लाख रुपयों का मूल के रूप में और १४.७ लाख रुपयों का ब्याज के रूप में भुगतान किया जा चुका है ।

(ख) लागत भाड़ा सहित माल की प्रत्येक किश्त मिल जाने पर ही ऋण लिया जाता है जिस का भुगतान प्रत्येक वर्ष के १५ मार्च को अथवा उससे पूर्व, जिस वर्ष ऋण लिया जाता है उससे आगे वाले वर्ष में, करना पड़ता है । जिस दिन ऋण लिया जाता है उसी दिन से व्याज लगता है । चूंकि संभरण १९५६—५९ में किया जाना है, इस कारण मूलधन और ब्याज का भुगतान १५ मार्च, १९७१ तक कर दिया जायेगा ।

पंजोर गार्डन और कुतुब मीनार

†६७५. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में निम्न की देख-भाल पर कितनी राशि व्यय की गई :—

(१) पंजाब के पंजोर गार्डन ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) दिल्ली की कुतुब मीनार; और

(ख) १९५८-५९ में कितनी राशि व्यय करने का अनुमान है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) (१) ८,५५८·३१ रुपये ।

(२) ७,१२८ रुपये ।

(ख) (१) १०,३४० रुपये ।

(२) ६,००० रुपये ।

कोयला धोने के कारखाने

†६७६. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में धातु-कार्मिक कोयले के संरक्षण की दृष्टि से कोयला धोने के चार कारखाने स्थापित करने की योजना पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) सरकारी क्षेत्र में तीन नये इस्पात के संयंत्रों के लिये और गैर सरकारी क्षेत्र में वृद्धिगत इस्पात संयंत्रों में धुले हुए कोयले की आवश्यकता का अनुमान लगभग ९० लाख टन लगाया गया है ।

इस में से ५०० टन कोयला धोने वाला कारखाना, जो राष्ट्रीय, कोयला विकास निगम द्वारा कारगली में स्थापित किया जा रहा है, रूरकेला को ११ लाख और भिलाई को ५० लाख टन कोयला देगा ।

टाटा के दो कोयला धोने के कारखाने हैं—एक पश्चिम बोकारो में और दूसरा जमादोबा में, जिस में कुछ सुधार किये जाने से वह १½ लाख टन धुले हुए कोयले का संभरण करने लगेगा । लोदना में कोयला धोने का कारखाना जो इंडियन आयरन एण्ड स्टील को संभरण करता है उस का उत्पादन २ लाख २० हजार टन है ।

कारगली में कोयला धोने का कारखाना स्थापित हो जाने और टाटा कोयला धोने के कारखाने में सुधार हो जाने से शेष लगभग ५५ लाख टन की क्षमता पूरी करनी होगी । दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र का जो संविदा किया गया है उसमें झरिया के कोयले को धोकर उसकी आवश्यकता पूरी करनी है । इस कोयले को बराकर और दिशेरगढ़ के बिना धुले कोयले से मिलाया जायेगा जो स्वयं ही धातु कर्मिक प्रयोजन के लिये उपयुक्त नहीं है ।

लगभग ४८ लाख टन शेष कोयले की पूर्ति तीन कोयला धोने के कारखानों की स्थापना करने से होगी जो दुग्धा, भोजुदीह और पथेरदीह में स्थापित किये जायेंगे । दुग्धा में स्थापित कारखाना

†मूल अंग्रेजी में

झरिया का धुला हुआ कोयला सामान्य रूप से भिलाई और रूरकेला को देगा, भोजुदीह का कारखाना टाटा आयरन एण्ड स्टील वर्क्स को तथा पथेरदीह का कारखाना इण्डियन आयरन एण्ड स्टील वर्क्स को सम्भरण करेगा ।

दुग्धा कोयला धोने के कारखाने के लिये संयंत्र और उपकरणों का संभरण करने के बारे में विश्व से प्राप्त भावों की जांच की जा रही है और कुछ ही दिनों में निर्णय किया जाने वाला है । कोयला धोने के कारखानों की क्षमता लगभग ५०० टन प्रति घंटा होगी और १९६० के अन्त तक काम करने लगेगा । तब तक झरिया के बिना धुले कोयले में करगली के धुले कोयले से मिला कर भिलाई और रूरकेला संयंत्रों में इसका इस्तेमाल किया जायेगा । भोजुदीह कारखाने के प्रमापों का अन्तिम निर्णय किया जा चुका है और संयंत्र एवं उपकरण आदि के सम्भरण के लिये शीघ्र ही टेंडर मांगे जायेंगें । पथेंरदीह को सम्भरण किये जाने वाला कोयला कैसा धुला होता है इसकी जांच जीलगोरा की केन्द्रीय ईंधन गवेषणा संस्था में किया जा रही है ।

पंजाब में प्रादेशिक भाषायें

†६७७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये पंजाब राज्य को १९५८-५९ में कितनी सहायतानुदान दिया गया है; और

(ख) इसका उपयोग किन किन मदों में किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायुन कबिर)** : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है ।

पंजाब के बहुप्रयोजनीय स्कूल

†६७८. **श्री राम कृष्ण** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में १९५८-५९ के दौरान में ज़िलेवार बहुप्रयोजनीय स्कूलों के लिये कितनी सहायता मंजूर की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : नई प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकारों को उनकी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये अनुदान वित्त मंत्रालय द्वारा "उपाय और माध्यम" अग्रिम के रूप में दिया जाता है । इस प्रकार जो राशि दी जाती है उसका तीन चौथाई अंश नौ मासिक किश्तों में मिलता है, जो मई, १९५८ से आरम्भ होता है । अन्तिम मंजूरी फरवरी, १९५९ में दी जायेगी । अनुदान ज़िलावार नहीं दिया जाता है ।

गिरडीह कोयला खान

†६७९. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गिरडीह वर्ग की कोयला खानों के बहुत से अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को उन्हें ५ या ७ वर्ष अवकाश प्राप्त किये बीत जाने पर भी उन्हें अभी तक एस० आर० पी० एफ० में जमा की गई राशि एवं उपदान का भुगतान नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). इन कोयला खानों का स्वामित्व और व्यवस्था राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई थी, जिसका पूर्णरूपेण वित्त पोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा १ अक्तूबर, १९५६ से किया जा रहा है। निगम से पता चला है कि एस० आर० पी० एफ० में जमा की गई राशि और उपदान बहुत से लोगों को दे दिया गया है किन्तु लगभग १२० अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को यह राशि इस कारण नहीं दी जा सकी है कि स्थायी पदों पर उनकी पुष्टि अभी विचाराधीन है या जिस पदाली में उन्हें दिखाया जाना चाहिये उस पर अन्तिम निर्णय नहीं हो सका अथवा प्रथम केन्द्रीय वेतन आयोग ने उनके लिये जिस उपयुक्त वेतन क्रम की सिफारिश की है उसका अभी निर्णय नहीं हो सका है। अब इन प्रश्नों का अन्तिम रूप से निबटारा होने वाला है। निगम से पता लगा है कि गिरडीह कोयला खानों के अधीक्षक से इन अनिर्णीत मामलों पर प्रति मास पुनर्निरीक्षण करने के और अविलम्ब ही भुगतान करने के लिये कह दिया गया है। उनकी ओर से सरकार प्रगति पर कड़ी निगाह रखेगी।

केरल आदिम जातियों का कल्याण

†६८०. **श्री कोडियान** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार को केन्द्र द्वारा आदिमजातियों के कल्याण के लिये चलाई गई योजना को कार्यान्वित करने के लिये १९५७ में और १९५८ के प्रथमार्द्ध वर्ष के लिये कुल कितनी राशि दी गई है; और

(ख) किन योजनाओं के लिये यह राशि दी गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में आदिमजातियों के कल्याण के लिये केन्द्र द्वारा चलाई गई योजना को कार्यान्वित करने के लिये केरल सरकार को ४·४७ लाख रुपये की राशि दी गई थी। चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजन के लिये परीक्षात्मक रूप से अधिक से अधिक ५.०५ लाख रुपये की राशि निश्चित कर दी गई है। संशोधित प्रक्रिया के अधीन, सहायतानुदान अर्द्धवार्षिक न दिया जाकर वित्त मंत्रालय द्वारा वास्तविक व्यय में अन्तिम रूप से समायोजित कर देने के आधार पर उपाय और माध्यम अग्रिम के रूप में मासिक दिया जाता है।

(ख) एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९०]**

तस्कर व्यापार निरोधक कार्यों पर व्यय

†६८१. **श्री कोडियान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ और १९५८ के प्रथमार्द्ध में तस्कर व्यापार निरोधक कार्यों पर कुल कितना व्यय किया गया था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : चूंकि लेखे का कोई ऐसा शीर्ष नहीं है जिसके अन्तर्गत तस्कर व्यापार निरोधक कार्यों पर किया गया व्यय दिखाया जा सके, अतः लेखे में अलग से यह राशि नहीं दिखाई जाती। न ही ठीक ठीक इस राशि को दिखाया जा सकता है क्योंकि तस्कर व्यापार निरोधक कार्य के लिये नियुक्त किये गये कर्मचारियों के अलावा क्षेत्र कुछ कर्मचारी विभिन्न कार्यों में लगाये जाते हैं जिनमें शुल्क निर्धारण तथा उनकी वसूली भी सम्मिलित है। अतः तस्कर व्यापार निरोधक कार्यों पर व्यय की गणना कुछ मोटे सिद्धान्तों पर ही की जा सकती है। स्वभावतः इसमें कुछ समय लगेगा। जानकारी एकत्र की जा रही है और हयथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये रेज़ीडेन्ट डायरेक्टर

†६८२. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये एक रेज़ीडेन्ट डायरेक्टर की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस डायरेक्टर की शक्तियां और कार्य क्या होंगे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). वह हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड, बोर्ड के डायरेक्टर हैं जो रूरकेला के निवासी हैं और जो कम्पनी के निदेशक होने के साथ ही साथ महा प्रबन्धक की शक्तियां और कार्यों का निष्पादन भी करते हैं । यह नियुक्ति प्रशासकीय कारणोंवश की गई है ।

तीन वर्ष का स्नातक पाठ्य-क्रम

†६८३. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री शिवचंजप्पा :
श्री पंगारकर :
श्री हेम बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री २ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४१९ के उत्तर के सम्बन्ध में एक ऐसा विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें दिखाई गई हों :

(क) तीन वर्ष के स्नातक पाठ्य-क्रम को लागू करने में आगे की गई प्रगति;

(ख) योजना के अधीन केंद्रीय सहायता की कहां तक आवश्यकता होगी इस पर राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों के विचार;

(ग) 'तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम प्राक्कलन समिति' की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में कठिनाइयों का अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गई आठ व्यक्तियों वाली समिति की क्या सिफारिशें हैं;

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या अन्तिम निर्णय किया है; और

(ङ) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये प्रत्येक विश्वविद्यालय को अब तक कितना अनुदान दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ङ). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखियें परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम में तेल के नए कुएं

†६८४. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण

क्या इस्पात खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में अब तक कुल कितने तेल के कुंएं खोदे गये हैं ;

(ख) ये कुंएं किन किन स्थानों पर खोदे गये हैं; और

(ग) इन कुंओं में कुल कितना तेल निकला है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) १,०८७ ।

(ख) दिग्बोई, बदरपुर, नाहरकाटिया मेन, नाहरकाटिया एक्सटेंशन, हुगरीजन और मोरन क्षेत्र ।

(ग) ६०५ लाख पीपे ।

प्राचीन वस्तुओं का सर्वेक्षण

†६८५. सरदार इकबाल सिंह : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री ६ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरातत्व विभाग द्वारा देश की प्राचीन वस्तुओं और संग्रहालयों के किये जाने वाले सर्वेक्षण के संबंध में कितनी प्रगति की गई है; और

(ख) इस पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर) : (क) जुलाई, १९५८ के अन्त तक १७,७७६ गांवों का सर्वेक्षण किया गया था ।

(ख) जुलाई, १९५८ के अन्त तक १,७१,५८९ रुपये ।

पंजाब में किले और महल

६८६. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में ऐतिहासिक महत्व के कुछ किलों और महलों को भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा अपने अधिकार में लिये जाने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के स्कूलों में प्रवेश

†६८७. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के स्कूलों में पिछले सेशन की तुलना में इस वर्ष चालू सेशन के आरम्भ में कितने और अधिक स्थान बढ़ाने की व्यवस्था की गई है;

(ख) दिल्ली में स्कूल जाने वाले ऐसे छात्रों की कितनी संख्या है जिन को चालू सेशन के आरम्भ में स्कूलों में प्रवेश नहीं मिला; और

(ग) उन्हें शिक्षा सम्बन्धी सुविधा देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ३१,२६९ ।

(ख) हमारी जानकारी में एक भी नहीं ।

(ग) प्रश्न उनपन्न नहीं होता ।

जहाजों की जब्ती

६८८. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ और १९५८ में अब तक कौन कौन से और कितने जहाज जब्त कर लिये गये हैं;

(ख) इस जब्ती के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या बाद को ये जहाज छोड़ दिये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९२]

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, १९५८

†६८९. श्री सूपकार : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे राज्य अथवा संघ क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनमें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, १९५८ पहले से ही विद्यमान है अथवा उसे लागू किया जा रहा है; और

(ख) अधिनियम को लागू करने के लिये इन राज्यों में अब तक क्या प्रबन्ध किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख). यह अधिनियम अभी तक किसी राज्य अथवा संघ क्षेत्र में इसलिये लागू नहीं किया गया है कि अधिनीयम के अधीन अभी नियम बनाने को हैं ।

आसाम तेल क्षेत्रों से अशोधित तेल (क्रूड आयल) का भेजा जाना

†६९०. श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री शिवचंजप्पा :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के इन्टरनेशनल पैट्रोलियम कन्सलटैंट्स ने आसाम तेल क्षेत्रों से गौहाटी के प्रस्तावित तेल शोधक कारखानों को अशोधित तेल (क्रूड आयल भेजने की परियोजना के सम्बन्ध में सरकार के पास अपना प्रतिवेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन की जांच की जा चुकी है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाई की गई है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० डे० मालवीय): (क) जी हां।

(ख) जांच की जा रही है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत का जीवन बीमा निगम

†६९१. श्री दामानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को उन की सेवा के अतिरिक्त अपनी निजी एजेंसी में अन्य एजेंटों की भांति बीमा करने की अनुमति निगम द्वारा दे दी गई है;

(ख) यदि हां तो उस के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस से निगम के कर्मचारियों की सामान्य कुशलता पर कोई असर पड़ता है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां प्रशासकीय कर्मचारी वर्ग के अधीक्षक[1] से निम्न पद के लोगों को अन्य एजेंटों की भांति अपने निजी नाम से बीमा व्यवसाय का प्रचार करने की अनुमति दे दी गई है ।

(ख) यह रियायत उन्हें तब तक की बीमा कम्पनियों द्वारा दी गई थी और निगम ने "निश्चित तिथि" के पश्चात् इस सुविधा को वापस ले लेना उचित नहीं समझा ।

(ग) जी नहीं । जीवन बीमा व्यवसाय का प्रचार कार्य कार्यालय के काम के अतिरिक्त समय में किया जाता है और चूंकि ये कर्मचारी अपना दैनिक कृत्य किस प्रकार का है और यह समझते हैं, इस कारण उन की कुशलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Superintendent.

दिल्ली प्रशासन

६९२. { श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार विरोधी विभाग ने दिल्ली प्रशासन के कई अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) २० अधिकारियों को सजायें दी गईं, एक को इस्तीफा देने की इजाजत दे दी गई और बाकी मामले अभी विचाराधीन हैं ?

भारतीय विश्वविद्यालयों की डिग्रियां

†६९३. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन विदेशी विश्वविद्यालयों ने अभी तक भारतीय विश्वविद्यालयों की डिग्रियों को मान्यता नहीं प्रदान की है; और

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). उन विदेशी विश्वविद्यालयों के बारे में, जो भारतीय विश्वविद्यालयों की डिग्रियों को मान्यता नहीं देते, ब्यौरेवार जानकारी उपलब्ध नहीं है । लेकिन आमतौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय छात्र अग्रेतर अध्ययन के लिये साधारणतया जिन देशों में जाते हैं उन देशों, अर्थात् ब्रिटेन, अमरीका, आस्ट्रेलिया और कनाडा में भारतीय डिग्रियों को मान्यता प्राप्त है ।

निवृत्ति-वेतन के मामले

†६९४. **श्री डामर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रति वर्ष औसतन कितने कर्मचारियों को निवृत्ति-वेतन (पेन्शन मिलने) लगता है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथासमय सभा की मेज पर रख दिया जायेगा ।

मध्य प्रदेश की आदिम जातियां

६९५. **श्री डामर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने १९५८–५९ में मध्य प्रदेश सरकार को अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये कितनी राशि दी; और

(ख) उक्त धन से कौन-कौनसी योजनायें कार्यान्वित करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) इस काम के लिये मध्य प्रदेश को ९१·२६ लाख रुपये की रकम दी गई है।

(ख) राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस साल पूरी करने के लिये जो योजनायें मंजूर की हैं उनकी सूची अभी नहीं मिली है। उसके प्राप्त होते ही वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग, उड़ीसा

†६९६. **श्री संगण्णा** : क्या **वित्त** मंत्री २ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में और आगे कुछ प्रगति हुई है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) कटक में कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण करने के लिये भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाही तब से पूरी की जा चुकी है और उसे ले लेने के सम्बन्ध में आदेश शीघ्र ही जारी कर दिये जायेंगे।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पब्बर नदी (हिमाचल प्रदेश) पर पुल

६९७. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २८ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पब्बर नदी पर पुल बनाने के लिये अन्तिम रूप से कोई स्थान चुन लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक बनना आरम्भ हो जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं। हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने एक उचित स्थान पर पुल बनाने के सवाल को केन्द्रीय परिवहन और यातायात मंत्रालय के पास उनकी सलाह के लिये भेज दिया है।

(ख) इस बारे में परिवहन और यातायात मंत्रालय से जवाब आने पर चालू वित्तीय वर्ष में ही पुल बनाने का काम शुरू करने का विचार है।

हिमाचल प्रदेश में निवृत्ति वेतन के मामले

६९८. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १५ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवृत्ति वेतन पाने वाले उन २६ व्यक्तियों के सम्बन्धियों को, जो निवृत्ति वेतन सम्बन्धी दावों के बारे में निर्णय होने के पूर्व ही मर गये, निवृत्ति वेतन सम्बन्धी उनके दावों के बारे में निर्णय हो जाने के बाद कोई निवृत्ति वेतन दिया जायेगा;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उन लोगों के निवृत्ति वेतन के मामलों को, जिनके मामले अभी विचाराधीन हैं, शीघ्र निबटाने की व्यवस्था की गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि उन व्यक्तियों में, जिनको अभी तक निवृत्ति वेतन नहीं मिला है, केवल भूतपूर्व राज्यों के कर्मचारी ही नहीं हैं अपितु अन्य कर्मचारी भी हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां, स्वर्गीय पेंशनरों के कानूनी उत्तराधिकारियों या उनके द्वारा नामजद किये गये व्यक्तियों को पेंशनर के रिटायर होने की तारीख से उसकी मृत्यु की तारीख तक की पेंशन की रकम दी जायेगी। इसके साथ साथ उन्हें डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी भी नियमानुसार मिलेगी।

(ख) जी हां, पेंशन के जिन मामलों का अभी कोई फैसला नहीं हुआ है उन्हें जल्दी निबटाने के लिये हिमाचल प्रदेश प्रशासन के वित्त विभाग में एक आफीसर आन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया है जो जिले के सदर मुकामों और दूसरे स्थानों पर स्थित विभिन्न सम्बन्धित कार्यालयों में जहां भी जरूरत होगी वहां स्वयं जाकर मौके पर ही इन मामलों को निबटाने में सहायता करेगा।

(ग) जी हां।

सतर्कता सम्बन्धी नियम-संग्रह[1]

†६९९. **पंडित द्वा० ना० तिवारी**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सतर्कता विभाग सतर्कता सम्बन्धी एक नियम संग्रह प्रकाशित करने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां।

(ख) एक प्रति संसद् पुस्तकालय को दे दी जायेगी।

महाराजा वीर विक्रम कालेज अगरताला

†७००. **श्री बांगशो ठाकुर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में अगरताला के महाराजा वीर विक्रम कालेज में लेक्चरारों के कुछ स्थान अब भी खाली हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इस समय बिल्कुल ठीक ठीक क्या स्थिति है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) रिक्त स्थानों के लिये अभ्यर्थियों का इंटर्व्यू और चुनाव हो गया है और इनकी नियुक्ति जल्द ही हो जायेगी।

भू-राजस्व

†७०१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश का वार्षिक भू-राजस्व कुल कितना होता है; और

(ख) भूमि सुधारों के लाग होने के बाद कुल कितना भू-राजस्व जमा होने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Vigilance Manual.

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) १९५७-५८ की भू-राजस्व की निश्चित मांग १७,१७,८३५.४७ रुपयों की थी।

(ख) भूमि सुधारों के लागू किये जाने के फलस्वरूप राजस्व में जमा होने वाली राशि में कुछ उल्लेखनीय अंतर होने की संभावना नहीं है।

अफीम का तस्कर व्यापार

†७०२. श्री रघुनाथ सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों में भारत में अफीम के तस्कर व्यापार के कुल कितने मामले पकड़े गये ?

†वित्त मंत्रालय (श्री मोरारजी देसाई) : मई से जुलाई, १९५८ की अवधि में अफीम के तस्कर व्यापार के ३०३ मामले पकड़े गये थे।

भारत प्रशासन सेवा

†७०३. श्री मोहम्मद इमाम : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ और १९५७–५८ में भारत प्रशासन सेवा के लिये कुल कितने-कितने अभ्यर्थी चुने गये ;

(ख) उन में से अब तक कुल कितने नियुक्त किये गये हैं ; और

(ग) इनके चुनाव के लिये क्या तरीक़ा अपनाया गया था ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख).

परीक्षा का वर्ष	सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा	परीक्षा द्वारा विशेष भर्ती
	नियुक्तियों की संख्या	
१९५६ . .	७७	१०२ चुने गये थे और उनमें से ७२ के पास नियुक्ति के प्रस्ताव भेजे गये हैं।
१९५७ . . .	६४	

(ग) इनका चुनाव भारत प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, १९५४, भारत प्रशासन सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, १९५५ और भारत प्रशासन सेवा (विशेष भर्ती) विनियम, १९५६ में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय केरल आयुर्वेदिक कांग्रेस

†७०४. श्री तंगमणि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय केरल आयुर्वेदिक कांग्रेस से कषाय बनाने के काम आने वाली रेक्टीफाइड स्पिरिट को उत्पादन-शुल्क से छूट देने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अखिल भारतीय केरल आयुर्वेदिक कांग्रेस ने यह अभ्यावेदन किया है कि कषाय बनाने के काम आने वाली रेक्टीफाइड स्पिरिट पर औषधीय और प्रसाधन वस्तु (उत्पादन-शुल्क) अधिनियम, १९५५ (१९५५ का १६) के लागू होने से पहले की कम दर पर उत्पादन शुल्क लिया जाना चाहिये ।

(ख) राज्य सरकारों के परामर्श से इस मसले पर विचार किया जा रहा है ।

इंजीनियरिंग स्कूल

†७०५. सरदार इकबाल सिंह : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति की सिफारिश के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो ६२ स्कूल खोले जाने वाले थे उनमें से कितने ऐसे स्कूल खुलने वाले हैं ; और

(ख) ये स्कूल किन-किन स्थानों पर खोले गये या खोले जाने वाले हैं ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९३]

इम्पीरियल वार-ग्रेव्स कमीशन[1]

†७०७. सरदार इकबाल सिंह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्पीरियल वार-ग्रेव्स कमीशन ने बर्मा में स्मारकों का निर्माण किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ; और

(ग) प्रत्येक स्थान पर भारतीय सैनिकों के कितने कितने स्मारक अथवा कब्रें हैं ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां । इस स्मारक का नाम 'रंगून मैमोरियल' है ।

(ख) रंगून के निकट टौक्कयान युद्धकालीन कब्रगाह में ।

(ग) रंगून मैमोरियल अन्य लोगों के अलावा भारत की अविभाजित सेना के १९,५७६ सैनिकों की स्मृति में है जिनकी कोई ज्ञात कब्रें नहीं हैं । टौक्कयान की युद्ध-कालीन कब्रगाह में भारत की अविभाजित सेना के १,४५९ सैनिक दफ़नाये गये हैं और टौक्कयान क्रिमेशन मैमोरियल अविभाजित भारतीय सेना के उन ९७१ सैनिकों के नाम की स्मृति में है जिनके अवशेषों का वहां दाह-कर्म किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Imperial War Graves Commission.

अल्प बचत योजना

†७०८. सरदार इकबाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र और राज्यों के स्तर पर अल्प बचत योजना के संगठन का १९५८ का किस सीमा तक विस्तार किया गया है ; और

(ख) कितने व्यक्ति और संस्थायें कमीशन पर काम कर रहे हैं और उन्हें कितने प्रतिशत कमीशन दिया जाता है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केवल कुछ अनुसचिवीय पदों को छोड़ कर, जिनकी संख्या ६ है, केन्द्रीय संगठन में कुछ भी विस्तार नहीं हुआ है । लेकिन केन्द्रीय सरकार इस बात के लिये राज़ी हो गयी है कि केन्द्रीय संगठन की मदद करने के लिये राज्य-सरकारें सहायक कर्मचारियों की संख्या बढ़ा लें । अब तक भारत सरकार ने राज्य-सरकारों द्वारा नियुक्त किये जाने के लिये २१० कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति दे दी है जिनमें १७ राजपत्रित और १९३ अराजपत्रित कर्मचारी होंगे ।

(ख) एजेंटों के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की संख्या ५६,००० के लगभग है । एजेंटों को राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाण पत्रों की बिक्री पर १$^{1}/_{4}$ प्रतिशत और राजकोष बचत निक्षेप प्रमाण पत्रों पर $^{1}/_{2}$ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है ।

जर्मनी में भारतीय प्रशिक्षार्थी

†७०९. सरदार इकबाल सिंह : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के संघीय लोकतन्त्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कुछ भारतीय प्रशिक्षार्थी अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह किस-किस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों की संख्या और नाम क्या हैं जिनमें ये प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) और (ख). जी हां ।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारतीय राष्ट्रजन पश्चिमी जर्मनी में ४३८ औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रविधिक विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । इन सभी प्रतिष्ठानों के नाम एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा वह उससे प्राप्त होने वाले लाभ के समनुरूप नहीं होगा ।

आयकर की बकाया

†७१०. सरदार इकबाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयकर की बक़ाया राशि को बट्टे खाते डालने का तरीक़ा क्या है और पिछले पांच वर्षों में कितनी बक़ाया राशि बट्टे खाते डाली गयी है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें स्थिति बता दी गई है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९४]

---

†मूल अंग्रेजी में

सम्पत्ति- कर

†७११. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में ऐसे व्यक्तियों की सम्पत्ति कुल कितने मूल्य की है जिन पर सम्पत्ति-कर अधिनियम, १९५७ के अधीन सम्पत्ति कर लगाया जा सकता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** सम्पत्ति-कर अधिनियम, १९५७ के अधीन जिन व्यक्तियों पर सम्पत्ति-कर लगाया जा रहा है, ३१-७-५८ तक पूरे किये गये निर्धारण कार्य के अनुसार उनकी शुद्ध सम्पत्ति मूल्य का विवरण उस जानकारी के उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दिया जायगा जो एकत्र की जा रही है।

अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आश्रम

†७१२. **{सरदार इकबाल सिंह :**
श्री पांगरकर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बुनियादी शिक्षा के लिये राज्य सरकारों ने आश्रम या सेवाश्रम चला दिये हैं ;

(ख) इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य में ऐसी कितनी संस्थायें और स्कूल खोले गये हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९५]

दिल्ली विश्वविद्यालय

†७१३. **श्री बजोरी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने ट्यूटोरियल क्लासों की एक नयी योजना चालू की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना पर अनुमानित अतिरिक्त व्यय कितना होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह जानकारी दे दी गई है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९६]

(ग) पांच वर्ष की प्रयोग की अवधि में ट्यूटोरियल योजना का पूरा खर्च फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा दिये गये ४२६,००० डालर के अनुदान में से दिया जायेगा। विश्वविद्यालय को पृथक् रूप इस खाते कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर के डाकखाने में चोरी

†७१४. **श्री वाजपेयी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ९ जुलाई, १९५८ को तामेंगलांग परगने (मनीपुर) में हूचोंग के ब्रांच डाकखाने में चोरी हो गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां की गयी हैं ; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं के निवारण के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग) .जी नहीं । लेकिन उसी दिन हूचांग स्कूल में, जिसमें ब्रांच डाकघर सम्बद्ध है, चोरी हो गयी थी और पुलिस इस मामले की छान-बीन कर रही है ।

भारत में विदेशियों के बैंक-खाते

†७१५. **श्री पांगरकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के बैंकों में कितने विदेशियों के खाते हैं ; और

(ख) कुल कितनी राशि जमा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : यह जानकारी तत्काल ही उपलब्ध नहीं है और इस बैंकों से जमा करना पड़ेगा । भारत के रिज़र्व बैंक से इस सम्बन्ध में राय ली गयी थी और उसका ख्याल है कि इस जानकारी को एकत्र करने में बहुत ज्यादा समय और श्रम लगेगा और वह सांख्यिकीय अथवा अन्य प्रयोजनों के लिये इस जानकारी के महत्व की तुलना में कहीं ज्यादा होगा ।

एशियाई खेल-कूद समारोह में भारतीय खिलाड़ी

†७१६. **श्री हेम राज** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष जापान में एशियाई खेल समारोह में कितने भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया ; और

(ख) भारतीय खिलाड़ियों ने कितनी मदों में यश प्राप्त किया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ७१ ।

(ख) भारतीय खिलाड़ियों ने निम्नलिखित मदों में ख्याति अर्जित की :

स्वर्ण पदक (प्रथम स्थान)

२०० मीटर	.	.	श्री मिल्खासिंह
४०० मीटर	.	.	श्री मिल्खासिंह
हाप, स्टाप एण्ड जम्प	.	.	श्री महेन्द्र सिंह
शाट पुट	.	.	श्री प्रद्युम्न सिंह
डिस्कस थ्रो	.	.	श्री बल्कार सिंह

†मूल अंग्रेजी में

रजत पदक (द्वितीय स्थान)

२०० मीटर	. .	कुमारी एस० डिसूज़ा
जैवेलिन थ्रो	. . .	कुमारी ई० जे० डेवन पोर्ट
हाकी	. . .	भारतीय टीम
बाक्सिग	. . .	श्री हरी सिंह

कांस्य पदक (तृतीय स्थान)

डिस्कस थ्रो	. .	श्री प्रद्युम्न सिंह
४०० मीटर रिले	. . .	भारतीय टीम
वालीबाल	.	भारतीय टीम
बाक्सिग	. .	श्री सुन्दर राव

चोरी से माल लाना

†७१७. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बम्बई के सीमा-शुल्क (कस्टम) अधिकारियों ने ११ जुलाई, १९५८ को क्रास द्वीप की तलाशी के दौरान में अमरीकी सिगरेटें अपने क़ब्ज़े में कर ली थीं जो एस० एस० टिमोवो के नाविकों से खरीदी गयी थीं?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: जी हां। ११ जुलाई, १९५८ को बम्बई के निवारक कर्मचारियों ने क्रास द्वीप से आती हुई एक 'टोनी' नौका को रोका। 'टोनी' के आरोहियों ने यह स्वीकार किया कि वह द्वीप पर एस० एस० 'टिमोवो' के नाविकों से खरीदी हुई कुछ अमरीकन सिगरेटों के बंडल छोड़ आये हैं। द्वीप की तलाशी लेने के फलस्वरूप वहां कपड़े के छः बंडल बरामद हुये जिनमें अमरीकी सिगरेटों के कुल ४२९ डिब्बे थे—प्रत्येक डिब्बे में २०० सिगरेटें थीं। इन सिगरेटों को ज़ब्त कर लिया गया है और समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन एस० एस० 'टिमोवो' के सम्बन्धित नाविकों के खिलाफ़ उपयुक्त कार्यवाही भी की गयी है।

राजकुमारी शिक्षण योजना

†७१८. **श्री घोशाल**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजकुमारी शिक्षण योजना के अधीन किस प्रकार की योजनायें ली गयी हैं; और

(ख) इन योजनाओं के अधीन अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुये हैं?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) राजकुमारी शिक्षण योजना का उद्देश्य विभिन्न खेल कूदों के सम्बन्ध में शिक्षण देकर देश में खेलकूद का विकास करना है। इस समय इस योजना के अधीन निम्नलिखित खेलों आदि के सम्बन्ध में विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण देने का उपबन्ध है:

खेल-कूद

हाकी

---

†मूल अंग्रेजी में

टेबिल टैनिस

बास्केट बॉल

टेनिस

फुटबाल

तैराकी

जिमनास्टिक

क्रिकेट

बैडमिंटन

वालीबाल

(ख) इस योजना ने कुछ ऐसे योग्य खिलाड़ियों को तैयार करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है जिन्होंने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में ख्याति प्राप्त की है। दूसरे और तीसरे एशियाई खेलकूद में और पिछले राष्ट्रमण्डलीय खेल कूद में जितने भी खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त किये थे वे सभी इस योजना के अधीन प्रशिक्षण पाये हुये थे।

राजस्थान को शिक्षा संस्थाओं को सहायता

७१९. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक मंत्रालय ने राजस्थान की कितनी शिक्षा संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :

१९५७–५८	१९
१९५८–५९ (अब तक)	७

केरल राज्य को सहायता

†७२०. **श्री इ० ईयाचरण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अराजपत्रित और अन्य कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के लिये १९५७–५८ में केरल राज्य को कितनी राशि दी गयी थी ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये राज्य के अंशदान का अनुपात कितना है ; और

(ग) क्या वह पूरा-पूरा दिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) १९५७–५८ में वित्त मंत्रालय ने ६४,७४,००० (चौंसठ लाख चौहत्तर हजार) रुपये की राशि मंजूर की थी। यह राशि केरल सरकार द्वारा राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों और गैर-सरकारी प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के पारिश्रमिक में वृद्धि पर किये जाने वाले व्यय के दो तिहाई के बराबर थी। यह राशि वास्तविक व्यय के अनुसार घटायी बढ़ायी जा सकेगी।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कुल खर्च का एक तिहाई ।

(ग) परिश्रमिक में वृद्धि मंजूर करने पर होने वाले व्यय पहले पूरी तरह राज्य सरकार को वहन करना होगा । उसके बाद भारत सरकार व्यय के अपने अंश का भुगतान करेगी लेकिन यह भुगतान केन्द्रीय सहायता की शर्तें पूरी होने पर ही किया जायेगा ।

निवेली परियोजना के लिये मशीनें

७२१. श्री थानू पिल्लै :
श्री सुब्बया अम्बलम् :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निवेली लिग्नाइट परियोजना के लिये मशीनों के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

(ख) अब तक कितनी कीमत की मशीनें खरीदी गयीं हैं ; और

(ग) भारत में संभरण करने वालों और उनके एजेंटों के नाम क्या हैं और उन्होंने कितनी कितनी कीमत की मशीनों का संभरण किया है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) निवेली लिग्नाइट परियोजना के लिये मशीनें खरीदने के लिये अब तक कुल लगभग ७४० लाख की राशि मंजूर की गयी है ।

(ख) अब तक कुल ६६९ लाख रुपये की मशीनों के आर्डर दिये गये हैं ।

(ग) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है ।[देखिये परिशिष्ट, २ अनुबन्ध संख्या ९७] ।

लघु सिंचाई परियोजनायें

†७२२. श्री हेम राज : क्या वित्त मंत्री ६ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना परियोजनाओं सम्बन्धी समिति द्वारा नियुक्त सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं सम्बन्धी दल ने लघु सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रतिवेदन आते ही उसकी एक प्रति लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली विश्वविद्यालय

†७२३. सरदार इकबाल सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फोर्ड फाउन्डेशन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के लिये २०,००० डालर की सहायता मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सहायता से कौन सी योजना चलाई जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : २०,००० डालर का अनुदान दिल्ली विश्वविद्यालय को नहीं वरन् भारत में विदेशी टेक्नीशियनों के दिल्ली ट्रेनिंग एण्ड ओरियेन्टेशन सेन्टर को दिया है जो दिल्ली स्कूल आफ इकॉनॉमिक्स सोसाइटी की देखरेख में चलता है और इन टेक्नीशियनों के लिये ओरियेन्टेशन कोर्सों की व्यवस्था करता है।

घी में मिलावट की जांच

†*७२४. { श्री स० म० बनर्जी :
श्री हेम बरुआ :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकीय गवेषणा संस्था (मैसूर) ने घी में मिलावट की जांच करने के लिये बहुत ही सस्ता सा सामान निकाला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सामान के कब तक बाजारों में उपलब्ध हो जाने की संभावना है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी हां।

(ख) यह सामान मैसूर की केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय गवेषणा संस्था से मंगाया जा सकता है। व्यावसायिक पैमाने पर इस सामान का उत्पादन अभी उद्योग द्वारा आरम्भ नहीं किया गया है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली सरकार का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): मैं संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत दिल्ली सरकार के १९५४–५५ के वित्त लेखे और १९५५ के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ८३८/५८]

इंडियन माइनिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत इंडियन माइनिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के वर्ष १९५६–५७ के लेखा परीक्षित लेखे सहित वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) सरकार द्वारा प्रतिवेदन की संक्षिप्त समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ८३९/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का अनुपूरक विवरण

†संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं दूसरी लोक-सभा के चौथे सत्र, १९५८ में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के अनुपूरक विवरण संख्या ५ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९८]

अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम में संशोधन

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा (छट्टी) नियम, १९५५ म कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १६ अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६८९ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-८४१/५८]

सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (रेडियो रिसीवर) नियम में संशोधन

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (रेडियो रिसीवर) नियम, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २५ जुलाई, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६३८ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-८४२/५८]

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

---

†श्री बर्मन (कूच-बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं वाणिज्यिक नौवहन विधेयक, १९५८ सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

साक्ष्य

†श्री बर्मन: मैं वाणिज्यिक नौवहन विधेयक, १९५८ सम्बन्धी संयुक्त समिति के सामने दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

कार्यमंत्रणा समिति

सत्ताइसवां प्रतिवेदन

†संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, कार्य मंत्रणा समिति के सत्ताइसवें प्रतिवेदन से, जो २० अगस्त, १९५८ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, कार्य मंत्रणा समिति के सत्ताइसवें प्रतिवेदन से, जो २० अगस्त, १९५८ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खाद्य स्थिति के संबंध में प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा खाद्य स्थिति के बारे में श्री अ० प्र० जैन द्वारा २० अगस्त, को प्रस्तुत किये प्रस्ताव और उस पर प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १ से ८ पर अपनी चर्चा जारी रखेगी।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय अपना भाषण जारी रखें।

†**पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** (प्रतापगढ़) : मैं कल कह रहा था कि अब हमारे देश में हमेशा ही खाद्य संकट बना रहता है। यह एक गम्भीर परिस्थिति है। इस साल तो परिस्थिति और भी भयंकर हो गई है, क्योंकि कीमतें शायद १९५३ से भी अधिक चढ़ गई हैं।

मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक रुपये का १½ सेर गेहूं बिकने लगा है। माननीय मंत्री ने भी यह स्वीकार किया है कि इस वर्ष कीमत बहुत ऊंची चढ़ गई हैं। उन्हें आशा है कि कुछ हफ्तों में इस स्थिति में सुधार होगा।

इसमें शक नहीं कि हमारे देश में खाद्य की बहुत कमी है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें खाद्य के वितरण की व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

माननीय मंत्री ने इसके लिये कुछ उपाय किये हैं। देश को कई जोनों में बांटा गया है, सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गई हैं, ऋण का नियंत्रण किया गया है, इत्यादि। लेकिन, इस पर भी मिलों को खुले बाजार से खाद्यान्नों की खरीद करने से नहीं रोका गया है। इसमें संदेह नहीं कि यदि यह उपाय न किये जाते तो, हालत और भी संकटपूर्ण बन जाती।

हमारा देश एक खेतिहर देश है, इसलिये खाद्यान्नों का आयात करना कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। लेकिन, हमारे सामने और कोई चारा भी तो नहीं।

इसका एक पहलू यह भी है कि हमारा खाद्य-उत्पादन देश की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। जनसंख्या और देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से, खाद्यान्नों की मांग भी बढ़ गई है। श्वेत पत्र में तो यही कहा गया है। लेकिन यह सही नहीं है। क्योंकि देश के उच्च वर्गों की आय ही अधिक बढ़ी है और उच्चवर्ग जो खाद्यान्न खरीदते हैं उसकी मात्रा सीमित ही है। उससे खाद्यान्नों की मांग पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ सकता।

जन संख्या में वृद्धि की बात भी कोई नई नहीं है। इसलिये इस दलील में भी कोई ज्यादा सार नहीं है। देश को उसके लिये तैयार ही रहना चाहिये।

इसलिये हमें अपना सारा ध्यान खाद्य-उत्पादन पर ही केन्द्रित करना चाहिये। सरकार कहती है कि इसके लिये कुछ अधिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश की ८० प्रतिशत भूमि सिंचाई के

---

†मूल अंग्रेजी में

लिय मानसूनों पर आश्रित है । लेकिन, शेष २० प्रतिशत भूमि का उत्पादन बढ़ाने के लिये तो हम कुछ कर ही सकते हैं ।

खाद्यान्न जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि इस २० प्रतिशत भूमि में उत्पादन बढ़ाने के लिये भी अधिक कुछ नहीं किया जा रहा है । फिर, हम कैसे आत्म-निर्भर बन सकते हैं ?

खाद्य उत्पादन के लिये सब से महत्वपूर्ण सिंचाई है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना म सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्यों के फलस्वरूप ३०.२ लाख टन उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन पिछले दो वर्षों में इन से अभी तक कुल ३.४ लाख टन उत्पादन की ही वृद्धि हो पाई है इसका कारण यह बताया गया है कि किसान इन सिंचाई निर्माण-कार्यों और बड़ी नहरों से अपने खेतों तक पानी ले जाने के लिये छोटी-छोटी नहरें नहीं खोदते । सरकार को उन से पहले ही एसी आशा नहीं करनी चाहिये । इन पर करोड़ों रुपया बढ़ाया जा चुका है, लेकिन अभी किसानों को इनसे कोई लाभ नहीं होता । इन नहरों से पानी लेने की दरें इतनी ऊंची रखी गयी ह, कि किसान कोई फायदा नहीं उठा पाते ।

किसान इसलिये नल-कूपों का भी कोई लाभ नहीं उठा पाते । हमें किसानों को इनके उपयोग की ओर स्वयं आकर्षित करना है । हमें शुरु म दरें कम रखकर किसानों को इनका अभ्यस्त बनाना चाहिये ।

हम ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिये १८.९ लाख टन का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी तक उन से कुल ७ लाख टन उत्पादन की ही वृद्धि हो सकी है । नलकूप भी पर्याप्त संख्या में नहीं खोदे गये हैं और न बहतर किस्म के बीज ही सुलभ बनाये गये हैं ।

द्वितीय योजना काल में, हमें ४१८५ बीज फार्म खोलने थे, लेकिन अभी तक कुल ९७८ फार्म ही खोले गये हैं ।

विशेषज्ञों का कहना है कि भूमि में से नाइट्रोजन की मात्रा लगभग चुक गई है । इसे बढ़ाने के लिये जिन खादों की जरूरत है वे भी सुलभ नहीं हैं , क्योंकि विदेशी मुद्रा का भी संकट है ।

माननीय मंत्री इन सभी की पूर्ति के लिये क्या उपाय कर रहे हैं ? उनकी क्या योजना है ? हमें केवल प्राकृतिक विपत्तियों को दोष दे कर ही हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ जाना चाहिये ।

माननीय मंत्री ने कम से कम कहा तो है कि खाद्यान्नों का आयात बन्द करना चाहिये । हमें इस क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिये । हमें उत्पादन बढ़ाने की ओर ही सब से ज्यादा ध्यान देना चाहिये ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : श्वेत पत्र के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचारपत्रों की टीका से लगता है कि सरकार की खाद्य नीति का देश ने अनुमोदन नहीं किया है । लेकिन, सरकार पर उस से जैसे जूं भी नहीं रेंगी है।

श्वत पत्र में सरकार ने कोई भी नयी बात नहीं कही है । सरकार की पुरानी नीति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है ।

कल मान ीय मंत्री ने खरीफ फसल से बड़ी बड़ी उम्मीदें होन की बात कही थी । लेकिन इस बार खरीफ फसल इतनी अच्छी होने की आशा नहीं । मौसिमों की खबरों से तो यही पता चलता है । देशके पूर्वी भाग तो पूरी तरह मानसूनों पर ही आश्रित रहते हैं । वहां बाढ़ों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्रिदिव कुमार चौधरी]

और सूखों का भी जोर रहता है। माननीय मंत्री द्वारा जुटाये गये आंकड़ों के अनुसार ही इस वर्ष देश में ६३.२ लाख टन खाद्य की कमी है।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : ६७ लाख टन की।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : यानी ८.७ प्रतिशत। मेरी गणना के अनुसार तो कमी इससे कहीं अधिक की है। ताज्जुब की बात तो यह है कि यह जानते हुए भी सरकार ने पहल से कोई उपाय क्यों नहीं किय, कोई कार्यक्रम क्यों नहीं बानाया। अब थोक मूल्यों का देशनांक भी ११३ तक पहुंच गया है। उड़ीसा में, सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, चावल का भाव १४ और २१ रुपय मन है, जबकि कलकत्ता में उसका भाव २९ रुपये है। मेरे जिले में तो उसका भाव ३० से ३२ रुपये प्रति मन पहुंच गया है। पश्चिमी बंगाल में तो गहूं भी नहीं मिलता और चावल की कमी बनी ही रहती है।

पश्चिमी बंगाल में परीक्षण सहायता कार्य आरम्भ किये गये हैं, जिनमें मजूरी के बदले गेहूं दिया जाता है। लेकिन यह कार्य हफ्ते में कुल तीन दिन ही होता है।

सस्ते गल्ले की सरकारी दुकानों में गहूं मिलता ही नहीं। माननीय मंत्री ने इस वर्ष पश्चिमी बंगाल को ३ लाख टन से कुछ अधिक चावल देने का वायदा किया था। लेकिन वहां, सरकारी अनुमान से, ७ लाख टन चावल की कमी है। माननीय मंत्री ने कहा था कि गहूं की उचित आवश्यकता भी पूरी की जायेगी। लेकिन कब ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : हम पश्चिमी बंगाल को हर महीने लगभग ६०,००० टन गहूं दे रहे हैं और उसे १,७५,००० टन चावल भी देने को तैयार हैं। इस प्रकार एक वर्ष में ६ लाख टन से अधिक गहूं और १.७५ लाख टन चावल हो जायेगा। इससे कमी की पूर्ति हो जायेगी।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : तब माननीय मंत्री को जांच करानी चाहिये कि इन जिलों में गेहूं क्यों नहीं पहुंच रहा है। जिलों में सहायता कार्य जिला मैजिस्ट्रटों को सौंपा गया है, और उनका कहना है कि उन्हें पर्याप्त गहूं नहीं दिया जाता। मालडिब्बों की कमी भी उसका कारण है।

इस सरकार का मख्य दोष यह है कि उसने पहले से सब कुछ जानते हुए भी कोई योजना नहीं बनाई।

अभी इस परिस्थिति में हमें दीर्घकालीन योजनाओं पर इतना जोर नहीं देना चाहिये। देश के पूर्वी भाग में इस वर्ष खरीफ फसल इतनी अच्छी नहीं होगी। इस बार मानसून काफी देर से आई है। वर्षा के अभाव में, केवल उत्साह से काम नहीं चलेगा। हमें उसके लिये पहले से योजना बना लेनी चाहिये। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। सिर्फ खरीफ फसल पर ही आश्रित रहना खतरनाक सिद्ध हो सकता है।

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष की तरह खाद्य समस्या पर इस बार भी बहस हो रही है। गत वर्ष देश में अकाल की सी स्थिति पैदा हो गई थी और इसका कारण यह था कि कहीं पर बारिश कम हुई थी और कहीं पर अधिक हुई थी और इसके फलस्वरूप अनाज की कमी पैदा हो गई थी और एक विषम स्थिति पैदा हो गई थी। उसका मुकाबला करने का हमारे खाद्य मंत्रालय ने काफी प्रयत्न किया है। आज भी यह मंत्रालय इस समस्या को सुलझाने में

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रयत्नशील है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे खाद्य मंत्री महोदय इस विषय में काफी चिंतित हैं और इस समस्या को हल करने में भी लगे हुए हैं। इस दिशा में उन्होंने कई कदम उठाये हैं। एक तो उन्होंने जोन कायम किये हैं, दूसरे इम्पोर्टस पर काफी जोर दिया है, तीसरे फयर प्राइस शाप्स (सस्त गल्ले की दुकानें) बढ़ाई हैं, मिलों द्वारा जो गहूं बाजार से खरीदा जाता था उसको बन्द किया, बैंकों द्वारा उधार दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाये तथा इसी तरह की दूसरी कार्रवाइयां कीं। इतना होने पर भी, मैं समझता हूं कुछ और सुधारों की आवश्यकता है और उनकी ओर हमारे मंत्री महोदय का तत्काल ध्यान जाना चाहिय ।

जोंस के बारे में मैं ने पहले भी जब जोन बनाने की बात हुई थी अपने विचार प्रकट किये थे और मेरा खयाल यह था कि गहूं के प्रदेशों का अगर एक ही जोन रहता तो ज्यादा अच्छा होता । ऐसा न करके आपने उत्तर प्रदेश को अलग रख दिया और इसका नतीजा यह हुआ कि मध्य प्रदेश से काफी गहूं चोरी छिपे यहां आया। अगर माननीय मंत्री जी जांच करें तो उनको पता चलेगा कि भेलसा, वासुदा आदि से गहूं धोलपुर गया जो राजस्थान में है और चूंकि धोलपुर में इतने गहूं कि आवश्यकता नहीं थी इस वास्ते वहां से हजारों मन गहूं ट्रकों में भर भर कर आगरा डिविजन में गया और वहां से उत्तर प्रदेश के दूसरे क्षत्रों में गया। इसी तरह से ....

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : आप क्या चाहते हैं न जाये ?

श्री राधे लाल व्यास : मैं तो चाहता था कि उत्तर प्रदेश उस जोन में शामिल होता ताकि हम सब मिलकर खा लेते ।

इसका नतीजा यह हुआ कि किसान जिस को ठीक कीमत मिल सकती थी वह तो उस से बंचित रह गया और साहूकार जो कि चोरी कर के गहूं वहां ले जाते थे उन्होंने उससे बहुत फायदा उठाया, बहुत लाभ उठाया। यह जो बीच वालों न फायदा उठाया उस से न तो किसान को कोई फायदा हुआ और न ही कंज्यूमर्स (उपभोक्ताओं) को। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो कंज्यूमर्स थे उनको भी भाव अधिक देन पड़े क्योंकि वहां से अनाज बाहर चला गया और वहां पर अनाज की कमी पैदा हो गई। भेलसा में जहां पहले १२ या १३ रुपया मन गहूं हुआ करता था, १९ रुपये मन उसका भाव हो गया और आज भी पिसे गहूं का भाव वहां पर १९ रुपये मन है ।

एक माननीय सदस्य : चोरों को जेल में भेजा जाना चाहिये ।

श्री राधे लाल व्यास : इसी तरह से बम्बई का भी हाल है । जब जोन बने तब बम्बई प्रदेश को तो जोन में शामिल कर दिया गया था लेकिन जो बम्बई शहर था इसको अलग रखा गया था। मालवा में बहुत बढ़िया किस्म का गहूं होता है। चूंकि वहां से गहूं बाहर चला गया इसलिये वहां पर उसका भाव २२ रुपये से ले कर २५ रुपये मन तक हो गया गत वर्ष और अभी भी वहां पर जो दाम हैं वे २२ और २३ रुपये से कम नहीं हैं।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जोन बने हैं वे तो रहें लेकिन अगली फसल को देख कर के , यदि वह अच्छी हो, तो इन जोंस पर फिर से विचार किया जाये। पेशतर इसके कि फसल बाजार में आये, खलियान में आय उसके पहले ही ज्यादा अच्छा होगा कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बम्बई इन सब का एक ही जोन बना दिया जाये और गेहूं सभी जगह आ जा सके। यह आप तभी करें अगर फसल की स्थिति अच्छी हो। इसका नतीजा यह होगा कि आज जो कहीं पर भाव ज्यादा होते हैं और कहीं पर कम होते हैं व नहीं रहने पायेंगे।

मिलों पर जो आपने रोकें लगाई हैं वे अच्छी लगाई हैं। लेकिन कल माननीय मंत्री जी ने बताया कि जनता को जिस भाव पर गहूं दिया जाता है उसी भाव पर मिल वालों को भी दिया

[श्री राधे लाल व्यास]

जाता है। मेरा सुझाव यह है कि मिलों को आप दें लेकिन उसी आर्ट को आप फिर से ले ल तो ज्यादा अच्छा होगा। जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो साढ़े सोलह रुपये मन गेहूं आप उनको देते हैं और वे आटे को पीस पर जिस भाव पर चाहें बाजार में बेच देते हैं और मनाफा कमा लेते हैं . . . .

श्री अ० प्र० जैन : उस आटे के बिकने की दर मुकर्रर है और उन पर नियंत्रण है।

श्री राधे लाल व्यास : अगर उन पर नियंत्रण है और दर मुकर्रर है तो बड़ी खुशी की बात है लेकिन आपको देखना चाहिये कि इससे बाजार के भावों पर अच्छा असर हो।

अब मैं इम्पोर्टस के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। इम्पोर्ट्स कर के आप स्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बीमारी है उस का यह इलाज नहीं है। आखिर आज ग्यारह बरस हो गये हैं और इन सालों में बराबर हमारे प्रयत्न चलते रहे हैं और हम कोशिश करते रहे हैं कि यह समस्या हल हो लेकिन यह अभी तक हल नहीं हुई है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा सारा जीवन और हमारा सारा आर्थिक ढांचा कृषि उत्पादन पर ही निर्भर करता है। फारेन एक्सचेंज भी जैसा बताया गया है दो-तिहाई हमें बाहर से इसी से मिलता है। हमारे यहां ७० प्रतिशत किसान हैं और इतना होते हुए भी हम पूरा अनाज पैदा नहीं कर पा रहे हैं, इस का क्या कारण है ? हमारे प्रधान मंत्री जी ने बार बार वक्तव्य दिये हैं ? राष्ट्रपति जी ने कहा और देश के अन्य नेताओं ने कई बातें कहीं, कम्युनिटी प्राजेक्ट्स भी प्रयत्न कर रही हैं, करोड़ों रुपया हम माइनर व मेजर इरिगेशन वर्क्स (छोटे और बड़े सिंचाई निर्माण कार्य) पर खर्च कर रहे हैं, खाद हम लोगों को देने की चेष्टा कर रहे हैं लेकिन यह सब होते हुए भी ग्यारह सालों में जो स्थिति होनी चाहिये थी वह पैदा नहीं हुई है और हम बहुत पीछे हैं। इस वास्ते कुछ ठोस कदम ठीक दिशा में उठाने की आवश्यकता है और इस पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा।

हमारे मंत्री महोदय जैसे मैंने कहा मेहनत कर रहे हैं और काफी प्रयत्न उन्हों ने किय भी हैं। लेकिन मैं पंडित ठाकुर दास जी से पूरी तरह से सहमत हूं कि यदि इस विभाग को प्रधान मंत्री जी अपने हाथ में ले लें . . . . .

श्री त्यागी (देहरादून) : गज़ब हो जायगा।

श्री राधे लाल व्यास : यह मेरा विचार है, गज़ब होने की कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि जनता के सहयोग के बगैर देश की खाद्य समस्या कभी हल नहीं हो सकती है। आज देश को सब से वज़नदार आवाज़ रखने वाले नेता की आवश्यकता है। हमारे प्रधान मंत्री जी की आवाज़ में वज़न है और लोग पागलों की तरह से . . . . .

श्री त्यागी : क्वैश्चन।

एक माननीय सदस्य : अब वह बात नहीं रही।

श्री राधे लाल व्यास : उन के कहने के मुताबिक काम में जट सकते हैं। आज भी उन में इतनी बड़ी शक्ति है। आप के खयाल दूसरे हो सकते हैं लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि अगर वह चाहें और काम में जुट जायें तो दो साल में सारे देश की स्थिति बदल सकती है। आज तक जितन भी प्रयत्न किये गये हैं वे सब ऊपर से किये गये हैं। यहां से राय दी जाती रही हैं, वक्तव्य दिये जाते रहे हैं, सर्क्युलर भेजे जाते रहे हैं और कुछ नहीं हुआ है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस ने गल्ला पैदा रना है, क्या उस से भी कभी पूछा गया है ? क्या कभी यह जानने की भी कोशिश की गई है कि उसे

किस चीज की आवश्यकता है ? मैं चाहता हूं कि उससे पूछा जाय कि उसे क्या चाहिये । जिस तरह से सैंसस (जनगणना) होता है और एक दिन में ही सारे देश की स्थिति का आप को पता लग जाता है और सब आंकड़े आप तैयार कर लेते हैं उसी तरह से ज्यादा अच्छा हो अगर कोई ऐसी योजना बनाई जाय कि एक या दो दिन सब गांवों की स्थिति जानने के लिये निर्धारित किये जायें और आंकड़े एकत्र किये जायें और यह पता लगाया जाय कि किसान क्या चाहते हैं, गांवों के लोगों की क्या आवश्यकतायें हैं, कैसे अनाज का उत्पादन बढ़ सकता है तथा दूसरी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ सकता है तथा क्या क्या कमियां हैं । इन दो दिनों में आम छुट्टी रखी जानी चाहिये और स्कूल मास्टर, पुलिस वाले, सारे कर्मचारी, तमाम कलर्कस सभी को इस काम में भिड़ जाना चाहिये और एक प्राफार्मा (प्रपत्र)तयार करना चाहिये जिस के मुताबिक तमाम आंकड़े एकत्र किये जायें । इस बात पर खास तौर से जोर दिया जाना चाहिये कि कौन से काम हैं जो किये जा सकते हैं या आसानी से तथा मामूली सहायता से हो सकते हैं । इन तमाम आंकड़ों को फिर तेहसीलों में इकट्ठा किया जाय और जब सब आंकड़े एकत्र हो जायें तो उन के आधार पर एक वक्तव्य तैयार किया जाय और इन सब को इकट्ठा कर के जिले के लेवेल पर विचार करने के बाद उन को अमल में लाया जाय और एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) इत्यादि सब मिल बैठ कर इस पर विचार करें । यदि ऐसा किया गया तो बहुत जल्दी यह समस्या हल हो सकती है और जो असल स्थिति है वह आप के सामने आ सकती है ।

अब बवाई का समय आ रहा है और कल एक माननीय सदस्य, श्री द्वा० ना० तिवारी जी ने कहा कि उन के यहां बीज वगैरह की बड़ी कमी है । मैं समझता हूं कि बीज की सप्लाई की ओर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । मुझे अपने एक छोटे से अनुभव का पता है । सन् १९४८ में हमारे यहां गहूं की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई थी । हमारे यहां बीज तक बाकी नहीं रहा था । हम लोगों ने पूरे छः महीने तक प्रयत्न किया, यहां आय, यहां से बीज लिया, उत्तर प्रदेश से खरीदा, पंजाब से खरीदा और जिस भाव मिला उस भाव खरीदा । शायद २२ रुपये मन हमने इस को पंजाब में खरीदा था । पूरे छः महीने तक प्रयत्न करने के बाद जा कर हम को बीज उपलब्ध हो सका था और इस तरह से एक करोड़ रुपये का जो बीज हम ने एकत्र किया वह पांच छः जिलों के लिये ही काफी साबित हुआ और उस को हमें सवान पर देना पड़ा क्योंकि लोगों के पास खरीदने के लिये पैसा नहीं था । इस का नतीजा यह हुआ कि अगले साल काफी अनाज पैदा हो गया मध्य भारत में सन् १९५० में । अगर लोगों को अच्छा बीज नहीं मिलता है तो अच्छी फसल की आशा नहीं की जा सकती है । अगर लोगों को बीज मोहैया नहीं किया गया तो कम लोग ही गेहूं बोयेंगे । बीज वहां आप को देना होगा जहां अनाज नहीं है और जहां जो बीज लोगों ने रखा था उस को वे खा गये हैं । आज वे इतने अधिक भाव पर बीज खरीद सकने में असमर्थ हैं । इस वास्ते इस ओर सब से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । रबी की फसल के लिये बीज का तत्काल प्रबन्ध किया जाना चाहिये और अच्छी किस्म का बीज सवाय पर दिया जाना चाहिये, लोगों को उधार दिया जाना चाहिये । अगर आप ने तकावी दी तो वे उस रकम को किसी दूसरे कामों में लगा सकते हैं । इस वास्ते बीज ही दिया जाय तो अच्छा होगा और खाद्य समस्या कुछ हद तक हल हो सकेगी ।

इसी तरह से आप का ध्यान खाद की ओर भी जाना चाहिये । आज आप का ध्यान हरे खाद, कम्पोस्ट पिट्स (खाद बनाने के गड्ढों) की तरफ बिल्कुल नहीं है । मैं कम्युनिटी प्रोजेक्ट एरिया में गया आलोट (आवंटित) की, मैं कई गांवों में घूमा, बी० डी० ओ० भी साथ थे उन्हों ने मुझे से कहा कि हां, साहब कई जगह पर गड्ढे खोदे गये हैं । लेकिन चार साल तक गांवों में काम होने पर मुझे एक गांव में भी एक गड्ढा नहीं मिला ।

एक माननीय सदस्य : जीप से गये थे या पैदल ?

श्री राघे लाल व्यास : जीप में भी गया था और पैदल भी गया, लेकिन मझ एक गड्ढा देखने को नहीं मिला । चार साल के काम के बाद अगर यह स्थिति है तो कैसे खाद्य की समस्या हल हो सकती है, कैसे उत्पादन बढ़ सकता है, उन तरीकों से जोकि अनाज पैदा करने के आज हैं ? अगर दूसरे देशों में हम से दूना, ढाई गुना अनाज पैदा हो सकता है तो कोई कारण नहीं है कि हमारे यहां ज्यादा अनाज पैदा न किया जा सके ।

हमारे यहां पिछले साल मालवे में ज्वार में जिसे कापड़िया कहते हैं वह बीमारी लग गई । मैं ने जब लोगों से पूछा कि आखिर इस का इलाज क्या है तो एक्सपर्टसने बताया कि इस का कोई इलाज नहीं हैसिवाय इस के कि हम सीड ट्रीटमेंट करें और इस में ऐग्रोसन और दूसरी चीजें जैसे गन्धक वगैरह मिलाना चाहिये । मगर हम गांवों में क्या देखते हैं ? किसानों से बात करते हैं तो उन में इस का प्रचार नहीं है हालांकि उस से कितना नुक्सान हो जाता है । मैं ने मालवे में देखा ज्वार का बहुत नुक्सान हो गया, लेकिन इस मामूली चीज का, जिसकी २ पैसे की पुड़िया से आठ या दस सेर ज्वार को ट्रीट किया जा सकता है, प्रचार नहीं और इस के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया जाता । ऐसे कुछ काम हैं जिन में गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन वे भी नहीं हो सकते हैं । ऐसे काम हाथ में लिये जाने चाहियें जिन की वजह से यह बीमारी न हो, और बीज अच्छा हो ताकि फसल का नुक्सान न हो ।

इसी तरह से तकावी देने का सवाल है । यह व्यवस्था स्थायी रूप से भंडारों के लिये कायम हो जानी चाहिये, समान रूप से जिस में बीज की कमी न रहे क्योंकि आज कल लोगों के पास अच्छे बीज नहीं रहते और न उन को तरीका ही मालूम है कि कैसे बीज को स्टोर्स में रखना चाहिये ।

इसी तरह से आज हम देखते हैं कि अनाज की बहुत बरबादी होती है । आज गोडाउन्स में उस को रखने का पुराना ही तरीका चलता है लेकिन फिर भी लोगों को इस का शिक्षण नहीं दिया जाता है । उन को इस का तरीका नहीं बतलाया जाता है जिस से सारे देश में काफी बरबादी अनाज की होती है । आप आज रेलवे में सफर करते हैं तो देखते हैं कि वहां भी बहुत वेस्ट (अपव्यय) होता है । थाली में खाना इतना परोसा जाता है कि कई जगहों पर लोग थोड़ा सा खाते हैं बाकी खराब जाता है । इसलिये आज देखने की जरूरत है कि अनाज की बरबादी न हो, उस का दुरुपयोग न हो क्योंकि थोड़े थोड़े से अनाज की बरबादी के होने से हमारे यहां लाखों मन की बरबादी हो जाती है जिसे रोकने की जरूरत है ।

आज जो खेती के जानकार वगैरह हैं, जो विद्यार्थी निकलते हैं कालेज वगैरह से, उन का कोई उपयोग नहीं होता है । मैं देखता हूं कि हमारे यहां जिन्होंने अभी एस० एस० सी० पास किया है ऐग्रीकल्चर में उन को १००, १०० रु० पर नौकर रखा गया है । ब्लाक डेवेलपमेंट एरियाज में दूसरे लोगों को जो कृषि को बिल्कुल नहीं जानते उन को महत्व मिलता है । लेकिन कृषि के जानकारों को और विशेषज्ञों की, जिन्हों ने ९, १० वर्ष तक अध्ययन किया है इस विषय का, कोई कद्र नहीं है । इसलिये जहां इतने लम्बे कोर्स हैं, वहां शार्ट कोर्सेज तीन तीन महीने के रख कर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार करना चाहिये और इस के लिये काफी प्रचार करना चाहिये ताकि देश की खाद्य समस्या हल हो और जल्दी देश सुखी हो । हमारी आबादी भी काफी बढ़ती जा रही है और अगर इसी रफ्तार से बढ़ती गई तो कैसे काम चलेगा । जिस तरह से पिछले ११ सालों से लोग बढ़ते रहे हैं अगर उसी तरह से बढ़ते रहे तो हम कुछ भी प्रयत्न करें हम सफलता नहीं हासिल कर सकते । इसलिये जिस तरह से युद्ध स्तर पर काम किया जाता है, जैसेकि पानी की समस्या को हल करने के लिये फौज को लगा दिया गया और जल्दी से जल्दी काम हुआ । उसी तरह से इस मामले में भी सारे देश

में युद्ध का सा वातावरण निर्मित करने की जरूरत है और सब स्कूल और कालेजों वगैरह में भी इस की शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा अनिवार्य कर देना चाहिये ताकि लोग इस के महत्व को समझें, लोग अनाज को वेस्ट न करें और हमें ज्यादा से ज्यादा मदद दें ताकि खाद्य समस्या हल हो।

इन शब्दों के साथ आप को धन्यवाद देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

†श्री वेंकटा सुब्बैया (अडोनी) : मैं मानता हूं कि सरकार ने बड़ी ईमानदारी से खाद्य संकट दूर करने की कोशिश की है। उस की योजना बड़ी सूझ-बूझ के साथ तैयार की गई है। लेकिन, सरकार की असफलता का मुख्य कारण यह है कि उस की योजनाओं को ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जाता। शासक लोग योजना की भावना को ही नहीं समझ पाते।

सामुदायिक विकास सेवा और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों को खाद्य उत्पादन बढ़ाने का कार्य सौंपा गया है। लेकिन इनके निष्पादन के लिये राजस्व विभाग से जो अधिकारी चुने जाते हैं, वे अंग्रेज सरकार की नौकरशाहाना जहनियत में पगे होते हैं और उससे योजनाओं की कार्यान्विति में बाधा पड़ती है। ये अधिकारी बड़ी-बड़ी फाइलें चलाने और विलम्ब करने में ही दिलचस्पी रखते हैं।

आन्ध्र राज्य में ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं का चुनाव करने वाली समिति में मैं भी हूं। उस के लिये चुनाव करने में यह शर्त नहीं लगाई जाती कि उम्मीदवारों को कृषि का भी कुछ ज्ञान हो। स्कूल से हाल ही में निकलने वाले विद्यार्थी भर्ती कर लिये जाते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं से देश के पांच या दस गांवों का खाद्य-उत्पादन बढ़ाने की आशा की जाती है।

हम ने इतनी छोटी-बड़ी परियोजनायें तैयार कर दी हैं, लेकिन अभी तक उन से ८० लाख की जगह कुल ४० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई ही हो सकी है। कहा जाता है कि इस का कारण यह है कि किसान अपने खेतों तक छोटी-छोटी नहरें और नाले नहीं खोदते। किसानों की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं है और उन्हें इस के लिये पर्याप्त ऋण का सुविधायें भी नहीं देते। किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये हम ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है।

कहा जाता है कि इस के लिये सहकारी समितियां खोली गई हैं, भूमि बंधक रखने के बैंक बनाये गये हैं और ऋण देने की संस्थायें भी खोली गई हैं। लेकिन ये बैंक विश्व युद्ध से पहले की दरों से भूमि का मूल्यांकन करते हैं। आज चाहे प्रति एकड़ भूमि का मूल्य १,००० रुपये हो गया हो, लेकिन किसानों को १०० रुपये ही दिये जाते हैं। छोटे-मोटे किसानों को तो ऋण दिये ही नहीं जाते, क्योंकि उनकी इतनी साख नहीं समझी जाती कि वे ऋण अदा कर सकेंगे। छोटे-मोटे किसानों की दशा ज्यों-की-त्यों बनी हुई है।

१९५२-५३ में तो दशा इस से भी बुरी थी। अब तो हम ने कुछ उपाय कर भी लिये हैं।

आज परिस्थिति उतनी बुरी नहीं है, फिर भी अभी बहुत कुछ करने को पड़ा है। अकाल रोकने के लिये हमें पूरी-पूरी कोशिशें जारी रखनी चाहियें। रायलसीमा और चित्तौर जैसे इलाक़ों में, जहां सिंचाई के साधन नहीं जुटाये जा सकते, हमें बिजली पहुंचानी चाहिये जिस से वे सिंचाई के लिये कुओं का उपयोग कर सकें। इस सम्बन्ध में, राज्य सरकारों को अनुदेश भेजे जाने चाहिये। सिंचाई के छोटे मोटे निर्माण कार्यों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये, जैसे पुराने तालाबों की मरम्मत। उस में कोई अधिक खर्च भी नहीं पड़ता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वेंकट सुबैया]

रायलसीमा के अभावग्रस्त क्षेत्रों से अकाल का खतरा दूर करने के लिये २० करोड़ रुपये की लागत से तुंगभद्रा जलाशय बनवाया गया हैं। लेकिन उस से जितनी भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था, वह पूरा नहीं हो सका है। उस का मुख्य कारण यह है कि पानी की दर बहुत अधिक रखी गई है। साथ ही अन्य कर भी बढ़ा दिये गये हैं। किसान इतना सब बर्दाश्त नहीं कर पाते। अकाल का खतरा दूर करने के लिये आवश्यक है कि सरकार वहां नहर बनाने की योजना को भी कार्यान्वित कर दे।

दूसरी बड़ी ज़रूरत है उर्वरकों की। आन्ध्र राज्य बहुत पहले से अपने यहां एक उर्वरक फैक्टरी स्थापित की जाने की मांग कर रहा है। इस मांग को प्रांतीयता का लांछन लगा कर टाल दिया जाता है। लेकिन उस फैक्टरी के बनने से आन्ध्र राज्य अखिल भारतीय खाद्य संकट को दूर करने में अधिक योग दे सकेगा, और वह प्रांतीयता नहीं होगी। सरकार को इस सम्बन्ध में निर्णय करना चाहिये।

फ़सलों के रोगों के कारण प्रति वर्ष इतनी अधिक हानि होती है, लेकिन उस सम्बन्ध में अभी तक कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। कहा जाता है कि गवेषणा चल रही है, लेकिन गांवों वालों को तो अभी तक उस से कोई लाभ नहीं हुआ है।

तीसरी बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि बेहतर किस्म के बीज जुटाये जाये। अभी तक इस की समुचित व्यवस्था नहीं है।

हमें अपने खाद्य नीति को एक नई दिशा देनी चाहिये, तभी खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ सकेगा।

डा० कृष्णास्वामी (चिंगलपेट) : अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रालय द्वारा जो श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया है यद्यपि वह एक अच्छा अभिलेख है, परन्तु झूठ का पुलिंदा है। इस में जो कुछ भी बताया गया है वह बड़ी चिन्ताजनक बात है। संसद को उस का कुछ विकल्प सोचना होगा। कहा गया है कि १९५३-५४ से लोगों की आय बढ़ गई है और इस के साथ अनाज की मांग भी बढ़ गई है। लोग अच्छा अनाज मांगते हैं। यह भी कहा गया है कि जनसंख्या बढ़ गई है, इन्हीं बातों का परिणाम है कि मूल्य बढ़ गये हैं। ऐसा नहीं है कि यह सब कुछ अपरिवर्तनीय है। हमें कुछ कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। हम सदा के लिये विदेशी आयात पर ही आश्रित नहीं रहना होगा। इस से एक तो आर्थिक स्थिति खराब होती है और साथ ही कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता। अनाज के आयात पर भावनात्मक आधार पर कोई आपत्ति करना ठीक नहीं है। अन्य देशों में भी ऐसा होता है। हमें अपनी स्थिति का अनुभव करना चाहिये। हमें निर्यात द्वारा इन आयातों की कीमत नहीं चुका सकते। जैसा कि जापान और इंग्लैण्ड कर पाते हैं। इन देशों में कृषि उत्पादन का क्षेत्र कम है, परन्तु हमारे देश में तो कृषि उत्पादन की बहुत ही गुंजाइश है, परन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस पर अपने विदेशी विनिमय का अच्छा भाग खर्च कर देते हैं। हमारे बहुत से साधन इसी में समाप्त हो जाते हैं। हम अपनी भूमि की क्षमता का पूर्ण रूप में उपयोग करने में असमर्थ रहे हैं। इस सम्बन्ध में जो लक्ष्य योजना आयोग ने निर्धारित किये थे वह हम प्राप्त नहीं कर पाये। इस से खाद्य स्थिति की गम्भीरता और भी अधिक हो जाती है।

मेरा मत है कि हम ठीक ढंग से व्यापक कृषि नीति अपनाने म असफल रहे ह। हम यह देखना होगा कि कौन स परिवर्तन करके हम वर्तमान संकट से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में प्रश्न यह है कि अनाज की कमी कैसे दूर हो और इसके लिये ठोस कृषि नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है। नियंत्रण लागू करने की नीति भी गलत है, इससे भी विकास में रुकावट होती है।

श्वेत पत्र में खाद्यान्न जांच समिति की सिफारिशों का परीक्षण किया गया है और यह परिणाम निकाला गया है कि मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता । इस मामले में मैं सरकार से पूरी तरह सहमत हूं । इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी सरकार पर ही होनी चाहिये । परन्तु मैं यह कहूंगा कि खाद्य नीति अथवा कृषि नीति को कार्यान्वित करने वाली मशीनरी के सुधार की काफी गुंजाइश है । इस बारे में बहुत बार कहा जा चुका है परन्तु कुछ किया नहीं गया । हमें अनिवार्य समाहार सम्बन्धी समुचित मशीनरी की व्यवस्था करनी चाहिये । परन्तु हमारे संगठन में काफी कमियां नजर आ रही हैं । श्वेत पत्र में जो यह कहा गया है कि खाद्यान्नों का संग्रह करने से सट्टेबाजी रुकती है, यह बात गलत है । केवल संग्रह से कुछ नहीं होता । असली मामला तो वितरण की व्यवस्था और सस्ती दुकानों पर आ कर बिगड़ता है और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें और मामले का पूरा अध्ययन करें ।

सरकार को मूल्य की उपरिसीमा तो निर्धारित करनी चाहिये, परन्तु यह ७ १/२ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये । हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि कृषक को उस की उपज का मुनासिब मूल्य प्राप्त हो जाय ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

मेरा सुझाव है कि इस मामले पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये । छोटे छोटे सिंचाई साधनों को भी प्रोत्साहित करना चाहिये । इस से स्थानीय साधनों को एकत्रित किया जा सकेगा और अच्छी उपज उपलब्ध हो सकेगी । परन्तु इन सब बातों को बड़ी शीघ्रता से करना होगा और प्रशासन मशीनरी को तेज करना होगा । इस मामले में हमें स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई को याद रखना होगा, जिन्हों ने संकट के दिनों में ही कमाल कर दिखाया था । आशा है हमारे मंत्री महोदय आगामी सत्र में कृषि नीति के सम्बन्ध में व्यापक श्वेत पत्र प्रस्तुत करेंगे ताकि इस क्लिष्ट प्रश्न के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाला जा सके ।

†**श्री ठाकुर दास मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर) : यह ठीक है कि खाद्य स्थिति की अवस्था देश में बड़ी गम्भीर है । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा जो चिन्ता व्यक्त की गई है वह उचित और स्वाभाविक ही है । हमारा यह कर्तव्य है कि इस मामले में हम देश को आत्मनिर्भर बनायें, परन्तु इस दिशा में सरकार ने जो प्रयत्न किये हैं उन की सराहना न करना भी सरकार के साथ अन्याय करने वाली बात है । कल एक माननीय सदस्य ने चर्चा करते हुए काश्मीर की खाद्य स्थिति का उल्लेख किया और कहा कि वहां लोगों के भूख से मरने के समाचार प्राप्त हुए हैं । यह बात बिलकुल गलत है । गत वर्ष बाढ़ और वर्षा से खेती को काफी हानि पहुंची थी और हम ८० प्रतिशत उपज से वंचित रह गये थे । परन्तु केन्द्रीय सरकार की सहायता से स्थिति पर काबू पा लिया गया और इस के लिये हम केन्द्रीय सरकार के बहुत ही आभारी हैं । हमारे राज्य के प्रधान मंत्री तथा पूज्य पंडित जी भी पीड़ित क्षेत्रों में स्वयं गये और स्थिति का स्वयं अध्ययन किया । केन्द्र द्वारा राज्य को ४५,००० मन चावल और ५५,००० मन गेहूं दिया गया । विरोधी दलों ने राज्य सरकार के विरुद्ध जो आरोप लगाये थे, जांच करने पर वह सब निराधार सिद्ध हुए हैं । इस वर्ष हम शनैः शनैः केन्द्र से आयात कम कर रहे हैं ।

इसके बावजूद हमें अपने साधनों के विकास के लिये वित्तीय सहायता की आवश्यकता है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमें कृषि विकास के लिये ३५० लाख रुपया खर्च करना पड़ा है और इतना ही द्वितीय योजना काल में खर्च किया जायेगा । इससे हम सिंचाई प्रणाली का काफी सुधार कर सकते हैं तथा राज्य की जो भूमि बिना सिंचाई के पड़ी थी, उसे सिंचाई योग्य बनाया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ठाकुर दास मलहोत्रा]

हमारी उपज में १९५३ से १० लाख मन की वृद्धि हुई। अब हमारी कमी ३० लाख मन की रह गई है। यदि केन्द्रीय सरकार हमारी सहायता करती रही तो शीघ्र ही हम आत्म निर्भर हो जायेंगे। और हमें केन्द्र से कुछ भी सहायता नहीं लेनी पड़ेगी।

हमारी एक कठिनाई यह है कि राज्य के कई भागों में परिवहन की कठिनाई है। हमें वहां सस्ता अनाज भी भेजना पड़ता है और सहायता भी देनी पड़ती है। हमें आशा है कि इसके लिये केन्द्रीय सरकार हमारी सहायता करती रहेगी। नहरी पानी की भी हमें कुछ कठिनाई है।

इसके अतिरिक्त मुझे केन्द्रीय सरकार से एक और निवेदन करना है, वह यह कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये उन्हें तकावी कर्जे देने की आवश्यकता है। राज्य सरकार उन्हें कर्जा देने में समर्थ नहीं है। इसके लिये केन्द्रीय सरकार को सहायता करनी चाहिये। जहां तक भूमि सुधारों का सम्बन्ध है, हमारा सब से प्रथम राज्य है, जिसमें उन्हें कार्यान्वित किया गया है। परन्तु केवल इसी से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा। इससे न तो उत्पादन के साधनों में ही वृद्धि हुई है और न ही कृषि का ही कुछ विकास हुआ है। अतः इसके लिये मैंने आर्थिक सहायता का निवेदन किया है।

†श्री नौशीर भरूचा (पूर्व खानदेश) : जो सरकार खाद्य समस्या हल नहीं कर सकती उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। स्वतन्त्रता के बाद से आज तक इसके लिये १६ समितियां नियुक्त हो चुकी हैं, परन्तु इस दिशा में हुआ कुछ भी नहीं। और इसके लिये कई बहाने बनाये गये हैं। मूल्यों की वृद्धि का एक कारण यह बताया गया है कि लोगों की खरीद करने की क्षमता बढ़ गई है, परन्तु यह बात बिल्कुल गलत है। मेरा मत यह है कि इस समस्या को हल करने की दिशा में जो कार्य हुआ है वह ठीक ढंग से नहीं हुआ।

सबसे पहले आप आत्म निर्भर क्षेत्रों को लें। दक्षिण क्षेत्र तो बचत वाला क्षेत्र है। वहां से ९ लाख बोरे चावल चोरी से शोलापुर पहुंच गया। और यह चोरी काफी बड़े पैमाने पर चलती है। बम्बई जैसे नगरों में लोगों को सस्ते अनाज की दुकानों का सहारा लेना पड़ता है। आज बम्बई में जो अनाज मिल रहा है उसमें आधी मिट्टी है और जिस मात्रा में मिलता है वह काफी नहीं होती। सस्ते अनाज की दूकानें केवल दिखावा हैं। बम्बई में चोरी से आया हुआ चावल इत्यादि खूब बिकता है। इसलिये आपकी आत्म निर्भरता तथा अन्य सम्बद्ध योजनायें असफल सिद्ध हुई हैं। इससे कोई लाभ नहीं हुआ। कर्जा देना बन्द कर दिया गया और अनाज के सट्टे पर पाबन्दी लगा दी गई है यह ठीक दिशा में कदम है। परन्तु इससे समस्या हल नहीं होगी, हमें वितरण के ढंग को भी बदलना होगा। और इन सब बातों का मुख्य आधार तो उत्पादन है और यदि वह ही ठीक न हो तो कुछ भी नहीं चल सकता।

अशोक मेहता समिति ने मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड की सिफारिश की और उसका तात्पर्य यह था कि फसल की ऋतु के आरम्भ में कुछ नीचे का मूल्य निर्धारित कर दिये जायें ताकि कृषकों को अपने उत्पादन की लागत पर कुछ लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रकार वह पूरे शौक से कृषि के कार्य में अपना सब कुछ लगा देगा। इसके खर्च के सम्बन्ध में भी भारी विषमता पाई जाती है। अखिल भारतीय स्तर पर यह १७ प्रतिशत है, परन्तु बम्बई में ५ १/२ प्रतिशत है। महाराष्ट्र में यह प्रतिशत कुछ और अधिक है। इस सम्बन्ध में एक खेद का विषय यह भी है कि सिंचाई योजनाओं पर सरकार ने लाखों रुपये खर्च किया है परन्तु किसान को समुचित अपेक्षित मात्रा में

*†मूल अंग्रेजी में

पानी नहीं दिया जा सका। कारण कुछ भी हो हम इसका सरकार से उत्तर मांग सकते हैं। हम बाहर से खाद्यान्न मंगा कर लोगों की सहायता करने पर खर्च करते हैं, तो क्या हम कम दामों पर किसान को पानी देने पर खर्च नहीं कर सकते हैं? परन्तु यहां तो योजना ही गलत ढंग से बनती है। यदि ऐसा किया जाता तो खाद्यान्न आयात की आधी मात्रा कम हो जाती और कुछ समस्या भी हल हो जाती। सिंचाई परियोजनाओं पर जो कुछ भी हमने खर्च किया है वह बेकार ही गया है।

बीज के सम्बन्ध में मंत्री महोदय का ध्यान नये आविष्कारों की ओर भी आकृष्ट होना चाहिये, जिससे बीज की क्षमता में भारी परिवर्तन हो जाता है। हमारा अणुशक्ति विभाग इस सम्बन्ध में प्रयोग कर रहा है। हो सकता है इससे हमारे उत्पादन में कुछ वृद्धि हो जाय। खाद्य मंत्रालय ने शायद इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : हमने कुछ बीजों का प्रयोग किया है परन्तु उनके परिणामों के सम्बन्ध में पूरा निर्णय अभी नहीं किया जा सका है।

†**श्री नौशीर भरूचा** : यदि अमरीका में, इस सम्बन्ध में परिणाम सन्तोषजनक हैं, तो हमारे यहां सन्तोषजनक क्यों नहीं, इस बात की जांच की जानी चाहिये।

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैंने यह नहीं कहा कि परिणाम सन्तोषजनक नहीं। मैंने कहा है कि अभी पूरा परिणाम नहीं निकाला जा सका है।

†**श्री नौशीर भरूचा** : अमेरिका में इसके परिणाम सन्तोषजनक रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि सारा दोष सरकार का ही है, परन्तु जिम्मेदारी सरकार की ही है। जब वह आलोचना के प्रति लापरवाही का व्यवहार करती है तो मामला बिगड़ता है। गलत प्रचार और गलत आंकड़े देने से भी समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकल सकता।

†**श्री ज० रा० मेहता** (जोधपुर) : वास्तव में बात यह है कि हम खाद्य समस्या को हल नहीं कर सके। हमारा देश विशाल है, इसके विशाल साधन हैं, करोड़ों रुपये भी हमने खर्च किये हैं परन्तु हम इस समस्या को हल नहीं कर सके। प्रथम योजना के अन्त में कहा गया था कि हम आत्म निर्भर हो गये हैं परन्तु कुछ काल बाद ही मामला पुनः बिगड़ गया। जितनी बातें हमने कीं, इतना हमने काम नहीं किया। राज्यों के कार्यों के सम्बन्ध में बढ़ा चढ़ा कर गलत आंकड़ों को जनता के सामने रखा गया। प्राकृतिक प्रकोपों को भी इस संकट का कारण बताया गया; कहीं बाढ़ें आती रहीं और कहीं अकाल पड़ते रहे। यह भी कहा गया कि भारतीय कृषक इस काम में बहुत हो पीछे है। सुधार की गति बड़ी धीमी है। अन्त में यह भी कहा गया है कि जनसंख्या बढ़ गई है। यह सब बातें किसी ठोस तथ्य पर आधारित नहीं हैं। कृषकों पर आपने दोष लगा दिया, परन्तु उनकी कठिनाइयों की ओर ध्यान न दिया। उनको अपेक्षित सुविधायें ही उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। पानी न मिलने की शिकायत आम सुनी जाती है।

भूमि सुधारों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि ३० से ५० तक की उपरिसीमा निर्धारित की तो अच्छे शिक्षित और समझदार लोगों की रुचि कृषि से हट जायेगी। समुचित साधनों वाले लोग इस व्यवसाय से निकल जायेंगे। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार भूमि की पुनः बांट करना गरीबी को वितरण करने वाली बात है। हम बहुत व्यापक आधार पर योजना बनाते हैं, इसलिये हमें प्रशासन

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ज० रा० महता

मशीनरी को साफ करना चाहिये। और इस बात का बराबर ध्यान रखना चाहिये कि कृषक का जीवन स्तर ऊंचा किये बिना हम अधिक उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकते।

खण्ड प्रणाली के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि राजस्थान को बम्बई के साथ रख दिया गया है जिससे कमी वाले ८०० ग्रामों को काफी कष्ट का सामना करना पड़ा है। इस खण्ड प्रणाली को बन्द कर देना चाहिये। भारत के प्रत्येक भाग में लोगों को अनाज एक ही भाव पर मिलना चाहिये। अनाज के एक दूसरे राज्य में जाने पर कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिये इसकी संविधान में व्यवस्था भी है। आपात काल हो तो बात दूसरी है।

डा० सुब्बरायन (तिरुचेंगोड) : हमारी सारी खाद्य समस्या का दारोमदार अब मानसून पर ही है। विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण, हम खाद्यान्नों का आयात भी नहीं कर सकते।

योजना आयोग ने कहा है कि सभी राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जमींदार या भू-स्वामी खादों पर कुछ खर्च ही नहीं करना चाहते। दूसरी ओर वह भूमि किसानों की नहीं होती इसलिये किसान भी उसके विकास में कोई दिलचस्पी नहीं लेते और न उनके पास इतनी गुंजाइश ही है। हमारे आन्ध्र प्रदेश में प्रति एकड़ उत्पादन देश में सब से अधिक होता है। हम बार-बार कह चुके हैं कि इसका कारण पता लगाया जाये, उससे बाकी देश में उत्पादन बढ़ने में बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। हमारे देश के किसानों के पास खेती के आधुनिक तरीकों की कोई समझ ही नहीं है।

देश में कई जगह आदर्श फार्म स्थापित किये गये हैं, लेकिन आम किसानों से उनका कोई सम्पर्क ही नहीं रहता। खेती के आधुनिक औजारों का उपयोग करने के लिये जरूरी है कि फार्म बड़े-बड़े हों, तभी वह आत्मनिर्भर बन सकते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ निश्चित ही नहीं है। एक ओर तो भूमि को किसानों में बांटने की बात कही जा रही है, और दूसरी ओर सहकारी खेती की बात होती है। जब तक हम इस समस्या का हल नहीं कर लेंगे तब तक उत्पादन नहीं बढ़ सकता।

हमारे देश में खाद्य-उत्पादन मानसून के भरोसे ही रहता है। आन्ध्र प्रदेश में बहुत से तालाब हैं, लेकिन वे सूखे पड़े हैं। जब तक हम इन छोटे-छोटे सिंचाई कार्यों की ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक उत्पादन में कोई वृद्धि होना मुमकिन नहीं। इस देश में सिद्धान्तों की बातें बहुत करते हैं, पर असल में कुछ भी नहीं करते।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : यह श्वेत पत्र देश की भूखी जनता के जख्मों पर नमक छिड़कता है। सरकार को देश की जनता के प्रति कम से कम सहानुभूति तो दिखानी चाहिये।

श्वेत पत्र तो कहता है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ ही खाद्यान्नों की मांग भी बढ़ गई है और जनता को खरीदने की शक्ति भी बढ़ रही है। दूसरे शब्दों में, इस के बारे में इतनी चीख-पुकार मचाने से क्या फायदा !

लेकिन, सचाई क्या है ? योजना आयोग ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलताओं और सम्भावनाओं का लेखा जोखा करते हुये कहा है कि कृषि पर कितना खर्च किया गया है, उतने अनुपात में कृषि उत्पादन नहीं बढ़ा है। लेकिन, क्यों ? माननीय मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिये। चीन में कृषि योग्य भूमि भारत से बहुत कम है, लेकिन उसकी आबादी हमसे दो गुनी बड़ी है, फिर भी

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन खाद्यान्नों का निर्यात करता है और भारत को आयातों पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भिक वर्ष के बीच सिंचाई के क्षेत्र में कुल २ प्रतिशत वृद्धि हुई थी। दूसरी ओर, चीन में इसी काल में सिंचाई का क्षेत्र ३ प्रतिशत बढ़ गया था। भारत सरकार को सफ़ाई देनी चाहिये कि छोटे, मध्यम और बड़े सिंचाई कार्यों पर इतना अधिक ख़र्च करने के बाद भी इतनी नगण्य वृद्धि क्यों हुई। चीन में प्रति एकड़ उत्पादन २,५८० है और भारत में कुल १,६८० ही है।

हमसे कहा गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बीज फार्मों की स्थापना का कार्यक्रम तेज़ी से आगे बढ़ेगा। उनका लक्ष्य था ४,१८५ बीज फार्म, जब कि १९५६–५७ में कुल ३४३ बीज फार्म ही खोले जा सके हैं। लेकिन सरकार ने इससे भी बड़ी निर्दयता का काम यह किया है कि ४,१८५ बीज फार्मों के लिये जमीन ले ली गई है, जो फार्म न बनने से बेकार पड़ी हैं। उन पर खेती भी नहीं होती। यह इन्तहाई गैर-जिम्मेदारी है।

सिंचाई की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में, मैं पूछता हूं कि उत्पादन बढ़ाने के लिये सिंचाई की सम्भावनायें बढ़ाने के लिये कुछ भी क्यों नहीं किया गया। माननीय मंत्री ने ४ जुलाई, १९५८ को हैदराबाद में स्वयं ही कहा था कि आन्ध्र प्रदेश के २५,००० तालाबों का कोई भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि विदेशी विशेषज्ञों के अनुसार प्रति एकड़ उत्पादन में ३००–४०० प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है। सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है ?

इस सम्बन्ध में मेरा एक ठोस सुझाव यह है कि चढ़ते हुये मूल्यों को रोकने के लिये सरकार को कुछ निश्चित कदम उठाने चाहियें। इसके लिये अच्छा यह होगा कि भारत सरकार मूल्यों की वृद्धि रोकने की शक्तियां राज्य सरकारों को सौंप दे। और इसके साथ ही खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये कमर कस ले।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** (नई दिल्ली) : इस श्वेत पत्र को पढ़ कर मुझे बड़ी निराशा हुई है। सरकार से मुझे ऐसी आशा नहीं थी।

इस श्वेत पत्र को पढ़ कर तो यही नतीजा निकाला जा सकता है कि सरकार के पास मूल्य-नीति जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। श्वेत पत्र में स्वीकार किया गया है कि उत्पादन में १० प्रतिशत कमी होने से मूल्य चढ़ गये हैं। सरकार को आशा है कि उसे अमरीका से दस लाख टन खाद्य मिल जायेगा।

इस पर नियंत्रण करने का दूसरा तरीका यह है कि सस्ते गल्ले की दूकानें खोल कर वितरण का नियंत्रण किया जाये। श्वेत पत्र में कहा गया है कि सरकार ने सस्ते गल्ले की ४१,००० दूकानें खोली हैं। लेकिन ये दूकानें किस ढंग से काम करती हैं ?

श्वेत पत्र में मूल्यों की वृद्धि के कारण यह गिनाये गये हैं कि बाढ़ों और वर्षा के अभाव से फ़सलों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन यह तो कोई नई बात नहीं है। हम पिछले सात साल से यही सुनते आ रहे हैं। सभ्य और विकसित देश में प्रकृति की मनमानी की दया पर मूल्यों को नहीं छोड़ा जाता।

इसमें दूसरा कारण यह बताया गया है कि जनता की खरीदने की शक्ति बढ़ने से खाद्यान्नों की मांग बढ़ गई है। मैं कह सकती हूं कि ग़रीब और मध्य वित्त के लोगों में खाद्य का उपभोग

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

नहीं बढ़ा है । अधिक मूल्यों के कारण, उसमें कुछ कमी ही हुई है । ऐसे लोग तो बचत बैंकों से अपना रुपया और अधिक निकाल रहे हैं ।

श्वेत पत्र में जनवरी से जुलाई १६५८ तक के काल में खाद्यान्नों के मूल्यों की वृद्धि का कोई कारण नहीं बताया गया है । सरकार जानती ही नहीं । सरकार को यह अनुभव कर लेना चाहिये कि खाद्यान्नों के मूल्य नियंत्रण की समस्या ही एक ऐसी समस्या है जिस पर स्वतंत्र भारत के अस्तित्व का सारा दारोमदार है ।

आठ साल के योजनीकरण के बाद भी, हमारे खाद्य उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है । अब भी हमारा देश खाद्य आयात पर ही आश्रित है । श्री अशोक मेहता कहते हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में १६ समितियां नियुक्त कर चुकी है । इसके लिये सरकार ने इतने सारे विभाग खोल रखे हैं और करोड़ों रुपया बहाया है । लेकिन, उत्पादन में फिर भी कोई खास वृद्धि नहीं हुई है ।

इस देश की कृषि में सुधार करने का एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका सिंचाई का है । यह सही है कि सरकार ने सिंचाई की छोटी और बड़ी परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किये हैं, लेकिन पानी की दर ऊंची होने के कारण किसान उसका उपयोग ही नहीं कर पाते ।

उत्तर प्रदेश में तो नल कूपों के कारण सरकार को साढ़े तीन करोड़ रुपयों की हानि हुई है । बिहार की हालत भी इतनी ही बल्कि इससे भी खराब है । हम इन पर रुपया खर्च करते हैं लेकिन वह पानी खेतों तक नहीं पहुंचता ।

पंजाब अपने खाद्य उत्पादन के लिये मशहूर है, लेकिन वहां भी, १६४८ और १६५७ के बीच, ४० से ५० लाख एकड़ तक भूमि पानी में डूबी रही । आज तो वहां लगभग ८० लाख एकड़ भूमि जल में डूबी हुई है ।

चम्बल परियोजना की रिपोर्ट सुनिये । उसमें कहा गया है कि यदि सावधानी न रखी गई तो नहरी सिंचाई की यह योजना बड़ी हानिकारक सिद्ध होगी क्योंकि किसान अपनी छोटी ज़रूरतों को ही देखेंगे । इससे सिद्ध हो जाता है कि इस धन बहाने पर भी उससे खाद्य उत्पादन को कोई लाभ नहीं हो रहा है ।

यदि हम वाकई कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें विभागों के अधिकारियों पर ही सब कुछ नहीं छोड़ देना चाहिये । हमारे विभागों में अधिकारियों की भरमार है । असल में ज़रूरत इस बात की है कि आम किसानों को आगे बढ़ने के लिये प्रेरित किया जाये ।

सामुदायिक परियोजनायें इस कार्य के लिये उपयुक्त नहीं हैं । बलवन्तराय समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ़ कहा है कि देहातों के विकास के लिये ज़रूरी है कि गांव के स्तर का ही कोई संगठन यह कार्य करे । समिति ने सरकार की आलोचना भी की है कि उसने इस काम में पंचायतों का पूरा उपयोग नहीं किया है ।

हमने सस्ते गल्ले की ४१,००० दूकानें तो खोल दी हैं, मगर हमें यह भी जांच करनी चाहिये कि उनका कितना गल्ला साठे बाजों के गोदामों में चला जाता है । दिल्ली में पहले सस्ते गल्ले की ६०० दूकानें थीं । अब उन सभी को बन्द कर दिया गया है । पहले यहां की १०० चक्कियों को प्रति मास ५० मन गेहूं का कोटा दिया जाता था, इस शर्त पर कि वे साढ़े पन्द्रह रुपया फी मन पर इसे बेचेंगी । अब वह कोटा भी बन्द कर दिया गया है और उसकी दर १८ रुपये फी मन

हो गई है । पता नहीं अब दिल्ली के लिये क्या प्रबन्ध किया जायेगा और मूल्यों की वृद्धि कैसे रोकी जायेगी । उत्पादन बढ़ाये बिना इस समस्या का हल करना मुमकिन नहीं ।

†**श्री च० द० पांडे** (नैनीताल) : इस समस्या के बारे में विभिन्न माननीय सदस्यों ने विभिन्न रूपों में और विभिन्न कारणों से अपनी नाराजी प्रकट की है और विभिन्न सुझाव भी रखे हैं ।

श्री अशोक मेहता बड़े विद्वान हैं । उनका सुझाव है कि सरकार को खाद्यों का निम्नतम मूल्य बनाये रखना चाहिये । और यदि ऐसा नहीं होगा तो अनिश्चित अवस्था के कारण लोग खाद्य उत्पादन ही नहीं करेंगे । कई अन्य सदस्यों ने भी यही बात कही है । आज यह सुझाव बेकार है, क्योंकि गेहूं का मूल्य २० और २२ रुपये फी मन तो चढ़ ही गया है । निम्नतम मूल्य तो तभी आ सकता है जब कि वर्तमान मूल्यों में कुछ गिरावट आ जाये । किसानों और उत्पादकों दोनों ही के हित में यह है कि देश में खाद्यान्नों के मूल्यों को १३ रुपये फी मन से नीचे और १६ रुपये फी मन से ऊपर नहीं जाने देना चाहिये । हमें केवल शहरों में रहने वाले उपभोक्ताओं की ओर ही ध्यान नहीं देना चाहिये । गांव के उपभोक्ताओं और उत्पादकों का भी ख्याल रखना चाहिये ।

आज सारा खाद्य संकट इसी बात को ले कर है कि खाद्यान्नों के मूल्य बहुत ऊंचे चढ़ गये हैं और लोग उसे खरीद नहीं सकते ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने खाद्यान्नों के आयात के बारे में बड़ा रोष प्रकट किया है । ठीक है, लेकिन खाद्य मंत्री के सामने और चारा ही क्या है ?

इसके ठीक विपरीत, श्री त्रि० कु० चौधरी पूछते हैं कि और पहले आयात क्यों नहीं किया गया ? उनका कहना है कि सरकार को २० लाख ५० हजार टन के स्थान पर ८० लाख टन खाद्य का आयात करना चाहिये था ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

डा० सुब्बरायन कहते हैं कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिये । श्री रंगा शायद कहेंगे कि सहकारी समितियां होनी चाहिये । ये सभी सुझाव एक दूसरे के ठीक उल्टे हैं । माननीय मंत्री किसे मानें ?

सभी जानते हैं कि देश का खाद्य संकट कितना गम्भीर है और उसके लिये हमें ख़ास ख़ास बातें क्या करनी चाहियें । उनको दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं । लेकिन यह कहना ग़लत है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही है । १९५२–५३ में हमारे यहां ५ करोड़ ८० लाख टन खाद्य होता था, और दो तीन साल बाद यह उत्पादन ६ करोड़ ६० टन हो गया था । यह दूसरी बात है कि वह फिर मौसम की गड़बड़ी के कारण कुछ गिर गया है । हमें केवल एक ही वर्ष के उत्पादन के आंकड़ों को अपनी आलोचना का आधार नहीं बनाना चाहिये ।

हमारे देश की सब से बड़ी समस्या जन संख्या की है । मौसिम की ख़राबी से खाद्य उत्पादन पर तो बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन सन्तान की उत्पत्ति पर नहीं । हमारे देश में अभी पांच दस वर्ष तक खाद्य संकट तो रहेगा ही । यह आशा बांधना भी गलत होगा कि अगले वर्ष खाद्यान्नों का आयात करने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी । जनसंख्या में १५ प्रतिशत वृद्धि होती जा रही है । इस लिये

†मूल अंग्रेजी में

[श्री च० द० पांडे]

खाद्य समस्या इतनी आसान सी नहीं है और हमें धैर्य से ही काम लेना पड़ेगा। हमारे पास आधुनिकतम वैज्ञानिक साधन भी नहीं हैं। इसलिये उत्पादन बढ़ाने में काफी समय लगेगा और उसकी कोशिशें की ही जा रही हैं।

श्री अशोक मेहता कहते हैं कि कुछ स्थानों पर प्रति एकड़ उत्पादन गिर रहा है। उसकी वजह है बाढ़ और सूखा। कुछ लोगों का सुझाव था कि इसका भार प्रधान मंत्री को संभालना चाहिये। यह समस्या इतनी बड़ी है कि प्रधान मंत्री भी एक-दो वर्ष में उसका हल नहीं कर सकेंगे। इस के लिये समय चाहिये। श्री किदवई को इसमें इतनी सफलता इसलिये मिली थी कि उनका भाग्य अच्छा था और लगातार तीन-चार अच्छी फसलें हो गई थीं। साथ ही उनमें सूझ-बूझ भी थी।

यह सुझाव बड़ा अनुचित था कि श्री अ० प्र० जैन यदि मंत्री न रहें, तो मंत्रालय के काम में काफ़ी सुधार हो जायेगा और खाद्य उत्पादन की समस्या सुलझाई जा सकेगी।

इस सम्बन्ध में, मेरे दो सुझाव हैं। पहला तो यह कि चीनी का मूल्य डी०-२९ क़िस्म की चीनी के मूल्य पर आधारित करके निर्धारित नहीं करना चाहिये। इस क़िस्म की चीनी बाज़ार में दुर्लभ रहती है, लेकिन उसका असर यह पड़ता है कि अन्य क़िस्म की चीनियों का सामान्य मूल्य भी चढ़ जाता है।

दूसरा यह कि सरकार ने चीनी का मूल्य ३६ रुपये प्रति मन इसलिये निर्धारित किया है कि उसके विचार से इतनी लागत पर चीनी का उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन उपभोक्ताओं को इस मूल्य पर चीनी नहीं मिलती। सरकार खुदरा बाजार पर नियंत्रण नहीं कर सकी है। हर जगह चीनी एक रुपया सेर बिक रही है। खुदरा बाजार का भी नियंत्रण किया जाना चाहिये।

†**श्री भगवती** (दर्रांग) : हम देश को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने के लिये प्रयत्नशील हैं पर हमारे प्रयत्न कहीं विफल न हो जायें। भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग ७५% जनता कृषि कार्य करती है फिर भी हमारे यहां खाद्य संकट है? यह बड़ी चिन्ता की बात है। पिछले १० वर्षों में हमने २६० लाख टन खाद्यान्न का आयात किया है जिसमें हजारों करोड़ रुपये व्यय हुये हैं। श्वेत पत्र में कहा गया है कि मौसम के प्रकोप के कारण फसल अच्छी नहीं हुई है। मैं मानता हूं कि फसल की बरबादी का एक कारण मौसम भी है। पर हमें यह भी ध्यान देना चाहिये कि जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। मांग भी बढ़ रही है और पूर्ति की कमी हो गयी है। अतः इस कठिनाई को हमें दूर करना है। हमारी कृषि की उन्नति न होने का कारण यह भी है कि सामुदायिक परियोजनाओं में हमें जनता का सहयोग नहीं मिल पाया है।

किसानों का तथा कृषि का संगठन भी आवश्यक है। किसानों को नये नये आवश्यक यंत्र व औजार दिये जाने चाहिये और उन औज़ारों के इस्तेमाल की विधि भी उन्हें बतलाई जानी चाहिये। हमारे प्रदेश आसाम में ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से फसल को बचाने के लिये एक बांध बनवाया गया है। पर बांध के कारण जमीन की उर्वरता कम हो गयी है। अतः सरकार को इस संबंध में गवेषणा करनी चाहिये कि वहां की भूमि की उर्वरता कैसे बढ़ाई जाये।

मेरा सुझाव है कि आसाम में भी एक नदी घाटी परियोजना शुरू की जाये ताकि वहां बाढ़ें रोकने तथा सिंचाई की व्यवस्था संबंधी सुविधायें मिल सकें। बांध बन जाने से तो समस्या पूरी तरह नहीं सुलझ पाई है। अतः सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिये?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कल श्री विभूति मिश्र ने जो स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उस पर दो संशोधनों की सूचना मुझे मिली है। एक संशोधन श्री श्रीनारायण दास का है और दूसरा पंडित ठाकुर दास भार्गव का है।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : मैं अपना संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत करता हूं मैं प्रस्ताव करता हूं :—

'कि स्थानापन्न प्रस्तावों की सूची संख्या ३ में संख्या ८ पर छपे हुए श्री विभूति मिश्र द्वारा प्रस्तुत किये गये स्थानापन्न प्रस्तावों में :—

पैरा २ में,

"उपयुक्त तथा सक्रिय कार्यवाही" के पहले "अधिक" शब्द रखा जाये।'

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मैं अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : दोनों संशोधन सभा के सामने हैं। श्री अ० चं० गुहा।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसात) : लगभग हर सत्र में हम खाद्य समस्या पर विचार करते हैं। जहां तक उत्पादन का प्रश्न है इस वर्ष पिछले वर्ष से ६५ लाख टन कम उत्पादन हुआ है। अतः कठिनाइयां सामने आयेगीं और मूल्य बढ़ेंगे। गत वर्ष ३६ लाख टन खाद्यान्न का आयात किया गया था पर इस वर्ष केवल १८ लाख का आयात किया गया है। फसल अच्छी न होने पर भी आयात कम करने का क्या कारण है ?

खाद्य समस्या को हल करने के लिये हमें उत्पादन बढाना होगा। यदि उत्पादन नहीं बढ़ता तो हमें आयात करना ही होगा। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। पिछले १० वर्षों में करोड़ों रुपये सिंचाई परियोजनाओं में व्यय किये गये हैं पर सिंचाई के साधनों का आधा उपयोग भी नहीं किया गया है। मंत्री महोदय ने भी यह बात स्वीकार की है। बीज फार्मों तथा उर्वरक की कमी भी उत्पादन की कमी के कारण रहे हैं। सरकारी रुपये को बरबाद करने से क्या लाभ यदि उसका पूर्ण उपयोग न हो। मैं नहीं जानता मंत्री महोदय कैसे समस्या को हल करने जा रहे हैं।

मंत्रालय द्वारा दिये गये आंकड़ों से पता लगता है कि चावल को छोड़कर अन्य खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत कम हुआ है। बड़े खद की बात है कि हम अब भी सोये हुये हैं। प्रति एकड़ उत्पादन में भी कमी हुई है। माननीय मंत्री ने बताया कि ४१,००० उचित मूल्य दुकानें खोल दी गयी हैं। पर उन दुकानों पर प्रायः गल्ला ही नहीं होता। होता भी है तो बहुत कम। कम से कम पर्याप्त गल्ला तो होना ही चाहिये। ६० या ७० प्रतिशत लोगों को गल्ला मिल ही नहीं पाता। बंगाल में तो लोगों को चावल नहीं मिलता। वे आटा और गेहूं लेने को तैयार हैं। माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे उचित मूल्य दुकानों के समुचित संचालन की ओर ध्यान दें। यह कहना गलत है कि बंगाल में मूल्य स्थिर हो गये हैं। मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं। यही हाल आसाम और बिहार का भी है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री आश्वासन दें कि सरकार मूल्य स्थिर करायेगी और उससे अधिक बढ़ने नहीं देगी। सट्टेबाजी भी अभी दबी नहीं है।

खाद्य समस्या को कृषि द्वारा ही हल किया जा सकता है। सरकार को अपनी सारी प्रक्रिया बदलनी चाहिये। सरकार ने जिस नौकरशाही पर भरोसा किया था वह असफल रही है। वह न उत्पादन बढ़ा पाई और न वितरण की ठीक व्यवस्था कर पाई। तथा मेरा सुझाव है कि प्रत्यायोजित अधिकारी के लोकप्रिय सहयोग को प्राप्त करके मंत्री महोदय इस समस्या को हल करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : उपाध्यक्ष महोदय, अन्न संकट पर अपने विचार प्रकट करने के पूर्व मैं निहायत ही अदब से आप से दरख्वास्त करूंगा कि हम लोगों के साथ बहुत बड़ी हक़तलफ़ी होगी अगर हमारे समय के अन्दर कटौती की गई। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम लोगों को भी उतना ही समय दिया जाय जितना कि अन्य माननीय सदस्यों को दिया गया है।

देश की आज़ादी के बाद हर वर्ष खाद्य संकट, अन्न संकट और अर्थ संकट के ऊपर यह वाद-विवाद इस लोक-सभा में सुनते हुए और अख़बारों में पढ़ते हुए चलते आ रहे हैं। केवल उस वाद-विवाद के बाद हम यह समझ लेते हैं और हुकूमत यह समझ लेती है कि उसका काम पूरा होगया और उसे कुछ और काम करना बाकी नहीं है।

श्रीमान्, आज यह जो अन्न संकट जिस पर यह वादविवाद हो रहा है, आज मुल्क में सिर्फ़ अन्न संकट ही नहीं है। मुल्क में आज दो संकट हैं। प्रथम तो अन्न संकट और जिन कारणों से यह अन्न संकट है उस पर कभी वाद-विवाद नहीं होता है। उसकी तरफ़ हम ध्यान ही नहीं देते हैं और यह द्वितीय संकट है सरकारी संकट। आज मुल्क के अन्दर यह दो संकट अन्न संकट और सरकारी संकट मौजूदहैं। इन दो संकटों के बीच में यह एक चक्की के दो पाटों के बीच में आज देश क सभी गरीब लोग पिसे और दबाये जा रहे हैं। आज मुल्क में प्रश्न यह नहीं है कि खाद्य संकट को कैसे मिटाया जाय या गल्ले की कमी को खत्म करके कैसे अन्न का उत्पादन बढ़ाया जाये बल्कि मुख्य प्रश्न आज हमारे सामने यह है कि हमारी खाद्य नीति हमारी कृषि नीति जो निर्धारित की जाये वह स्थायी हो और मज़बूत हो जिससे कि हम आगे चल करके मुल्क के अन्दर अन्न का उत्पादन बढ़ा सकें। केवल अन्न का उत्पादन बढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा। अन्न का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही साथ हमको इस बात पर भी गौर करना होगा कि जो मुल्क का अन्न भंडार हे जो गल्ले का ज़खीरा है वह मुल्क के मुठ्ठी भर पूंजीपतियों के खूनी पंजों से अलग रक्खा जाये। अगर हम अन्न का उत्पादन बढ़ाते रहें और अगर आज जिस तरह से अन्न भंडारों पर मुठ्ठी भर लोगों का अधिकार बना रहता है और यदि इसी तरह रहा तो यह नक़ली अन्न संकट इस मुल्क में सदैव रहेंगे। इस लिये आगे चल करके यह नक़ली संकट न रह सकें इसलिये ज़रूरी है कि अन्न भंडारों पर चन्द एक व्यक्तियों का अधिकार न होने पाये, इस तरफ भी हुकूमत को ध्यान से देखना है।

आज हमको दो बुनियादी बातों पर गौर करना है। पहली तो यह कि जहां पर अन्नाभाव है गल्ले की कमी है वहां पर गल्ले की पैदावार को बढ़ाया जाय और उसके साथ ही साथ दूसरी तरफ दूसरा काम यह होना चाहिये कि जब अन्न का उत्पादन बढ़े तो उसके साथ ही साथ हमारी पंर्चेजिंग पावर, क्रयशक्ति, भी बढ़े जिस से मुल्क के लाखों, करोड़ों भूमिहीन खेतिहर मज़दूर और कम तनख्वाह पाने वाले नौकरी पैशा लोग अपनी जो कुछ भी उनकी पूंजी या मासिक आमदनी हो उससे वे अपनी ज़रूरत के लायक़ अनाज ख़रीद करके अपने परिवार की परवरिश कर सकें। इसलिये आज इस बात पर भी गौर किया जाये कि किस तरीक़े से हमारी पर्चेजिग पावर बढ़े। हम देखते हैं कि वस्त्रों का उत्पादन बढ़ा लेकिन फिर भी उन मेहनतकशों की बेटियों और उनकी मां बहनों के लिये उनके तन की लाज ढकने के लिये कपड़ा नहीं मिलता है हालांकि उनके द्वारा मिलों और कारखानों में करोड़ों ग़ज कपड़ा तैयार किया जाता है। इसलिये हमारा दूसराकाम यह होना चाहिये कि हम अन्न उत्पादन के साथ साथ लोगों की पर्चेजिंग पावर बढ़ायें।

उपाध्यक्ष महोदय, आये दिन अपने इस देश में भूख से विलख विलख कर मरने वाले लोगों की ख़बरें अख़बारों में निकला करती रहती हैं। हमें दुःख तो इस बात का है कि खाद्य संकट के समय में भी आज यह सरकार उन लोगों को जिनके कि कारण कभी कभी मुल्क में नक़ली संकट उत्पन्न हो जाता है, उनके हितों और उनके स्वार्थों को देख कर आज गल्ले की क़ीमत जो ग़ल्ला किसान के खेत

और खलिहान से उठ कर आता है और जब वह मुठ्ठी भर लोगों के हाथों में आ जाता है तो जिस ग़ल्ले को १६ और १४ रुपये मन की दर से खरीदा गया है उसी को १० रुपये फी मन और बढ़ा करके बाद में बेचा जाता है । इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा ।

यह अफ़सोस की बात है कि पिछले कई वर्षों से इस तरफ़ भी कृषि मंत्री महोदय का और देश की हुकूमत का ध्यान दिलाया गया कि यह ४ आने फ़ी सेर जो खुलेआम लूट चलती है वह बंद हो सके और इस तरह जो किसानों का २ अरब रुपया हर साल का चला जाता है वह बच सके । अगर सरकार इसको रोकने के लिये कुछ सख्त क़दम उठाये तो किसानों को बहुत बड़ी राहत दिलाई जा सकती है ।

हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने मार्च, १९४९ में एक खाद्य नीति निश्चित की थी । उन्होंने यह घोषणा की थी कि मार्च, सन् १९५२ तक हम देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर कर देंगे, स्वावलम्बी कर देंगे लेकिन आज हम देख क्या रहे हैं कि कितने मार्च हम मार्च कर चुके हैं, कितनी भयंकर काली बरसातें और भयावनी रातें निकल चुकीं हैं, कितने ग्रीष्मकालीन तपते हुये दिन गुज़र चुके हैं लेकिन क्या गल्ले का उत्पादन बढ़ा ? क्या गल्ले की कमी के कारण मौतों में कमी हुई ? क्या हमारा मुल्क खाद्यान्न के मामले में स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर हुआ ? जब हम गौर करते हैं तो देखते हैं कि गल्ले की पैदावार दिन पर दिन घटती चली जा रही है । यह सरकारी आंकड़े बताते हैं । मरने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होती चली जा रही है यह हमारे अख़बार बतलाते हैं । अब ऐसी दशा में जब तक कोई मज़बूत और ठोस कदम नहीं उठाया जायगा तब तक इस संकट से हम देश को नहीं बचा सकेंगे और हम अपने मुल्क को जीवित और जिन्दा नहीं रख सकेंगे ।

श्रीमन्, कल पूर्वी उत्तर प्रदेश का ज़िक्र किया गया । इस समय हमारे माननीय खाद्य मंत्री महोदय ने कहा कि यह तो राज्य का मामला है । कोई भी राज्य हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मरने वाले बिहार में हों राजस्थान में हों, व कहीं न कहीं और किसी न किसी राज्य में मरेंगे तो ही । इसलिये हुकूमत से और खास कर मैं खाद्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एक एक ज़िले के अन्दर सैंकड़ों लोगों की खाद्यान्न के अभाव में गल्ले की कमी के कारण मौतें हो जाती हैं लेकिन यह सरकार न कुछ सोचती है और न मरने वाले लोगों के प्रति हमदर्दी के दो शब्द ही कहती है ।

मैं ने अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, आज़मगढ़, और देवरिया, तमाम स्थानों को देखा और जो भुखमरी और गरीबी उन ज़िलों में मुझे देखने को मिली वह कल्पना से बाहर है ।

श्रीमन्, मैं आपकी मारफ़त हुकूमत के नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि अकेले देवरिया ज़िले की सलेमपुर तहसील में भूख से यह मौतें हुईं :

१. श्री रंग बिहारी पुत्र दृगपाल, उम्र ३५ वर्ष ग्राम बोसघाटी, थाना खामपार, २–७–५८.

२. कौलेसेर
३. मु० यनवा, } ग्राम रारि, थाना खुखुन्दों ।

४. राममनी गोंड, ग्राम मरहवा, थाना खुखुन्दों

५. फूलचन्द हरिजन, ग्राम वरसाथ, थाना वरहज

६. टेगरी हरिजन
७. हरिशरण पुत्र टेगरी, } गुमटही, थाना खुखुन्दों

८. भगिरतिया पुत्री ब्रजराज, ग्राम बलिया, थाना लार

[श्री अर्जुनसिंह भदौरिया]

इस तरह से एक दो नहीं सैंकड़ों लोगों की रोज मौतें हो रही हैं। प्रान्तीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है और साथ ही साथ केन्द्रीय सरकार का भी ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जो श्वेत पत्र जारी किया जाता है उसमें कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि आज मुल्क में किस तरह से अन्नाभाव के कारण गरीबों की मौतें हो रही हैं।

अगर आप अन्न का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा सुझाव है कि सबसे पहले पानी की उचित व्यवस्था की जाय। जब तक सिंचाई की ठीक से व्यवस्था नहीं होती तब तक अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ सकता। ये जो करोड़ों और अरबों रुपये लगाकर बड़े बड़े बांध बनाये जा रहे हैं उनसे काम पूरा नहीं होगा। इसलिये हमारा सुझाव है कि छोटी छोटी योजनाओं की तरफ ध्यान दिया जाये। अगर यह सरकार यह टारजेट बना ले कि हर साल में दस लाख कुएं बनायेगी और एक कुवें पर एक हजार रुपये की सबसिडी (सहायता) देगी और एक हजार का तकावी लोन दिया जायेगा, तो इस तरह से दस लाख कुवों पर एक अरब रुपया खर्च होगा, और एक कुवें से एक फसल के अन्दर कम से कम दस एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी, और इस तरह से पूरे वर्ष के अन्दर एक कुवें से २० एकड़ की सिंचाई हो सकती है यानी एक वर्ष के अन्दर इन कुवों से दो करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई बिला बड़े बड़े बांधों के और बिला बड़ा खर्च किये हुये इन छोटी छोटी योजना से हो सकती है। अगर सरकार ने यह काम पिछले दस वर्षों में किया होता तो आज हमारे देश में २० करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई इन छोटी योजनाओं से हो सकती थी।

हमारे देश के अन्दर २९ करोड़ एकड़ जमीन हल के नीचे है जिसमें से सिर्फ ६ करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। अंग्रेजी राज्य में तीन करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई होती थी और दस वर्षों के अन्दर हम व्यवस्था कर सके हैं सिर्फ तीन करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई की यह है हमारी तरक्की। इसलिये मैं चाहता हूं कि छोटी योजनाओं के द्वारा शीघ्र से शीघ्र पानी की व्यवस्था होनी चाहिये।

इस के साथ ही साथ हमारा दूसरा सुझाव यह है कि जितनी जमीन अलाभकर है, जितनी जोतें गैर फायदे की हैं, जो ६ एकड़ से कम की जोतें हैं, उन सब जोतों का लगान या मालगुजारी माफ होना चाहिये। इस में सरकार को लगभग ५० करोड़ रुपये का घाटा होगा यह बात सही है। लेकिन आप देखें कि हमारे इस मुल्क के अन्दर ८५ प्रतिशत जोतें अलाभकर हैं। इन ८५ प्रतिशत के बाद जो १५ प्रतिशत जोत बचती हैं उनके पास ५५ प्रतिशत भूमि है और इन ८५प्रतिशत जोतों के पास केवल ४५ प्रतिशत भूमि है। अगर इन ८५ प्रतिशत जोतों का लगान माफ किया जाय तो इस से किसानों के अन्दर एक नई प्रेरणा पैदा होगी, उनके अन्दर नया उत्साह पैदा होगा। और हम देखेंगे कि इसका परिणाम यह होगा कि दो चार वर्षों के अन्दर यह जो हम बाहर से करोड़ों मन गल्ला मंगाते हैं यह नहीं मंगाना ना होगा और हम अपने देश को आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बना सकेंगे।

श्री सरजू पांडे (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर कल और आज मिला कर काफी देर तक देश की खाद्य समस्या पर बहस हुई। मुझे ऐसा लगता है कि केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने पार साल की तरह, जब कि यहां पर श्री अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के बाद बहस हुई थी, यह जनाने की कोशिश की है कि हमारे देश में खाद्य समस्या गम्भीर नहीं है। पार साल उन्होंने यह जनाने की कोशिश भी की थी कि प्रान्तीय सरकारों ने जो खाद्य समस्या के बारे में रिपोर्टें दी हैं वे एग्जेजेरेटेड हैं। इस सिलसिले में हमारे खाद्य मंत्री श्री जैन साहब ने उन

दिनों जो अपनी तकरीर की थी उस से मैं कुछ उद्धरण पेश करना चाहता हूं आपने उस समय शिवारमन कमेटी का रेफेरेंस देते हुए कहा था :

"१९३२, १९३५ और १९५० के सूखे के इतिहास का अध्ययन करने से मोटे तौर पर वे इन निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि नुकसान शायद उस से कम हो जितना राज्य सरकारों ने अनुमान लगाया है ।"

इस तरह से आपने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बारे में भी कहा था। पिछले साल आपने यह बताने की कोशिश की थी कि प्रान्तीय सरकारें अकाल के ज्यादा से ज्यादा फिगर बताती हैं मगर वास्तव में अकाल की ऐसी हालत नहीं है । इस साल भी केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय ने जो रिपोर्ट पेश की है उस में भी इस बात की कोशिश की गयी है कि जो देश की खाद्य समस्या की हकीकत है, जो दरअसल आज गम्भीर संकट है वह सदन की जानकारी में न आने पाये । उन्होंने पारसाल की तरह ही यह बताने की कोशिश की है कि जो हमारी जानकारी है वह ज्यादा सही है और जो कुछ लीडर कहते हैं वह गलत है और जो प्रांन्तीय सरकारें कहती हैं वह ग़लत है, बल्कि जो हम कहते हैं वह ठीक है और इस तरह से यह प्रयत्न किया गया है कि सदन के सामने यह बात न आने पाये कि अवस्था बहुत गंभीर है। इस साल भी इस रिपोर्ट के द्वारा सरकार ने यह दिखाने की कोशिश की है कि यहां पर आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोगों की खरीदने की शक्ति
उपाध्यक्ष महोदय, कोई मिनिस्टर ही नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : तीन हैं ।

श्री सरजू पांडे : यह दिखाने की कोशिश की है कि लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ गई है । इस में यह भी दिखाने की कोशिश की गई है कि आज कल लोगों को जो खाना ---१८४० कैलोरीज़---मिल रहा है , उस को ज्यादातर लोग दूसरी चीज़ों से पूरा करते हैं और चूंकि लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ गई है, इसलिए ज्यादातर लोग गेहूं और चावल खाने लगे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय मैं एक ऐसे इलाके से आता हूं, जो कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका कहा जाता है, जिस के बारे में फूडग्रेन्ज़ एन्क्वायरी कमेटी ने, जो कि पिछले दिनों वहां गई थी, और इस सदन के एक सीनियर मेम्बर, श्री शिब्बन लाल सक्सेना, ने कई बार इस सदन में कहा है कि वहां की हालत बड़ी खराब है । सरकार की ओर से कहा जाता है कि वहां की हालत बड़ी अच्छी हो गई है । श्रीमन्, मैं अपने साथ आम की गुठलियां और उन से बनी रोटी का टुकड़ा लाया हूं, ताकि आप और माननीय मंत्री उन को देखें और अन्दाजा लगायें कि वहां क्या हालत है और किस तरह से लोग रह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य वहीं से दिखा दें । इस तरह डिमांस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है ।

श्री सरजू पांडे : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं स्वयं बलिया, आज़मगढ़ और गाज़ीपुर में घरों में यह देखने के लिए गया हूं कि वहां के सम्बन्ध में जो बातें कही जाती हैं, वे कहां तक सही हैं। मैं ने खुद देखा कि एक हरिजन परिवार के घर में सात आदमी थे, लेकिन उन के यहां सिर्फ़ दो आम की गुठलियां

[श्री सरजू पांडे]

की पकी हुई रोटियां थीं। इन सब बातों के बावजूद हमारे मिनस्टर साहब कहते हैं कि वहां के लोग चावल और गेहूं खाते हैं। भुखमरी के बारे में आप फ़रमाते हैं कि किसी ने खराब अनाज खा लिया था, इस लिए वह मर गया। कल इस सदन में इस के सम्बन्ध में कुछ उद्धरण भी प्रस्तुत किए गए थे। मुझे आशा है कि मुझे माफ़ किया जायाग कि मैं यह कहने के लिए मजबूर हो गया हूं कि जैन साहब को खाद्य मंत्री की जगह अकाल मंत्री कहना चाहिए। जब से उन्होंने ईस विभाग की वाग-डोर सम्भाली है, तब से आत्म संतोष और आत्म-प्रवंचना से काम लेने, ग़लत बातें कहने और उन को हाउस की नज़र में लाने और यह दिखाने के अलावा कि हालत ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, । कहा जाता है कि कुछ जगह बाढ़ आ गई है, कुछ जगह अकाल पड़ गया है, परन्तु बाकी जगह हालत ठीक है। हकीकत यह है कि सारे देश में और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हालत बड़ी खराब हो रही है।

माननीय मंत्री ने बहुत से आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और कहा है कि पैदावार लगातार बढ़ रही है। उन्होंने यह भी दिखाने की बड़ी कोशिश की कि सिंचाई के साधनों में बड़ी तरक्की हो गई है। इस में कोई शक नहीं है कि सिंचाई के कुछ साधन उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है, आप ने जो पानी के साधन दिए हैं, उन से लोग पानी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वह पानी बहुत महंगा पड़ता हैं, उसके बड़े हैवी चार्जिज हैं और किसान उस पानी का इस्तेमाल करने में असमर्थ हैं। हमारे यहां ट्यूबवैल लगे हुए हैं, लेकिन जो किसान वहां से पानी लेता है, वह केवल उतना ही गल्ला पैदा कर पाता है, जिस से वह ट्यूबवैल के पानी का पैसा दे सकता है। इस प्रकार किसानों को सिंचाई के इन साधनों से कोई लाभ नहीं होता है।

बहुत सारी नहरें बनी हुई हैं, लेकिन अगर रास्ते में कोई रेलवे लाइन आ गई, तो रेल डिपार्टमेंट को लिखते लिखते मर जाइये, लेकिन उस की तरफ से जवाब नहीं मिलता है कि नहर खुलेगी या नहीं। मैं अपने ज़िले के विषय में जानता हूं कि नहर विभाग की ओर से इस बारे में जवाब नहीं दिया गया है और आज तक पानी नहीं आ सका है, क्योंकि उस की तरफ से नहर खोलने की व्यवस्था नहीं की गई है।

आज सरकार की तरफ़ से जापानी खेती की बहुत तारीफ की जाती है और कहा जाता है कि उस से बड़ी पैदावार बढ़ रही है। मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि जापानी खेती में एक तो वक्त ज्यादा लगता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तो एक लम्बे मज़मून को लेने लगे।

श्री सरजू पांडे : यह तो आज की बरनिंग इसु है और आज इसका बहुत ढोल पीटा जाता है कि इस से बड़ी तरक्की हो रही है, लेकिन जापानी खेती में मुसीबत यह है कि अगर पानी एक बार बरसता है और फिर तीन चार दिन नहीं बरसता है, तो खेती सूख जाती है। किसान चाहता है कि हमारा धान जल्दी से जल्दी लगा दिया जाय, लेकिन जापानी खेती में देर लगती है। लोग रस्सी लेकर बैठकर धान लगाते हैं और अगर इतनी देर में पानी सूख गया, तो धान नहीं लगाया जा सकेगा। मान लीजिए कि हम ने पचास बीघा धान लगाना है और जापानी खेती के ढंग से लगाना है, तो परिणाम यह होगा कि पानी सूख जाएगा

और हम किसी भी तरीके से धान नहीं लगा सकेंगे। हम देखते हैं कि ग्राम सेवक जब धान लगवाते हैं, तो ज्यादा धान नहीं लग पाता हैं। दिखाने के लिए थोड़ा सा धान लगा दिया जाता है और वास्तव में ज्यादा धान नहीं लगाया जाता है।

अब मैं सरकारी सहायता के विषय में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मद्रास स्टेट में तनजोर डिस्ट्रिक्ट में ट्रैक्टरों के लिए पैसा दिया गया है, मगर वह उन्हीं को दिया गया है जो खुद ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। सरकारी सहायता ज्यादातर उन्हीं लोगों के हाथों में जाती है, जो उस का ग़लत इस्तेमाल करते हैं और वह उन लोगों को नहीं मिलती है, जो कि उस का सही तौर पर इस्तमाल कर सकते हैं। बलन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि लोन देने का मतलब यह होना चाहिए कि लोन लेने वाला कैसे उस को इस्तेमाल करता है, लेकिन इस के विपरीत हमारी सरकार इस तरीके से लोन देती है कि वह जल्दी वसूल हो जाय। इसका नतीजा यह होता है कि लोन उन्हीं को मिलता है, जो कि डिज़र्व नहीं करते हैं। माननीय कृषि मंत्री हंस रहे हैं। मैं इस की मिसाल दे सकता हूं। उस की जांच कराई जाय। हमारे ज़िले में एक आदमी को ट्रेक्टर के लिए पैसा दिया गया और उस ने उस को बेच कर वह पैसा अपनी शादी में खर्च कर लिया।

एक माननीय सदस्य : उस व्यक्ति का नाम क्या है ?

श्री सरजू पांडे : अगर आप चाहेंगे, तो मैं उस आदमी का नाम बता सकता हूं।

अब मैं ज़मीनों के बंटवारे के सवाल पर आता हूं। यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने उसूली तौर पर इस बात को मान लिया है कि सीलिंग होनी चाहिए, लेकिन हमारी सूबा सरकार इस को नहीं मानती है और हमारे रेवन्यू मिनिस्टर साहब ने कहा कि यह जरूरी नहीं है और यहां ज़मीन ही नहीं है, सीलिंग कहां होगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में बारह करोड़ एकड़ बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, जिस के बंटवारे का कोई प्रोग्राम, कोई सुझाव सरकार के पास नहीं है।

अन्त में पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति के विषय में एक बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की दशा इस वक्त बहुत खराब है। सारे लोग—प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी— कहते हैं कि वहां की हालत खराब है और लोग बिना खाने के मर रहे हैं। हमारे पास कांग्रेस पार्टी के मम्बर्ज़ की स्पीचिज़ मौजूद हैं, जिन में उन्होंने कहा है कि वहां की हालत बहुत खराब है। लेकिन सरकार यह बात मानने के लिये तैयार नहीं है। मैं खाद्य मंत्रालय को यह कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश ने हिन्दुस्तान की आज़ादी के युद्ध में सब से ज्यादा बढ़ कर हिस्सा लिया है। अगर ग्यारह वरसों की आज़ादी के बाद वह इस तरह भूखों मरेगा, तो यह लाज़िमी तौर पर आप क लिए लज्जा की बात होगी और हमारे लिए तो मुंह दिखाना मुश्किल हो जायगा। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाय। मेरा निवेदन है कि मंत्री मंडल कुछ न कुछ फ़ैसला करे और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिल कर यह तय करे कि वहां सहायता पहुंचाई जाय।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सभा में चर्चा के रुख को देख कर मेरे लिये चुप रहना उचित नहीं है, अतः मैं आप से कुछ कहन की अनुमति चाहता हूं । मैं खाद्य और कृषि समस्या की जटिलता पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, इस में बहुत समय लगेगा क्योंकि विरोधी पक्ष के तथा सरकारी पक्ष क भी सदस्यों ने सरकार की खाद्य तथा कृषि नीति और खाद्य तथा कृषि मंत्री की आलोचना के सम्बन्ध में बहुत कहा है ।

सब से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो भी निश्चय किये गये या जो भी कार्यवाही की गई उनका दायित्व केवल खाद्य तथा कृषि मंत्री पर ही नहीं है, अपितु उसका दायित्व सारे मंत्री मंडल पर, भारत सरकार पर और मेरे पर भी है । ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कोई भी मंत्री बिना मंत्रीमंडल या भारत सरकार की सलाह के, और इस विशेष मामले में बिना योजना आयोग की सलाह के कोई कार्य नहीं कर सकता है । संभव है हम गलतियां कर गये हों । मेरा आशय आलोचनाओं के विरुद्ध शिकायत करना कदापि नहीं है। मेरा आशय यह है कि जो भी नीति बरती गई उसका दायित्व हम सब पर है तथा वे सभी नीतियां बनाने या निश्चय करने में हमारा हाथ रहा है । वस्तुतः हम सभी एक दूसरे से परामर्श करते रहे हैं और इन निश्चयों का दायित्व अपने ऊपर लेते रहे हैं । यदि हम असफल रहे हैं, तो हम सभी इस के लिये उत्तरदायी हैं ।

वस्तुतः खाद्य समस्या के मामले में और कृषि उत्पादन की समस्या में राज्यों का दायित्व भी बहुत अधिक है, बल्कि मुख्यतः यह राज्यों का कार्य है। कभी राज्यों का हित भिन्न होता है, ऐसे समय राज्य सरकार को भारत सरकार तथा राज्य दोनों के हितों का ध्यान रखना होता है, और यदि वह राज्य के तात्कालिक हितों पर ही ध्यान देती है तो यह बात समझी जा सकती है लेकिन उस से देश का अहित हो सकता है । ऐसा होना स्वाभाविक है लेकिन इससे भारत व्यापी नीतियों की क्रियान्विति में बाधा पड़ सकती है, जिन से अन्ततः हरेक राज्य को लाभ हो सकता है । तथ्य यह है कि पिछले कई वर्षों से हम दुर्भाग्य का सामना कर रहे हैं। मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूं । निसंदेह सरकार वर्षा के आधिक या कम होने का आश्रय नहीं ले सकती है । मैं इसे स्वीकार करने को तत्पर हूं तथापि सत्य बात यही है ।

एक माननीय सदस्य ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की अवस्था का जिक्र किया । इस सम्बन्ध में उड़ीसा और बिहार के भी कुछ भागों का जिक्र किया जा सकता है, जो उन से भी अधिक पिछड़े हुए हैं। उनका विकास करना बहुत बड़ी समस्या है । निसंदेह दायित्व से बचने के लिये यह बहाना नहीं बनाया जा सकता तथापि भारत में ही नहीं , किसी भी देश में, ऐसी समस्याओं का हल नहीं हो सकता है । आप इस सम्बन्ध में भारत की तुलना अमेरिका, जर्मनी, इंगलैंड तथा अन्य देशों से नहीं कर सकते हैं जहां की व्यवस्था भारत से बिल्कुल भिन्न है । विशेषतः उन देशों में जनसंख्या का इतना दबाव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूस में जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात लगभग १०:१ है, अर्थात वहां भूमि प्रर्याप्त है और उसकी तुलना में आबादी का दबाव कम है । भारी जन-संख्या और भूमि क्षेत्र की दृष्टि से केवल चीन की ही तुलना भारत से की जा सकती है । पश्चिम में जिन देशों ने भी आर्थिक उन्नति की है उन्होंने इस में पर्याप्त समय लिया है और तभी जाकर अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ बना सके हैं।

हमारी समस्या बहुत जटिल है और हमारी तरह के अन्य देश जैसे कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया और चीन की जैसी है । चीन की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था भले ही दूसरे प्रकार की हो तथापि हमारी समस्यायें एक ही हैं । हम नहीं जानते कि चीन इस समस्या का किस सीमा तक सफलता पूर्वक सामना कर सकेगा । उनके लिये भी यह समस्या बहुत कठिन सिद्ध होगी । भले ही वे बड़े से बड़े यंत्रों और मशीनों का उपयोग करें, उनकी बुनियादी समस्या कृषि समस्या ही रहेगी । जैसी यह भारत में है ।

तो यह समस्या बहुत जटिल है । श्री चं० द० पांडे ने जन संख्या के नियंत्रण के सम्बन्ध में कहा ; यह समस्या बहुत महत्व की है । हालांकि जिस प्रसंग में उन्होंने इसका ज़िक्र किया वह संगत नहीं था हम एक दो वर्षों में जन-संख्या का नियंत्रण नहीं कर सकते । परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण इत्यादि दुनियां भर के प्रयत्न करने के बावजूद भी इसका प्रभाव होने में २० या २५ वर्षों का समय लगगा । मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत प्रयत्न करने के अलावा प्रचार इत्यादि से भी इस कार्य में सहायता करेंगे ।

लेकिन इस से तात्कालिक समस्या का हल नहीं होगा । यह बात स्वयं सिद्ध है कि तात्कालिक कठिनाई का बुनियादी हल अधिक उत्पादन है — कृषि क्षत्र में भी और औद्योगिक क्षेत्र में भी । इस प्रकार अन्ततः यह समस्या बड़े पैमाने पर योजना तैयार करके काम करने की समस्या है, जिस में सरकार अपने सम्पूर्ण प्रयत्नों के बावजूद तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक कि उसे किसानों का सहयोग प्राप्त न हो । इस प्रकार इस में व्यक्ति का स्थान महत्वपूर्ण है । मेरी राय में नये तरीकों को एकदम न अपनाने वाला व्यक्ति एक चतुर व्यक्ति कहा जा सकता है । हां एक बार उसे विश्वास हो जाय तो वह उस पर अमल करता है । निसंदेह उसे समझाने में, उसका विश्वास प्राप्त करने में कुछ समय लगता है तथापि एक बार विश्वास होने पर वह स्वयं आगे बढ़ता है । और फिर व्यक्ति भी विभिन्न प्रकार के होते हैं और इन सब में कुछ समय लगता है ।

लेकिन आज जब हम इन चीज़ों की कोशिश करते हैं तो दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ता । पिछले तीन वर्षों से हम पर मुसीबते आ रही हैं। लेकिन हम दायित्व स्वीकार करने से मुंह नहीं मोड़ते ; क्योंकि यह सरकार का दायित्व है कि वह देश की कठिन समस्याओं का सामना करे और उन्ह हल करे । लेकिन ऐसा करते हुए वे सभा के सम्मुख वस्तु स्थिति रख सकते हैं और सभा से इस महत्व समस्या का हल करने में सहयोग प्राप्त करने की प्रार्थना कर सकते हैं ।

हम बड़ी योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में बातें करते हैं । तथापि इन सब से बड़ी और ब्यापक समस्या कृषि की है । भले ही हमें अन्य बहुत

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

से मामलों में सफलता या असफलता मिले तथापि हम इस समस्या की महत्ता और गंभीरता समझने लगे हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि पहिले मैं ने इस समस्या की गम्भीरता को नहीं समझा था । यदि ७, ८ वर्ष पहिले आपने यही प्रश्न पूछा होता तो मैं ने इस सम्बन्ध में सहज और आशावादी रवैया अपना होता । और एक विशेषज्ञ की भांति नहीं बल्कि सामान्य व्यक्ति की भांति मैं ने यही कहा होता कि खाद्य का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इसका उत्पादन या तो देश में करना चाहिये या इसका आयात करना चाहिये । लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों के दबाव, वर्षा के कम और अधिक होने तथा अन्य कई मामलों में कठिनाई पैदा हो जाने के कारण मैं ने धीरे धीरे बड़े दुख के साथ यह सबक सीखा कि खाद्य उत्पादन के समान भारत में और कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है । सरकार तथा योजना आयोग इस बात को भली भांति समझते हैं और इसी लक्ष्य को ध्यान में रख कर काम कर रहे हैं। हम राज्य सरकारों को भी यह बात समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार कृषि के महत्व को जानते हुए भी अन्य बातों की ओर अधिक ध्यान दे रही है । मैं एक बार पुनः बता देना चाहता हूं कि मैं अपने कार्यों को न्यायोचित ठहराने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं तथापि यह बताने के लिये कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश या देश के अधिक घने बसे भाग या आर्थिक रूप से पिछड़े भाग को एक दम विकसित नहीं कर सकते हैं। इस के लिये कई मंजिलें तय करनी होती हैं। निसंदेह हमें ऐसे भागों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये, चाहे वह उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग हो या बिहार, मद्रास, उड़ीसा और बंगाल का हिस्सा हो। इस में कोई शक नहीं कि हमें सरकारी प्रयत्न द्वारा अधिक पिछड़े हिस्सों के विकास का पहिले प्रयत्न करना चाहिये । सामान्य नियम और सामान्य शक्तियां सदैव धनी और सम्पन्न व्यक्तियों के पास नहीं रहती हैं गरीबों के पक्ष में रहती हैं । चाहे यह बात व्यक्तियों के सम्बन्ध में हो चाहे राष्ट्रों के सम्बन्ध में। सम्पन्न राष्ट्र तेजी से प्रगति करता है, अपेक्षाकृत गरीब राष्ट्र उस से दुगुना प्रयत्न करके भी उस गति से प्रगति नहीं कर सकता है। यह पुरानी कहावत है कि जिनके पास है उन्हें और अधिक दिया जायेगा, जिन के पास जितना होना चाहिये उतना भी नहीं है उन से वह भी ले लिया जायेगा । ये स्वाभाविक शक्तियां हैं अथवा ये 'स्वतंत्र गैर-सरकारी उपक्रम' की शक्तियां हैं। यह प्रणाली बलवानों की सहायता करती है और दुर्बलों को कुचलती है । यह सदैव दूसरे के कंधे पर खड़ी रहती है । परिणाम यह होता है कि देश की प्रगति के साथ देश के धनी प्रदेश, अपनी संभावनाओं के कारण अधिक तेजी से प्रगति करते हैं। व्यक्तियों का उदाहरण लीजिये । पूर्वी उत्तर प्रदेश या उड़ीसा का किसान भी उतना ही अच्छा है जितना कोई भी अन्य किसान। तथापि शारीरिक रूप से उसकी पंजाब के किसान से तुलना नहीं हो सकती है। वह उससे अधिक हृष्ट-पुष्ट है, अधिक भोजन करता है फल स्वरूप अधिक उत्पादन करता है, ; क्योंकि उसकी परिस्थितियां अच्छी ह। यदि हम प्राकृतिक शक्तियों पर सारी बात छोड़ दें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, मद्रास और उड़ीसा इत्यादि के किसानों की दुर्दशा होती चली जायेगी। अतः राज्य को संतुलन बनाये रखने में सहायता करना आवश्यक है । राज्य सरकार नियंत्रण इत्यादि के द्वारा यही सब करने का प्रयत्न करती है । वास्तविक प्रश्न यह है कि हम जनता का शारीरिक स्तर ऊंचा करें, कार्य करने की क्षमता बढ़ायें मानसिक स्तर की वृद्धि करें और इस प्रकार उन्हें पुरानी लीक के बाहर निकालें।

सरकार इस समस्या की ओर ध्यान दे रही है और हम उनका विकास करना चाहते हैं। माननीय सदस्य कहते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है। वस्तुतः पिछले तीस वर्षों से उस क्षेत्र की यही अवस्था है। लेकिन पिछले ३०, ४० वर्षों से उनकी अवस्था बहुत अच्छी है। आंकड़ों को छोड़ कर यदि हम भीड़ भाड़ देख कर भी जनता की दशा का अनुमान लगायें तो उनकी दशा पहले से बहुत अच्छी है वे अधिक अच्छे कपड़े पहनते हैं तथा अधिक अच्छे मकानों में रहते हैं। इस सम्बन्ध में मुझे कोई संदेह नहीं है। निसंदेह उन पर गरीबी का बहुत अधिक दबाव पड़ता है और उसका सामना करने की सामर्थ्य उन में नहीं है। बाढ़, सूखा या ऐसी ही कोई अन्य आपत्ति आने पर वे उसके शिकार बन जाते हैं। कोई व्यक्ति भख के कारण मरा है या नहीं, इसे तो मैं नहीं जानता, लेकिन यदि कोई व्यक्ति आधा पेट खाकर भी रहता है तो यह अवस्था भी उतनी ही गम्भीर है।

तथ्य यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा भारत के कई भागों के लोगों को जिन्दा भर रहने के लिये खाने को मिलता है और यदि कोई संकट उपस्थित हो जाता है तो वे पराजित हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भले ही सरकार कुछ भी करे वह काफी नहीं कहा जा सकता है। यदि सरकार तथा जनता को बार बार संकट का सामना करना पड़े तो स्थिति का मुकाबला करना बहुत कठिन हो जाता है। तथापि हमें स्थिति का यथाशक्ति सामना करना चाहिये। वास्तविक चीज़ उत्पादन में वृद्धि करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है। इस में कई बातें शामिल हैं जैसे सरकारी कार्य और लाखों व्यक्तियों में इस कार्य के प्रति उत्साह पैदा करना। इसके लिये मैं माननीय सदस्यों से सहयोग की अपील करूंगा। आप भले ही सरकार पर लांछन लगायें लेकिन जनता का तिरस्कार न करें जिस से प्रगति करना और भी कठिन हो जाता है। हमें देश में निराशा, दुर्बलता, और नपुंसकता का वातावरण नहीं पैदा करना चाहिये कि जनता केवल दोषारोपण करे और स्वयं अपना कर्त्तव्य न करे। हमें जनता में अपना कार्य करने की आदत बनानी है उन्हें सभी बातों के लिये सरकार का मुखापेक्षी नहीं बनाना है।

पिछले वर्षों में हमारे देश में जो घातक बातें फैली हैं उन में से एक यह भी है कि व्यक्ति से लेकर सरकार तक दूसरे की सहायता की अपेक्षा करती है। कभी कभी यह आवश्यक भी होता है। तथापि देश की यह मनः स्थिति घातक है। देश का किसान भी पहिले कई बातें स्वयं करता था जो अब नहीं करता। वह पहिले गांव के कुंएं तालाब की देख रेख स्वयं करता था, लेकिन अब वह चाहता है कि सरकार इस कार्य को करे। पुराने जमीदार या जागीरदार पहले इनकी देखभाल करते थे लेकिन वे सब समाप्त हो गये हैं और उन के साथ ही ये तालाब भी नष्ट हो गये हैं। वस्तुतः इस परिवर्तन शील जगत और प्रगति शील सामाजिक अर्थ व्यवस्था में जब कि पुरानी चीज़ें नष्ट हो रही हैं, नई वस्तुएं परिस्थितियों के अनुसार अपने को उपयुक्त रूप से ढालने में समर्थ नहीं हो रही हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन सब से खतरनाक चीज़ है दूसरे पर निर्भर रहना और हमेशा दूसरों की मदद का इन्तजार करना

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

आत्म विश्वास, आत्म निर्भरता और स्वावलंबता की यह कभी हमारे लिये आत्म-घाती है ।

लेकिन साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि हमारे देश में स्वावलंबन की भावना भी पैदा हो रही है । हमारा देश विशाल है । यहां अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की बातें विद्यमान हैं । सामुदायिक विकास आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य सड़कें, स्कूल इत्यादि का निर्माण करना ही नहीं है उसका वास्तविक उद्देश्य उचित प्रकार के लोग तैयार करना है और उन्हें आत्म निर्भर बनाना है ।

†**श्री कर्णी सिंह जी** (बीकानेर) : मैं आपका ध्यान राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर दिलाना चाहता हूं जहां अकाल की स्थिति पैदा हो रही है। १६ तारीख के समाचार पत्र के अनुसार यदि कुछ दिन पहले यही अवस्था रही तो हजारों पशु और नर नारियों को मौत का सामना करना पड़ सकता है ।

अतः मैं चाहता हूं कि खाद्य मंत्रालय इस बात पर ध्यान दे जिस से वहां अकाल घोषित होने के पूर्व कुछ व्यवस्था करना संभव हो सके । वहां खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ने की संभावना है । चारा तो अभी ही कम है आगे यदि यही स्थिति रही तो सैकड़ों पशु मर सकते हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान नहर का कार्य शीघ्रता से किया जाय जिस से अगले पांच वर्षों के भीतर ही उस से राजस्थान में सिंचाई होने लगे और अकाल की संभावना सदैव के लिये टल जाय ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, कई दोस्तों ने यह बतलाने की कोशिश की है कि कृषि और खाद्य मंत्रालय की ओर से जो पुस्तिका छपी है, वह कई लिहाज़ से गलत है । उन्होंने जो कुछ कहा, उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना । मैंने इस पुस्तिका को भी बड़े ग़ौर के साथ पढ़ा है । इस पुस्तिका में जितने भी आंकड़े दिये गये हैं और जो जो बातें दी गई हैं, वे चाहे मंत्रालय के खिलाफ जाती हों, चाहे हक में जाती हों, सब दी गई हैं और जितनी कार्यवाइयां की गई हैं, उन सबका इसमें ज़िक्र है । इसमें यह भी कहा गया है कि इन सब बातों के बावजूद जितनी सफलता वह चाहते थे, उतनी सफलता उनको अभी नहीं मिली है ।

अनाज की कमी है और अनाज के भाव भी ऊंचे हैं, इस चीज़ को कई स्थानों पर माना गया है । इतना होने पर भी मेरी समझ में नहीं आया कि जब कई दोस्तों ने कहा कि इसमें गलतबयानी की गई है और उन्होंने इस पुस्तिका के बारे में जो कुछ भी बुरा भला कहा, वह मैं समझता हूं जायज़ नहीं था । जहां तक मेरा ताल्लुक है मुझे कृषि और खाद्य मंत्रालय से और खास तौर पर कृषि मंत्रालय से पूरी पूरी हमदर्दी है । पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ठीक ही बातें कही हैं और अगर उनसे पहले बोलने का मुझे मौका दिया गया होता तो मैं भी वही बातें कहता । मेरा खयाल है कि इसमें कृषि तथा खाद्य मंत्रालय का कसूर नहीं है और न ही इस देश के किसानों का ही कोई कसूर है और जो खुराक की कमी हुई है इसमें इन दोनों का ही कोई कसूर नहीं । जहां तक किसानों का वास्ता है उन्होंने सन् १९५४ और १९५५ में अनाज का इतना उत्पादन करके दिखला दिया है कि हमारे कृषि तथा खाद्य मंत्रालय के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह तमाम

---

†मूल अंग्रेज़ी में

का तमाम खरीद सके। इस तरह से हमारे किसानों ने खाद्यान्न की, कपास की, गन्ने की तथा दूसरी चीजों की पैदावार को काफ़ी हद तक बढ़ा कर दिखा दिया है।

हमारी बहन सुचेता कृपालानी ने ज़िक्र किया और दूसरे दोस्तों ने भी कहा है कि करोड़ों रुपया खर्च किया गया है लेकिन कोई असर नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि हमारे दोस्त भूल जाते हैं इस बात को कि जब से हम आज़ाद हुये हैं तब से तकरीबन छः करोड़ के करीब हमारी आबादी बढ़ी है और इस छः करोड़ की आबादी को भी अनाज चाहिये तथा दूसरी जिन्दगी की जरूरियात चाहियें। ये सब चीज़ें कहां से आयेंगी। चूंकि हमारे यहां लोग तकलीफ में हैं इस वास्ते हमें दूसरे देशों से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं और बाहर से मंगवाने वाली चीज़ों की मात्रा भी बढ़ी उतनी नहीं है जितनी कि आशंका थी। अगर आप सन् १९५२ या १९५४ के वर्षों को देखें तो आपको पता चलेगा कि डेढ़ सौ करोड़ रुपये का अनाज कम मंगाया गया था और इसकी वजह यह थी कि यहां अन्न ज्यादा पैदा किया गया था। यह तभी संभव हुआ था जब किसानों को सभी प्रकार की सहायता दी गई थी।

कई दोस्तों ने गिला किया है कि करोड़ों रुपया दिया जा चुका है लेकिन लाभ कोई ख़ास नहीं हुआ है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि जितना रुपया किसानों को दिया गया है किसानों ने उससे कहीं ज्यादा रुपये का अन्न पैदा करके दिखा दिया है जिसका नतीजा यह हुआ है कि बाहर से अनाज कम मंगाना पड़ा है और उसी हद तक उन्होंने हमारा फारेन एक्सचेंज बचाया है।

मेरी कृषि मंत्रालय से इस वास्ते भी हमदर्दी है कि उसके साथ सौतेली मां का सा सलूक किया जाता है। जब यह मंत्रालय इस देश में अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिये रुपया मांगता है या आन्त रुपया मांगते हैं तो इस देश का बहुत बड़ा प्लानिंग कमिशन जो है और जिसके अन्दर बड़े बड़े विशेषज्ञ शामिल हैं, इन्कार कर देता है। तमाम सूबों के कृषि मंत्रियों ने मिल करके मांग पेश की थी तीन साल पहले कि हमको सौ करोड़ रुपया और दिया जाये, लेकिन उनकी इस मांग को ठुकरा दिया गया था और इसी प्लानिंग कमिशन ने ठुकराया था। जिस प्लानिंग कमिशन ने अंदाजा लगाया था कि पांच साल के अन्दर सिर्फ २४० करोड़ रुपये मूल्य का अनाज बाहर से मंगाने की जरूरत महसूस होगी। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज तक जिसमें यह साल भी शामिल है यह अंदाजा लगाया गया है कि ३८९ करोड़ रुपये बाहर से अनाज मंगाने पर खर्च करने पड़ेंगे। एक सौ करोड़ रुपया अधिक अनाज पैदा करने के लिये तो नहीं दिया गया लेकिन १६० करोड़ रुपया पांच साल के अन्दाजे से अधिक बाहर से अनाज मंगाने के लिये प्रोवाइड कर दिया गया है। मुझे पता नहीं कि वह १६० करोड़ रुपया कहां से आ गया है और जहां से यह रुपया आया है क्या वहीं से एक सौ करोड़ रुपया नहीं आ सकता था ?

मेरे एक लायक दोस्त ने चाइना का जिक्र किया, मैं भी चीन का जिक्र करना चाहता हूं और फिगर्स दे कर कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के किसान चीन के किसान से पीछे नहीं रह सकते बशर्ते कि उसको वही सहूलियतें दी जायें जो आज चीन की सरकार चीन के किसान को देती है। क्या उन्हें अन्दाजा है कि पांच साल के अन्दर चीन की सरकार ने २००० करोड़ रुपया वहां की खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये कर्जे की शक्ल में या दूसरी शक्ल में दिया है ? लेकिन हिन्दुस्तान में कितना रुपया दिया गया जरा इसका भी अन्दाजा कीजिये और फिर आप बताइये कि आप क्या चाहते हैं ? हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद १३६० करोड़ रुपया अनाज को बाहर से मंगाने के लिये खर्च किया गया। प्लैनिंग कमिशन से मुझे हमदर्दी है क्योंकि मैं जानता हूं कि हिन्दुस्तान में यह कोशिश की जाती है कि पेपर करेंसी को बढ़ा कर किसानों के ऊपर पैदावार बढ़ाने के सम्बन्ध में रुपया खर्च किया जाय। यहां के व्यक्ति, विशेषकर हमारे बहुत से

[चौ० रणवीर सिंह]

साथी जो हमारे लिये बड़ी बड़ी रिपोर्टें लिखते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग का जिक्र लेकर आते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि हो सकता है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग से भी भाव कुछ ऊंचे होते हों, लेकिन बाहर से जो रुपये खर्च करके हम अनाज मंगाते हैं उस से भी भाव अगर ऊंचे जाते हैं। तो इससे तो यह अच्छा है कि भाव ऊंचे हों हमारे अपने देश में पैदावार बढ़ाने के लिये रुपये खर्च करने से। अगर हिन्दुस्तान में रुपया का प्रसार किया जाये और उससे भाव ऊंचे हों तो ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि हम बाहर से अनाज मंगाने के लिये जो रुपया खर्च करते हैं उससे भाव ऊंचे हों।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपका समय समाप्त हो गया, इसलिये आप समाप्त करें।

चौ० रणवीर सिंह : सरकार को जिस पंजाब से डेढ़ लाख टन अनाज मिलता है वहां के लोग तो पीछे पड़ जाते हैं लेकिन जो दिल्ली को रिप्रेजेन्ट करते हैं उनको ज्यादा वक्त मिलता है। हम इस दिल्ली शहर को खिलाने के लिये दो लाख टन अनाज देते हैं, हम पर बोलने की पाबन्दी लगाई जाती है, यही नहीं आज जो लोग बोले हैं उन में से उन लोगों को ज्यादा वक्त नहीं दिया जाता जो कि अनाज पैदा करने वालों को रिप्रेजेन्ट करते हैं, मौका उन लोगों को ज्यादा दिया जाता है जो कि खाने वालों को रिप्रेजेन्ट करते हैं।। जो लोग अनाज को पैदा करने वाले हैं, वे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि उनको मौका नहीं मिलेगा। मेरे लायक दोस्त प्रोफेसर रंगा जो कि इस विषय के विशेषज्ञ समझे जाते हैं, वे यहां काफी देर तक बैठे रहे, फिर उठ कर चले गये, उनको भी मौका नहीं मिला। मैं आपका मशकूर हूं कि आप ने कम से कम मुझे तो बोलने का मौका दिया। अगर देश को अधिक अनाज पैदा करना है तो पैदा करने वालों की बात सुननी होगी और उनको मौका देना होगा, वरना अनाज को बाहिर से मंगा कर जिन्दा रहना होगा।

श्री आसर (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में अनाज का संकट पैदा हो गया है, यह सब लोगों ने बताया है और आज जनता में इस बारे में बड़ी चिन्ता है। सरकार की ओर से जितने भी आश्वासन दिये गये उनमें से एक भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि आश्वासन देते समय उन आश्वासनों को पूरा करने के लिये कोई निश्चित योजना नहीं होती, विशेषकर सिंचाई योजना के बारे में तो कम से कम यह बात बिल्कुल सही है। जो सिंचाई योजनायें बनाई गई हैं वह ऐसी हैं जिनका देश के लिये कोई उपयोग नहीं है। जो थोड़ी बहुत छोटी सिंचाई योजनायें बनाई जाती हैं वे तैयार तो हो जाती हैं लेकिन उनके फलस्वरूप उतना आवश्यक अनाज पैदा नहीं होता। सरकार की ओर से श्वेत पत्र निकला है लेकिन इसके पढ़ने से ऐसा आभास होता है कि इसमें कोई भी बात स्पष्ट रूप से नहीं रक्खी जाती है। उसमें कहा गया है कि अनाज के भाव **स्लाइटली** बढ़े हैं। इस "**स्लाइटली**" के क्या माने हैं इसका पता नहीं। इसमें एक और बात की गई है। जहां पर भाव ज्यादा बढ़े हैं उनके बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लिख दिया गया है कि स्लाइटली बढ़ गये हैं। बम्बई में चावल का भाव ३५ से ४० रु० मन हो गया है लेकिन इसका निर्देश इस किताब में नहीं किया गया है। हर जगह ऐसा ही हुआ है। जहां भाव ज्यादा बढ़े हैं वहां के बारे में भाव निर्देश नहीं किया गया है, लेकिन जहां थोड़े ही बढ़े हैं वहां के बारे में बता दिया गया है कि इतने बढ़े हैं।

दूसरी बात यह बताई गई है कि जहां पर भी अनाज का संकट है, सरकार जनता को अनाज देने के लिये सस्ते गल्ले की दूकानें खोल रही है। लेकिन हमारी बहन सुचेता कृपालानी ने बताया कि दिल्ली के अन्दर करीब करीब ४२३ दूकानें खुली थीं, लेकिन जिस दिन से भाव बढ़ने लगा, उसके थोड़े दिन पहले ही से ४०० दूकानें बन्द कर दी गईं। मुझे पता चला कि बाकी २३ दूकानें भी बन्द कर दी गई हैं। बन्द करने का कारण क्या है यह मुझे पता नहीं लेकिन मैं जानता हूं कि बम्बई में

दिल्ली से अधिक कष्ट है। सरकार को इस दृष्टि से विचार करना चाहिये कि जनता को कष्ट अधिक न हो और जहां भी सस्ते अनाज की दूकानों की आवश्यकता हो वहां उनका खोलना आवश्यक है। इस बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कहीं कहीं जो दूकानें खोली गई हैं, उन में से अनाज मिलने में बड़ी देरी होती है, दो दो तीन तीन घंटे खड़े रहने के बाद जाकर कहीं अनाज मिल पाता है। इसलिये आज जितनी दूकानें हैं उनसे काम नहीं चल सकता क्योंकि हर एक दूकान के आगे बड़ी भीड़ जमा हो जाती है, वहां धक्का मुक्की हो जाती है और तब भी अनाज नहीं मिलता है। कभी कभी तो अनेक आदमियों की मृत्यु भी हो जाती है। मैं हर जगह घूमा करता हूं। हमारे खाद्य मंत्री जो हैं उनका गांव सहारनपुर में है। आज उस की स्थिति क्या है। एक दूकान पर ऐसा हुआ कि एक बुड्ढी अनाज लेने के लिये खड़ी थी। वहां इतनी भीड़ थी, उस भीड़ में कुचल जाने से उस बुड्ढी की मृत्यु हो गई। आज सस्ते अनाज की दूकानें खुली हैं। इन दूकानों से सस्ता अनाज दिलाने का प्रबन्ध ठीक से होना चाहिये। इस तरह से आज का अनाज का संकट दूर हो सकता है।

हमारा बम्बई प्रान्त घाटे का प्रान्त है। लेकिन ऐसा होते हुये भी वहां हर साल बाढ़ आती है। परिणामस्वरूप वहां की जो जल की फसल होती है, विशेषकर चावल की वह खत्म हो गई है और वहां आज अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। अपने रत्नागिरि डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा है कि देहातों के अन्दर अनाज नहीं मिलता है और अनाज के लिये २५, ३०, ४० मील पैदल लोगों को आना जाना पड़ता है जिससे उनके कम से कम तीन चार दिन खराब हो जाते हैं। आज हमारे यहां यह स्थिति है। इस दिक्कत को दूर करने के लिये हर गांव के अन्दर सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जैसी परिस्थिति अनाज के बारे में आज है वैसी ही बनी रहेगी। आज उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में अकाल आया हुआ है, मैं थोड़े ही दिन हुये उत्तर प्रदेश हो कर आया हूं। वहां की स्थिति मैंने देखी है। बाढ़ें आई हुई हैं, मीलों पानी भरा हुआ है और फसल खत्म हो गई है। गांव गांव में हाहाकार मचा हुआ है और लोगों में अनाज के लिये बड़ी परेशानी है। मैंने सुना है कि वहां पर अनाज न मिलने के कारण लोग भूखों मर रहे हैं। कहते हैं वहां पर ९ आदमी भूख की वजह से मर गये। यही हालत आज अनेक गांवों में हो रही है।

एक माननीय सदस्य : कौन से गांव में ?

श्री आसर : बस्ती में, तलाश कीजिये जा कर।

एक माननीय सदस्य : पंजाब में क्या हो रहा है ?

श्री आसर : आज सब लोग कहते हैं कि अनाज की पैदावार बढ़ानी आवश्यक है। ग्रो मोर फूड कम्पेन बड़े जोरों से चल रहा है। आखिर कम्पेन के माने क्या हैं ? बड़े बड़े पोस्टर निकलते हैं छप कर और देहातों में उनका वितरण होता है। लेकिन मुझे पता नहीं है कि इन पोस्टरों के वितरण से क्या अनाज बढ़ेगा ? इसके लिये कोई निश्चित योजना सरकार की ओर से नहीं बनाई गई, और इसके कारण यह परिस्थिति पैदा हो गई है। मुझे याद आता है कि एक राजा के यहां शादी का भोजन था। भोजन के लिये सब लोग इकट्ठे हो गये। भोजन खत्म हो चुकने के बाद पान खाने के लिये दिये गये। जब लोग पान खाने बैठे तो उनमें चूने का डब्बा नहीं था। इसके परिणाम-स्वरूप जो आने वालों का नेता था उन्होंने कहा : राजा जी, चूना नहीं है पान के लिये। राजाजी ने अपने प्रधान से कहा कि प्रधान जी, चूना नहीं है, प्रधान जी ने अपने नीचे वाले आदमी से कहा कि चूना नहीं है, उस आदमी ने क्लर्क से कहा कि चूना नहीं है। सब लोग "चूना नहीं है", "चूना नहीं है" करने लगे, लेकिन चूने का कहीं पता नहीं था। आध घंटा हो गया, एक घंटा हो गया चूना नहीं आया। वैसे ही हमारे अनाज का कोई पता नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने आयोजन किया है अनाज

[श्री आसर]

बढ़ाने का। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि डिप्टी कमिश्नर को कि अनाज बढ़ाओ, डिप्टी कमिश्नर कहता है तहसीलदार से कि अनाज बढ़ाओ, तलहसीलदार कहता है पटवारी से कि अनाज बढ़ाओ। लेकिन कौन अनाज बढ़ाये ? अनाज को बढ़ाने वाला तो वह है जिसकी जमीन है। इसके लिये सरकार ने क्या किया है, हमें यही परेशानी है। इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार को अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिये निश्चित कदम उठाने चाहियें।

एक माननीय सदस्य : आप भी तो वही कहते हैं।

श्री आसर : इधर से आवाज आती है कि आप भी सब से कहते हैं कि अनाज बढ़ाओ। हां, मैं कहता हूं, लेकिन साथ में यह कहता हूं कि अनाज को बढ़ाने के लिये निश्चित सुझाव रखने चाहियें इसी से अनाज की पैदावार बढ़ सकेगी। इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाय नहीं तो खाली कम्पेन में ही लाखों रुपये खर्च हो जायेंगे पर परिस्थिति ठीक नहीं होगी और अनाज भी पैदा नहीं होगा। आज अनाज बढ़ाने के बारे में जो कम्पेन की जा रही है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कौन सूचना देता है कि योजना से अनाज बढ़ रहा है। इस दृष्टि से यह जरूरी है कि जो भी योजना की जाये उसके लिये किसी एक आदमी पर जिम्मेदारी डाली जाय। उसको इसकी जिम्मेदारी दी जाय कि वह अपना काम पूरा करे और अनाज की पैदावार बढ़ाये।

श्री विश्वनाथ राय (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल से खाद्यान्न का मूल्य लगभग १६, १७ प्रतिशत बढ़ा है। खाद्यान्न का मूल्य जोकि सन् १९५२-५३ में १०० रुपये था सन् १९५७ में ११०·७ रुपये हुआ और सन् १९५८ में जा कर ११७·९ हो गया। खाद्यान्न के इस प्रकार दाम बढ़े हैं। इस मूल्य वृद्धि के कई कारण हैं। सूखा भी है, बाढ़ भी है और जनसंख्या की वृद्धि भी है। लेकिन उस का एक कारण यह भी है कि हमारे देश में जो विरोधी दल हैं वे खाद्यान्न के भाव बढ़ने और गल्ले की कमी के सम्बन्ध में इस तरह का एक आन्दोलन और प्रचार करते हैं और अनुचित प्रचार करते हैं जिस के कि कारण जनसाधारण में और व्यापारियों में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न होता है चूंकि गल्ले की बहुत ज्यादा कमी हो गई है इसलिये भाव बढ़ने चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा उन राजनैतिक पार्टियों और विरोधी पार्टियों से मेरा यह अनुरोध है कि देश में जो ग़ल्ले की कमी है और मूल्य जो बढ़ रहा है उस परिस्थिति का सामना करने के लिये हमारे विरोधी दल हम से सहयोग करें, सरकार से सहयोग करें और इस तरह का जो अनुचित प्रचार होता है वह बन्द करें। उसी हालत में जनता में वह मानसिक भाव उत्पन्न होगा जिस से ग़ल्ला ज्यादा उत्पन्न हो सकेगा साथ ही साथ जो यह वातावरण उत्पन्न होता है कि भाव तेज़ हो जायें वह चेक हो सकेगा। मैं इसी साल की बात कहता हूं। अभी दो तीन महीने पहले उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में जब गेहूं का भाव १७ रुपये मन था तो देवरिया में इस तरह का प्रचार करने और वातावरण पैदा करने से गेहूं का भाव २१ रुपये मन तक हो गया था। यह नहीं है कि वहां गल्ले की दुकानें नहीं हैं। गल्ले की दुकानें हैं और वहां पर वितरण भी होता है लेकिन इस तरह के अनुचित प्रचार से जो वहां पर होता है ग़रीबों की हानि होती है और उस से देश का नुक़सान होता है इस तरह के अनुचित प्रचार और ग़लत वातावरण को बन्द करने के लिये सरकार को प्रयत्न करना चाहिये और लोगों में एक दूसरे और सरकार के साथ सहयोग करने और उन में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करनी चाहिये।

उस के साथ ही साथ मैं अपनी सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आख़िर जब सब लोग मानते हैं, बहुत दिनों से सैकड़ों वर्षों से जब इस बात को सब लोग जानते हैं कि यहां पर खेती बाडी

बहुत कुछ मौनसून पर निर्भर करता है और वर्षा न होने की हालत में फ़सल मारी जाती है और सूखा पड़ जाता है। इस चीज़ को रोकने के लिये और ऐसी असाधारण परिस्थिति जो गत वर्ष सूखे के कारण उत्पन्न हुई थी रोकने के लिये और उस का सामना करने के लिये कौन से क़दम उठाये गये जिस से हम उस संकट और परिस्थिति का सामना कर सकें ? यह कहा जा सकता है कि ट्यूबवैल और नहरें बनाई गईं लेकिन अभी भी हमारे देश में ८० प्रतिशत ज़मीन ऐसी है जिस में सिंचाई के साधन मौजूद नहीं हैं। इधर ६, ७ वर्षों में जो ट्यूबवेल बने हैं और उन के द्वारा जो सिंचाई की गई है वह भी ऐसी है कि एक बगल की जमीन की सिंचाई पर प्रति एकड़ ३ रुपये लागत आती है तो ट्यूबवेल से सिंचाई करने में लागत ७ रुपये प्रति एकड़ आती है। एक जगह के बारे में तो मुझे यह मालूम हुआ कि एक एकड़ धान की बुवाई के लिये ट्यूबवेल से पानी लेने और सिंचाई करने में ५४ रुपये लागत आई है। नहर और ट्यूबवेल से सिंचाई की व्यवस्था में इतना अन्तर है और इस कारण ग़रीब किसान उस सिंचाई व्यवस्था से पूरा लाभ नहीं उठा सकते हैं। इस मूल्य वृद्धि का कारण है सिंचाई की कमी और उस की उचित व्यवस्था का अभाव।

जो माइनर प्राजेक्ट्स (छोटी योजनायें) हैं उन के बारे में कहा गया और भी बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में यह बातें कही गई हैं। इस देश में उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग सब से अधिक ग़रीब है। उस के सम्बन्ध में अभी अभी प्रधान मंत्री महोदय ने भी यहां पर कहा है और आत्मविश्वास उत्पन्न करने की जो बात कही है उस के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि हमारी एक बड़ी योजना गंडक योजना भीं है और उस से क़रीब ३४ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। उस के बारे में हमारी सरकार ने अब तक उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि उस का कोसी योजना के बारे में है या नांगल के बारे में है या दामोदर वैली की जो योजना थी उस के सम्बन्ध में है। वह एक ऐसी योजना है जिस से उत्तर प्रदेश तथा बिहार के क़रीब, दो ढाई करोड़ लोगों की समस्या हल हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार के सामने जो समस्या है और आज आपके बिहार के कुछ हिस्से की जो समस्या मौजूद है उस का हल करने में यह सहायक हो सकती है लेकिन उस योजना की तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था नहीं दिया गया, कम ध्यान दिया गया।

अब एक ओर तो खाद्यान्न का मूल्य बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते उन का मूल्य ११७.९ तक पहुंच सकता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे वे किसान जो ईख की खेती करते हैं वे इस मूल्य वृद्धि से क्यों वंचित रक्खे जायें। आखिर देश वही है, किसान वही हैं, स्थिति, वातावरण और आर्थिक स्थिति वही है। एक तरफ तो हम चीनी की दर एक रुपये सेर की करते हैं चीनी का मूल्य चालीस रुपये मन तक हो सकता है और गेहूं का भाव बढ़ सकता है और दूसरे अनाजों का भाव बढ़ सकता है लेकिन गन्ने की खेती करने वाले किसानों को वही एक रुपये सात आने और एक रुपये पांच आने देते रहना कहां तक उचित है ? यह जो अन्तर रक्खा गया है उस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिये और उस को खत्म किया जाना चाहिये। गवर्नमेंट को यदि चीनी एसक्पोर्ट करने की आवश्यकता है तो क्या उन को प्रोत्साहन देने से यह काम पूरा नहीं हो सकता है ? मैं समझता हूं कि प्रोत्साहन देने से अवश्य होगा।

अन्त में मुझे यही कहना है कि सिंचाई और फ़र्टिलाइज़र्स (उर्वरक) की बड़ी योजनायें अभी पूरी नहीं हुई हैं तो सरकार कम्पोस्ट और हरी खाद के सम्बन्ध में इन्तज़ाम करे। उस के साथ साथ पहले के जो काठ वगैरह के हल और एम्पलीमेंट्स हैं उन के बदले जोते के औजार बनवाने की कोशिश करे और नये ढंग से उन को इस्तेमाल में लाने की कोशिश करे ताकि उन से अधिक फ़ायदा उठाया जा सके।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : अभी प्रधान मंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जनता सरकार से सब कुछ चाहती है। प्रत्येक कठिनाई तथा मामले में सरकार से सहायता मांगती है। मेरा

[श्री राजेन्द्र सिंह]

विचार है कि यह बड़ी खतरनाक बात है। परन्तु इस के लिये कौन जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कि इसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस सरकार पर ही है क्योंकि जैसा श्री अशोक मेहता और श्री नौशीर भरूचा ने बताया कि १६ समितियां नियुक्त की गईं परन्तु इस सरकार ने उनकी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया जिससे पता चलता है कि सरकार जनता की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। इस सम्बन्ध में श्री अशोक मेहता बहुत सी बातें बता चुके हैं इसलिये मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

मैं केवल बिहार की हालत बताता हूं। खाद्य मंत्री मेरे जिले में गये। उस बैठक में मैं भी था। उन्होंने हमारी राय मांगी। हमने अपनी राय दी और उन्होंने सभी राय मानी परन्तु परिणाम कुछ भी नहीं निकला। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रति वर्ग मील में ५००० व्यक्ति रहते हैं और गत पांच वर्षों से सूखा अथवा बाढ़ से घिरे हुए हैं। यह सच है कि बिहार सरकार ने यथासंभव उनकी सहयाता की है परन्तु उस सरकार के पास स्वयं धन की कमी है। मेरा सुझाव है कि यदि सरकार चाहती है कि उनके प्रति जनता में विश्वास उत्पन्न हो जाये तो जनता की सहायता करे।

उस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता गंडक परियोजना है। मैं बताता हूं कि इस समय जो भी अन्य परियोजनायें हैं उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिस पर इससे कम धन व्यय होगा।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इससे उत्तर प्रदेश के कई जिलों, नैपाल तथा बिहार के कुछ जिलों को पानी दिया जा सकता है। हमें शीघ्रता से काम करना चाहिये अन्यथा उत्तरी बिहार बरबाद हो जायेगा।

सरदार इकबाल सिंह (फीरोजपुर) : जनाब स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि आज किसान के दिल पर यह असर है कि उसे सबसे पहले पैदा करना है ताकि शहर के लोगों को, मजदूरों को, कारखानों में काम करने वालों को सस्ते से सस्ता अनाज मिल सके, चाहे उसकी तकलीफें कितनी ही हों, चाहे उसका बोझा कितना ही हो, चाहे उसपर टैक्सेज कितने ही हों, चाहे जो वह पैदा करता है उससे उसका पूरा पड़ता हो या न पड़ता हो, इस बात का इस देश को ख्याल नहीं है। इस सिलसिले में हजारों एनक्वायरी कमेटीज बनीं लेकिन किसी कमेटी ने यह बात जानने की कोशिश नहीं की कि मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ जमीनों में खेती पर कितना खर्च आता है ताकि आज कम से कम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट (कृषि विभाग) यह कह सकता कि फलां जगह पर किसान का इतना खर्चा होता है इसलिये हम कह सकते हैं कि इतने दाम में किसान को अनाज देना चाहिये। आज वह माहौल (वातावरण) नहीं है। आज इस देश में जो माहौल है वह यह है कि किसान को किसी भी ढंग से सस्ता अनाज देना है ताकि कलकत्ता, बम्बई, देहली जैसे बड़े शहरों में लोगों को सस्ता अनाज मुहय्या हो सके चाहे किसान को जो आमदनी होती है उससे उसके बच्चों का पेट भरे या न भरे। इसलिये जब तक आप इस माहौल को दूर नहीं करेंगे तब तक देश की पैदावार उत्साह के साथ नहीं बढ़ सकती। आप जब तक किसान की तकलीफों को दूर नहीं करेंगे तब तक गल्ले की पैदावार नहीं बढ़ सकती।

मैं कहना चाहता हूं कि आपने मार्केटिंग ऐक्ट बनाया है और भी बहुत से ऐक्ट बनाये हैं लेकिन आप देखें कि हिन्दुस्तान में मार्केटिंग की क्या हालत है। इसके बारे में आपने कोई एनक्वायरी नहीं की और न इसके बारे में कोई ऐक्ट बनाया है। और अगर आज अनाज महंगा हो गाया है तो इसमें किसान का कोई कसूर नहीं है। किसान ने तो अपना गेहूं १३ या साढ़े १३ रुपये मन में बाजार में बेच दिया। अब अगर वह महंगा होता है तो इसलिये कि मिडिल मैन ज्यादा मुनाफा लेना चाहता है और कुछ इसकी वजह वह पाबंदियां हैं जो आपने लगा रखी हैं, कुछ अनाज की कमी भी है। आज किसान

में उत्साह इसलिये नहीं है कि आज किसान की तकलीफों को देखा नहीं जाता है। आप देखें कि एक एक मंडी में उस पर कितना टैक्स लग जाता है। आप देखें कि आज ट्यूब वैल की सिंचाई का एक एकड़ का ५४ रुपया तक देना पड़ता है। मैं कहता हूं कि जब अनाज मंहगा होता है तो रिजर्व बैंक की सारी मैशिनरी उसे सस्ता करने के लिये मूव हो जाती है। लेकिन जिस दिन अनाज सस्ता होता है उस दिन रिजर्व बैंक यह कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। सन् १९३९ में रिजर्व बैंक ने एक विभाग शुरू किया था जिसका काम किसानों को मदद करने का था। लेकिन उस विभाग का काम जाहिर नहीं हुआ और न उसने जैसा कि कहा गया था उस ढंग से मदद दी। इसलिये मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक भी अपने काम में पूरा नहीं उतरा।

इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं। पंजाब एक सरप्लस सूबा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस ढंग से आप पंजाब से लें उसी ढंग से उसे दूसरों को दें। आपको पंजाब के किसान को जवाब देना होगा। आप उससे उसका अनाज १३ रुपये मन लेते हैं लेकिन यहां पर कनज्यूमर को २५ और २७ रुपये मन देत हैं। इसके लिये आपके पास क्या जस्टीफिकेशन है और आप किस ढंग से पंजाब के किसान को जवाब दे सकेंग। यहां पर किराया इतना ज्यादा है कि एक जगह अनाज इतना सस्ता है और दूसरी जगह इतना महंगा है। अगर आप सस्ता लेना चाहते हैं तो सस्ता लें लेकिन जिसको देना है उसको भी तो सस्ता दें। जब आप देने वालों को महंगा देते हैं तो किसान से सस्ता लेन का आपको क्या हक है। इस लिये इसके साथ ही हम यह भी कहना चाहते हैं कि अनाज की कमी और भी दूर हो सकती, अगर आप किसानों की मामूली मामूली तकलीफों को दूर करने कम कोशिश करें। आज पानी का जो आबियाना है, सारे हिन्दुस्तान में उस के बारे में जांच-पड़ताल कर के उस को ठीक ढंग पर लाया जाये तो अनाज की पैदावार में काफी ज्यादती हो सकती है। इस के अलावा तमाम हिन्दुस्तान की मार्केट्स को रेगुलेट करने के लिये एक मार्केटिंग एक्ट बनाया जाना चाहिये। इस से किसानों में उत्साह पैदा होगा और वे महसूस करेंगें कि उन को लुटने से बचाने के लिये और उन की प्रोटेक्शन के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

आज सब से बड़ी बात यह है कि इस कंट्री (देश) के माहौल को बदलना होगा, इस ख्याल को बदलना होगा कि शहर के लिये सस्ता अनाज मुहैय्या करना है। सरकार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन (उत्पादन की लागत) का ख्याल रख कर ही अनाज की कीमतों का फसाला करे। आज आप कहते हैं कि आपका फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसानों के फायदे के लिये बनाया गया है। आप यह बात किस ढंग से कह सकते हैं? चर्न की कीमत छः रुपये मन मुकर्रर की गई है। क्या आप हिन्दुस्तान के किसी हिस्से के स्टेटिस्टिक्स या आंकड़ों से यह साबित कर सकते हैं कि छः रुपये मन में चना पैदा हो सकता है? आप ने उस की कास्ट आफ प्रोडक्शन का ख्याल नहीं किया है। आप की पालिसी का यह नतीजा होगा कि या तो किसान पर करजा बढ़ेगा, या उस के बच्चें भूखें मरेंगे और या उस ने अपनी मेहनत का जो सरप्लस रुपया लगाया हुआ है, वह नहीं बचेंगा। इस पर भी आप खामोश हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस से पहले कि आप यह कहें कि यह सस्ता है और यह महंगा है, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जांच-पड़ताल करायें और किसान की तकलीफों को कम करने की कोशिश करें। आप देश में यह माहौल बनायें कि किसान जो कुछ पैदा करता है, वह देश के हित के लिए पैदा करता है, न कि चन्द लोगों के हित के लिये। आप को इस माहौल को बदलना है कि किसान को चन्द लोगों के लियें सस्ता अनाज, सस्ती कपास, सस्ती शूगर और सस्ती जूट पैदा करनी है।

बस, मुझे इतना ही अर्ज करना है।

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जो खाद्य संकट उत्पन्न हो रहा है, उस के सम्बन्ध में अनेक सदस्यों ने अनेक तरह की बातें बतलाई हैं। हमारे मंत्री महोदय ने भी कई

[श्री म० ला० द्विवेदी]

बातें बतलाई हैं और वह इस दिशा म एक बड़ा अथक प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे देश की खाद्य समस्या सुलझ जाय। मैं एक छोटा किसान हूं और मेरे घर में पीढ़ी-दर-पीढ़ी खेती होती आई है। हमारे पास कुल बारह पंद्रह एकड़ ज़मीन है और मैं किसानों की समस्या को जितनी अच्छी तरह समझ सकता हूं, मेरे ख्याल में वे लोग, जो कि इस मसले पर एक दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं और जो पुस्तकों के ज्ञान के आधार पर काम करते हैं तथा किसानों के पास नहीं पहुंचते हैं, उन की समस्याओं को उस तरह समझने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि हमारे खाद्य-उत्पादन में कमी हो रही है और हम यह समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं।

सिंचाई के बारे में हमारी सरकार ने जो प्रयत्न किये हैं, जो योजनायें बनाई हैं, उन में बड़े बड़े बांध ज़रूर तैयार किये गये हैं, लेकिन उन बांधों से जो कठिनाई उत्पन्न हो रही है, वह आप सोच लीजिये। हमारे इलाके में एक दो महीने तक पानी दिया गया, जिससे फ़सलें सड़ गईं। दूसरा पानी नहीं दिया गया, इसलिये फ़सलों को नुकसान हुआ। इसलिये इस बात पर रोक लगाई जानी चाहिये कि पानी उचित समय पर दिया जाय और लगातार एक बार नहीं, दो तीन बार दिया जाय। अगर यह व्यवस्था की जाय, तो फ़सलों का नुकसान बच सकता है।

जहां तक सिंचाई सम्बन्धी कर का सम्बन्ध है, कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा है कि चाहे एक पानी दिया और चाहे तीन पानी दिया, टैक्स सब को एक सा देना पड़ता है— एक पानी प्राप्त करने वाले को भी उतना ही टैक्स देना पड़ता है, जितना कि तीन पानी प्राप्त करने वाले को देना पड़ता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक बेजा बात है। अगर एक पानी दिया जाता है, तो ज़ाहिर है कि केवल एक तिहाई फ़सल को फ़ायदा पहुंचता है, दो तिहाई फ़सल को फ़ायदा नहीं पहुंचता है। इसलिये एक पानी वालों से पूरा कर लेना ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि यह उत्तर प्रदेश सरकार की समस्या है, लेकिन आप केन्द्र में बैठकर नीति को निर्धारित करें और ग़ैर-मुनासिब बातों को जारी न रहने दें।

जिन इलाकों में बांध नहीं बन सकते हैं, वहां छोटी बंधिया बन सकती हैं। इस सम्बन्ध में आप ने यह नीति अपनाई हुई है कि अगर १०० रुपये में एक एकड़ सैलाब कर दे, तो बंधी बनाई जाय और अगर इससे अधिक खर्चा हो, तो बंधी न बनाई जाय। हमारे इलाके की कठिनाई यह है कि कहीं २०० रुपये फ़ी एकड़ में बंधी बन जायगी, कहीं ३०० रुपये फ़ी एकड़ में बन जायगी और कहीं पचास रुपये में भी बन जायगी। मेरा निवेदन यह है कि यह सीमा नहीं होनी चाहिये कि केवल १०० रुपये खर्च किये जा सकते हैं, बल्कि इस बात की अनुमति देनी चाहिये कि २००, २५०, और ३०० रुपय तक खर्च कर सकते हैं। इस प्रकार खाद्य-उत्पादन बहुत बढ़ जायगा और जो लोग असमर्थ हैं, उन को बहुत सहायता मिल जायेगी।

तकावी में आप ट्रैक्टर के लिये पचास हजार रुपया देते हैं, लेकिन ट्रैक्टर से सिर्फ एक हजार एकड़ भूमि जोती जा सकती है। अगर आप वही तकावी बैलों पर २०० रुपया फ़ी आदमी दें, तो मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि चार हज़ार एकड़ की जुतवाई होगी। और फिर ट्रैक्टरों के लिये पैसा किन को मिलता है? जिन के पास पहले से पैसा है, वे अपना प्रभाव डाल कर तकावी ले लेते हैं दस हज़ार रुपया, और अपना पैसा वे ब्याज पर लगा देते हैं। यह देखा गया है कि अमीर आदमी ही अधिकतर तकावी पाते हैं। मेरा कहना यह है कि आप उन लोगों को तकावी दें, जो कि मुस्तहक हैं, जिन के पास पैसा नहीं है और जो उस का ठीक इस्तेमाल करेंगे।

जो मेन्योर (खाद) है— नई किस्म की खादें हैं, उन का क्या उपयोग हो रहा है? जहां पर सिंचाई नहीं है, वहां किसानो को ज़बर्दस्ती खाद दी जाती है। वहां उस का उपयोग नहीं होता

है और फ़सलें जल जाती हैं। पानी नहीं होता है, लेकिन तहसीलदार ज़बर्दस्ती खाद देता है। दूसरी जगह, जहां सिंचाई है, वहां स्थिति यह होती है कि अधिकारी और अफ़सर लोग यह नहीं जानते कि खाद कहां और कैसे देनी चाहिये। उन लोगों को व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता है। वे तो सिर्फ ज़बानी जमा-खर्च जानते हैं कि ऐसे डालो और वैसे डालो। आज-कल के किसान को तब तक कोई लाभ नहीं पहुंच सकता है, जब तक कि उस को व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर सहायता और परामर्श नहीं दिया जाता है। आप इस प्रश्न पर विचार करें कि आप के अधिकारी वास्तविक अर्थों में—व्यावहारिक ज्ञान दे कर—किसानों की मदद करें। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा, तो हमारी खाद्य समस्या उलझी पड़ी रहेगी और हमारे किसान लाभ नहीं उठा सकेंगे।

हमारे डिमांस्ट्रेशन फ़ार्म्ज़ में खर्चा ज्यादा होता है और आमदनी कम होती है। किसान देखते हैं कि जब ये लोग अपने फ़ार्म में ही ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, तो वे सोचते हैं कि हम को इन से ज्यादा लाभ नहीं होगा। इस लिये जब तक आप के डिमांस्ट्रेशन फ़ार्म सैल्फ़-सफ़िशेंट नहीं होंगे और खर्च से ज्यादा उत्पादन नहीं करेंगे, तब तक जनता पर उन का प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

आप किसानों को जो फ़ैसिलिटीज़ देते हैं, वे ज्यादातर उन को नहीं मिल पाती हैं और दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। कर्मचारियों में बड़ी करप्शन फैली हुई है। रुपया ले कर तकावी मिलती है। अगर किसी को ५०० रुपए तकावी मिलनी है, तो उसको १०० रुपया क्लर्कों और दफ्तर के दूसरे लोगों को देना पड़ता है और उस को सिर्फ ४०० रुपया मिलता है और ब्याज उन को कुल रकम का देना पड़ता है। अगर इसकी रोक थाम नहीं होती है, तो बड़ी ग़लती है। तकावी कम है और लेने वाले ज्यादा हैं। इस लिये उस के बांटने में बड़ी दिक्कत पड़ती है। या तो आप तय करें कि तकावी ज्यादा लोगों को देनी है, तब तो ठीक है, अन्यथा तकाबी देने से कोई लाभ नहीं है।

एक माननीय सदस्य : तकावी ज्यादा होनी चाहिये।

श्री म० ला० द्विवेदी : तकावी तो ज़रूर ज्यादा होनी चाहिये।

इस सम्बन्ध में जो समितियां काम कर रही हैं, उन के कहने से तकावी मिलनी चाहिये और उन में जो पब्लिक-मैन हों, वे ज्यादातर किसान हों, दार्शनिक ज्ञान वाले और अधिकारीगण कम हों।

मूल्यों के बारे में सब से बड़ी कठिनाई यह है कि जब फ़सल आती है, तो गल्ला सस्ता होता है; किसान को सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है, लेकिन जब फ़सल खत्म हो जाती है, उस वक्त दुगन और चौगुने दाम हो जाते हैं। जब फ़सल आई थी, तो गहूं का भाव दस बारह रुपये मन था और अब बीस इक्कीस रुपये मन भी गहूं नहीं मिलता है। इस का नुकसान किसान ही को होता है। इस के पीछे शायद आप का यह ख्याल है कि सिर्फ बिज़निसमैन की मदद करो या आप असमर्थ हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। मेरा कहना है कि जब तक आप इस नीति को कंट्रोल नहीं करेंगे, किसान को कोई लाभ नहीं होगा और उस को खेती करने और उत्पादन बढ़ाने में कोई उत्साह नहीं होगा।

जहां तक पैस्चर्ज़ (चरागाह) का प्रश्न है, आप की तमाम ज़मीन खेती में लगती जाती है। हमारे यहां खेती बैलों से होती है। इसलिय कुछ ज़मीन घास के लिय—अच्छी किस्म की घास के लिये—छोड़ी जानी चाहिय और वह किसान अपनी खेती में से नहीं छोड़ना चाहता है। सरकार की नीति यह होनी चाहिये कि कुछ घास के मैदान हर जगह पर रखे जायें, ताकि तगड़ और अच्छी

[श्री म० ला० द्विवेदी]

खेती करने वाले बैल हों। आज स्थिति यह है कि बैल कमज़ोर होते जा रहे हैं और खेती नहीं कर पा रहे हैं। पहले व बीस एकड़ में खती कर लेते थे और अब सिर्फ दस एकड़ में खेती कर पाते हैं।

इन छोटे सुझावों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दें कि जहां ऐसे रकबे हैं, जहां खेती ज्यादा और अच्छी होती है, वहां तो आप ज़रूर ध्यान दें, लेकिन जो कुछ पिछड़े हुये इलाके हैं, जिन की ओर हमने आज तक तवज्जह नहीं दी है, जहां हमने लोगों के फ़ायदे के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है, जहां हमने अभी तक उन्नति नहीं की है, वहां हमारा अधिक ध्यान केन्द्रित हो, ताकि वे लोग ज्यादा अन्न उपजाने में हमारी मदद करें।

मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिये मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने देश में सस्ते गल्ले की दुकानें खोली हैं। उन से देश में भुखमरी मिटी है। मुझ आशा है कि एसे कदम व आईन्दा भी उठाते रहेंगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। दुकानों में साधारणतया गल्ला कम है, जिस से त्राहि त्राहि मची हुई है। जहां भी आप दुकानें खोलते हैं, वहां आप इफ़रात से गल्ला पहुंचायें ताकि लोगों को कठिनाई न हो।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि जो बातें कही गई हैं, उन पर ध्यान दिया जायेगा और माननीय मंत्री ने जो काम किया है, उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि समय कम होते हुये भी आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका प्रदान किया है :

दिल्ली में वैसे तो खेती के लायक ज़मीन बहुत कम है किन्तु दिल्ली की अपनी कुछ विशेष समस्यायें हैं और उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कई बार यहां पर, इसी सदन में, मैंने झील नजफ़गढ़ के बारे में प्रश्न किये हैं और हमारे कृषि मंत्री जी ने उनके उत्तर में मुझे बतलाया है कि जो नजफगढ़ नाला है वह खुद रहा है और उससे १६०० एकड़ ज़मीन निकल आयेगी। लेकिन मुझे दुःख के साथ यह सूचित करना पड़ता है कि आज तक वह १६०० एकड़ ज़मीन नहीं निकली है और आज भी किसानों की जो ज़मीन है वह पानी में डूबी हुई है। कई बार यहां पर आश्वासन दिये गये हैं और यह कहा गया है कि अमुक समय में अमुक काम हो जायेगा किन्तु वह नहीं हुआ है। नजफ़गढ़ नाले के ऊपर लगभग चार लाख रुपया व्यय किया जा चुका है। एक तरफ तो नाला खुदता है और दूसरी तरफ नाला भरता जाता है। एक तरफ तो पैचिंग लग रहा है और दूसरी तरफ उसके पत्थर गिरते जा रहे हैं। यह अवस्था ठीक नहीं कही जा सकती है। आपको रुपये का सदुपयोग करना चाहिये और अच्छी तरह से देखना चाहिये कि जो रुपया खर्च किया जा रहा है वह ज़ाया तो नहीं हो रहा है। दिल्ली के बारे में जो रिपोर्ट छपी थी उसको मैंने पढ़ा था। दिल्ली के अन्दर यह कहा गया है कि पैदावार बढ़ रही है। किन्तु जब मैं गावों में जाता हूं और गांव वालों से पूछता हूं तो वे लोग कहते हैं कि पैदावार कम होती जा रही है। और जब सरकारी आंकड़ों को देखता हूं तो उनसे पता चलता है कि वह २० प्रतिशत बढ़ गई है। अब किस की बात को सत्य माना जाये। किसानों की बात को सत्य माना जाये जो ज़मीन में हल चलाते हैं और चीज़ें पैदा करते हैं या उन अफसरों की बात को सत्य माना जाये जो कि केवल दफ्तरों में बैठ करके आंकड़े तैयार करते हैं और उनको प्रकाशित करवा देते हैं। इस ओर भी हमारे मंत्री महोदय का ध्यान जाना आवश्यक है।

यमुना के किनारे के जो गांव हैं उनमें खास खास २५ गांव पड़ते हैं। प्रतिवर्ष उनमें बाढ़ का पानी आ जाता है और इसके बारे में कई बार प्रार्थना की गई है, लिखा गया है और कहा गया है किन्तु उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है।

एक पल्ला गांव है। वहां पर चार साल हुये बांध बह गया था लेकिन आज दिन तक वहां पर दूसरा बांध नहीं बनाया गया है। कई बार कहा गया है कि वहां पर बांध बांध दिया जाये ताकि सैकड़ों और हज़ारों एकड़ भूमि इस बाढ़ के प्रकोप से बच सके और पैदावार बढ़ सके, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसी तरह से यमुना के आसपास के गांवों में हर वर्ष तबाही आती है और उस ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान जाना बड़ा आवश्यक है

छोटे छोटे बांध बनाने की भी स्कीमें हैं और वे चल भी रही हैं। महरौली की तरफ छोटा बांध बनाने की स्कीम है और उसका उल्लेख द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है और पहली में भी उसका उल्लेख था और कहा गया था कि वह पूरी हो जायेगी लेकिन अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया है। में समझता हूं जो योजनायें बनती हैं वे कागज़ पर ही रह जाती है और उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश नहीं की जाती है। इस ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान जाना बड़ा आवश्यक है और उनको देखना चाहिये कि जो योजनायें बनती हैं वे पूरी होती हैं या नहीं और अगर नहीं होती हैं तो उनको पूरा किया जाना चाहिये।

हमारे यहां किसानों को एक बड़ी शिकायत है और वह यह है कि उनको समय पर बीज नहीं दिया जाता है। जब समय बीत जाता है तो उनसे कहा जाता है कि बीज आ गया है और तुम आ कर ले लो। यह तब होता है जब वे लोग जैसे तैसे करके बाज़ार से बीज खरीद कर ले आते हैं। वैसे तो उनको दो महीने पहले ही बीज मिल जाना चाहिये ताकि वे समय पर बो सकें लेकिन समय पर बीज न दे कर जब वक्त बीत जाता है, बीज देने की व्यवस्था की जाती है। अगर उनको समय रहते बीज मुहैया कर दिया जाये तो वे उपज अच्छी कर सकते हैं। यही खाद का भी हाल है। जिस समय उनको खाद मिलना चाहिये, उस समय खाद न दे कर उस समय दिया जाता है जब उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह बीज और खाद को पहले से ही खरीद कर रख ले। बीज के बारे में तो यह बात भी लाग होती है कि वे उसको स्टोर नहीं कर सकते है क्योंकि अगर वे एक साल पहले ही ले कर रख लें तो उसमें कीड़ा लगने का डर रहता है और फिर वह किसी काम का नहीं रह जाता है। ऐसी सूरत में मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि उनको समय पर बीज तथा खाद देने की व्यवस्था की जाये। हमारा दिल्ली का एक छोटा सा सूबा है। यहां पर कोई राज्य सरकार नहीं है। इस सूबे पर सीधे आपकी हकूमत चलती है, आपके आदेश चलते हैं। आपकी छत्र छाया के नीचे यह सूबा है। मैं समझता हूं कि जब एक बड़ी सरकार के मातहत कोई राज्य हो या कोई इलाका हो तो उसकी अच्छी तरह से देखभाल हो सकती है, लालन पालन हो सकता है किन्तु मैं देखता हूं कि यहां वही बात है कि दीपक तले अंधेरा। दिल्ली के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी यहां लापरवाही बरती जाती है उतनी शायद और किसी दूसरे राज्य के सम्बन्ध में नहीं बरती जाती है। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के साथ उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जितनी बातें मैंने कही हैं उनकी ओर माननीय मंत्री महोदय ध्यान दें और किसानों की जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने की चेष्टा करें। किसानों की जो ज़मीन है वह उनसे दिन-प्रति-दिन छिनती चली जा रही है और इस ओर आपका ध्यान जाना बहुत आवश्यक है। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि नजफगढ़ झील की वजह से बहुत तबाही हो

[श्री नवल प्रभाकर]

रही है। उस नाले के लिये आपने स्कीम बनाई थी जो कि आज तक पूरी नहीं हुई है। लिफ्ट इरिगेशन की भी आपने एक स्कीम बनाई थी जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है और मैं चाहता हूं कि उसको भी आप आगे बढ़ायें ताकि उसके द्वारा दूसरी जगहों को पानी दिया जा सके, अधिक ज़मीन की सिचाई की जा सके और अधिक अन्न पैदा हो सके।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उनको कार्यान्वित करने की चेष्टा की जाए।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिमी दीनाजपुर) : माननीय खाद्य मंत्री मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दौरा कर चुके हैं और जानते हैं कि जनता वहां कितनी दुखी है। वहां पर खाद्यान्नों की कमी ही नहीं है अपितु जनता के पास खाद्यान्नों को खरीदने के लिये धन भी नहीं है। समाचार पत्रों के समाचारों से पता लगता है कि सूखा पड़ने के पश्चात् अब वहां पर बाढ़ आई हुई है। मैं समझता हूं कि इन सब बातों पर विचार करके माननीय मंत्री कोई रास्ता निकालेंगे। और जो कुछ अब तक किया जा रहा है उससे कुछ अधिक करेंगे।

श्वेत पत्र में दिया है कि जो बुरी हालत देश में खाद्यान्नों की है वह हालत और खराब होती जा रही है क्योंकि जन संख्या बढ़ती जा रही है। मेरे विचार से यह बात गलत बताई गई है। उदाहरणतः श्वेत पत्र में दिया है कि मूल्य अनुक्रम ९७ से १०९ जनवरी से जुलाई तक हो गये हैं। क्या इतनी जनसंख्या इन छः महीनों में ही बढ़ गई है ?

परिवहन की हालत भी ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जानते हैं कि कलकत्ता से उत्तर बंगाल तक उचित परिवहन व्यवस्था नहीं है। मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि कलकत्ते से उत्तर बंगाल तक खाद्यान्न ले जाने में डेढ़ महीने का समय लगता है। यदि हमारा सुझाव मान कर खजुरियाघाट तक रेलवे लाइन बना दी गई होती तो यह हालत नहीं होती जो आज हो रही है।

नदी घाटी योजनाओं का यह हाल है हम समझते थे कि इकट्ठा किया हुआ पानी सूखे के अवसर पर हमको दिया जायेगा। परन्तु पदाधिकारियों ने हमको बताया कि मौनसून आने पर ही पानी दिया जायेगा। यदि पानी पहले मिल जाता तो पानी की जो कमी थी वह नहीं होने पाती।

इन सब बातों से पता लगता है कि सरकार के जो कृषि कार्यक्रम हैं उनके अनुसार उतनी तत्परता से काम नहीं किया जाता जितनी तत्परता से किया जाना चाहिये। आपतकाल में हमें खाद्यान्नों के आयात के लिये न चिल्ला कर कर्मठ बन कर आगे बढ़ना चाहिये।

हमारी आयात नीति है कि, जनता गेहूं खाने लगे। मेरी खाद्य मंत्री से प्रार्थना है कि वह इस पर विचार करें कि क्या गेहूं खाने से समस्त भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो जायेगा। मेरा तो अपना अनुभव है कि यदि खाद्यान्नों में भारत में आत्मनिर्भरता आयेगी तो वह चावल से ही आयेगी।

मैं दो सुझाव देना चाहता हूं कि एक तो यह है कि विभाग के पदाधिकारियों जनता में घूम कर उनकी कठिनाइयों को देखना चाहिये। दूसरे जब भी कभी खाद्यान्नों की कमी हो तभी सरकार को बाजारों में भांडार भेज देने चाहिये जिससे मूल्य न बढ़े।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्त में मेरा यही अनुरोध है कि हमें अपनी खाद्य नीति ऐसी बनानी चाहिये जिससे विदेशों से खाद्यान्नों का संभरण न करना पड़े ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में सभा को जो चिन्ता है, मैं भी उसमें पूर्णतः सहयोगी हूं । इस विषय के वाद-विवाद के लिये आप ने तीन बार समय बढ़ाया है, इससे ही स्पष्ट है कि सभा इस समस्या के विविध अंगों पर चर्चा करने के लिये कितनी आतुर है । आज की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में मुझे भी काफी चिन्ता है । कठिन स्थिति का मुकाबला बड़ी गम्भीरता और सन्तुलित बुद्धि से किया जाना चाहिये । क्रोध और जोश से मामले उलझ जाया करते हैं । मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे शान्त और निष्पक्ष भाव से उन पर विचार करें । आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस विवाद ने काफी क्षेत्र अपने अन्तर्गत ले लिया है । और मैं यह नहीं कहता कि जो भी मामले यहां प्रस्तुत हुये हैं वे सब असंगत ही थे, परन्तु मेरा विनम्र निवेदन है कि विवाद के दौरान बहुत से ऐसे मामले प्रस्तुत हुये हैं जो मंत्रालय के कार्यकलाप के अन्तर्गत नहीं आते । उदाहरण के लिये सिंचाई कार्यों के सम्बन्ध में बहुत कुछ बातें कही गईं पर खाद्य उत्पादन के साथ वे अधिक संगत नहीं हैं । मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जिस सिंचाई क्षमता का हमने विकास किया है, उसका हम पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाये । मैं चाहता हूं कि इस क्षमता का अधिक प्रयोग किया जाय । परन्तु मुझे से यह आशा नहीं की जानी चाहिये कि मैं इन तमाम सुझावों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । सिंचाई कार्यों के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

पानी के सम्बन्ध में मैं यह बता चुका हूं कि पानी का उपयोग क्यों नहीं हो सका । एक कारण यह है कि कई स्थानों पर मुख्य नहरों का निर्माण नहीं हो सका; कई एक स्थानों पर खेतों को जाने वाले रास्ते तैयार नहीं हुये । कई एक स्थानों पर किसानों ने अभी शुष्क भूमि को तर नहीं किया है । ये कारण हैं और इन पर विचार किया जा रहा है । सामूदायिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । इसका उत्पादन कार्यक्रम के साथ बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है । मैं भी बराबर इस सम्बन्ध में सामुदायिक विकास मंत्रालय तथा उसके मंत्री महोदय से मंत्रणा करता रहता हूं । परन्तु बहुत सी सविस्तार बातें जो यहां पर कही गयी हैं उसका उत्तर तो सम्बद्ध मंत्री ही दे सकते हैं ।

इसके अतिरिक्त उर्वरक कारखानों की स्थापना के सम्बन्ध में भी प्रश्न पूछे गये । यह कारखाने बड़े महत्व की वस्तु हैं । मैं मंत्रिमंडल में भी और व्यक्तिगत तौर पर से उद्योग मंत्री पर यह ज़ोर देता रहता हूं कि इन कारखानों के निर्माण में शीघ्रता की जानी चाहिये । इसी प्रकार कई मामले ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध स्वास्थ्य मंत्रालय से है । जैसे कि जन संख्या का प्रश्न है । बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और खाद्यान्नों की मांग का प्रश्न बहुत कुछ इसी पर आधारित है । कई बातें रेलवे के सम्बन्ध में भी कही गयी हैं । मेरे से पूर्व एक माननीय सदस्य ने कहा कि यदि उत्तर और दक्षिण बंगाल में एक रेल का निर्माण हो जाये तो परिवहन की बहुत सी कठिनाई हल हो जायेगी । यह एक तथ्य है ।

इस समस्या का एक पहलू यह है, यद्यपि मैं इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता परन्तु संविधान के अन्तर्गत उत्पादन प्रारम्भिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर आती है । केन्द्र का जहां तक सम्बन्ध है, हमारी योजना की प्रणाली के अनुसार राज्य सरकार की योजनाओं को, जिनमें कृषि उत्पादन सम्बन्धी योजनायें भी होती हैं, योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० प्र० जैन]

इसमें आयोग खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का परामर्श प्राप्त कर लेता है। कुछ अन्य मामले हैं, जैसे उच्च शिक्षा, गवेषणा, इत्यादि यह सब केन्द्रीय सरकार की ज़िम्मेदारी है। खाद्य के सम्बन्ध में अधिकतर जिम्मेदारी हमारी है। इसमें आदान और समाहार दोनों प्रकारों की जिम्मेदारी के अतिरिक्त राज्यों को सम्भरण की ज़िम्मेदारी भी आ जाती है। इसलिये मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। खाद्य वितरण और कृषि उत्पादन की ज़िम्मेदारी हमारी है। परन्तु मेरी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी वह है जो कि संविधान के अन्तर्गत मुझ पर डाली गयी है। मेरा कहना यह है कि किसी मामले में मेरी प्रत्यक्ष ज़िम्मेदारी है, कई मामलों में हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी है और कई मामलों में राज्य सरकारों के साथ संयुक्त ज़िम्मेदारी है।

कई महत्वपूर्ण मामलों में माननीय सदस्यों ने परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किये हैं। आयात को ही ले लीजिये, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि एक दाना भी अनाज का बाहर से मंगाना पाप है इसके विपरीत श्री त्रि० कु० चौधरी और श्री अं० च० गुह कहते हैं कि पश्चिमी बंगाल और अन्य राज्यों की कमी को दूर करने लिये आपने और अधिक आयात क्यों नहीं किया? इसी प्रकार भूमि सुधार के सम्बन्ध में भी परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किये गये हैं। श्री परूलेकर ने कहा है कि कृषि उत्पादन के रास्ते में सब से बड़ी रुकावट यह है कि भूमि सुधारों को कार्यान्वित नहीं किया गया, उन्होंने उपरिमूल्य निर्धारित करने की बात भी कही। श्री ज० र० मेहता ने इसका विरोध किया है, वह चाहते हैं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। डा० सुब्बरायन ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्ति किये हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने खण्डीय बन्धनों को कड़ा करने की मांग की है और कुछ ने उसका विरोध किया है। इस प्रकार के वातावरण में प्रत्येक बात के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना मेरे लिये सम्भव नहीं है। फिर भी कुछ एक जो महत्वपूर्ण मामले प्रस्तुत हुये हैं उन पर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। सब से पूर्व मैं श्वेत पत्र की बात करूंगा। श्री अशोक मेहता तथा अन्य माननीय सदस्यों ने इसे निःप्रेर्य बताया है। उन्होंने कहा कि यह मामले को टालने वाली बात है। प्रत्येक माननीय सदस्य ने श्वेत पत्र को देखा है। इसमें टालने वाली बात भला क्या है? हमने कोई तथ्य छिपाने का प्रयत्न नहीं किया। हमने स्थिति की गम्भीरता को स्वीकार किया है और पक्ष तथा विपक्ष के सभी तथ्यों को प्रस्तुत किया है। मेरा निवेदन है कि यह एक अच्छा अभिलेख है। हमने इसमें कोई मत प्रकट नहीं किया है। केवल माननीय सदस्यों को तथ्य देने का प्रयत्न किया गया है। ताकि वे स्वयं अध्ययन करके इस सम्बन्ध में अपना मत निर्धारित कर सकें।

इसका उद्देश्य यह नहीं था कि समस्या के सभी अंगों पर प्रकाश डाला जाये। केवल आवश्यक और महत्वपूर्ण अंगों को ही इसमें लिया गया है। मैं साहस के साथ कह सकता हूं कि जो कोई भी इस श्वेत पत्र को पढ़ेगा वह मेरे साथ सहमत होगा कि इसमें खाद्य समस्या के आवश्यक और महत्वपूर्ण अंगों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। कृषि समस्या की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। इस श्वेत पत्र का उद्देश्य यही है कि समस्या के कुछ विशेष अंगों पर प्रकाश डाला जाय। खाद्यान्नों की उपलपब्ध तथा मांग इस सम्बन्ध में कमी पूरी करने के ढंग तथा कीमतों इत्यादि से सम्बन्ध कुछ बातें इससे ली गयी हैं। इस लिये यह कहना कि श्वेत पत्र में अमुक अमुक बात नहीं है उचित बात दिखाई नहीं देती। श्री परूलेकर ने कहा है कि श्वेत पत्र में व्यापार के समाजीकरण का कोई उल्लेख नहीं है। मैंने उठकर पूछा कि क्या सस्ती दुकानों द्वारा अनाज की उपलब्धि और वितरण व्यापार का समाजीकरण नहीं है? तब वह कहने लगे कि मैं खाद्यान्न जांच समिति से

प्रतिवेदन को पढ़ूं। क्योंकि उनका विचार था कि मैंने प्रतिवेदन पढ़ा नहीं है। उन्होंने मुझे प्रतिवेदन के पृष्ठ ८६ को पढ़ने के लिये कहा। उसमें कहा गया है :

> "हम इस बात पर ज़ोर देना चाहते हैं कि थोक व्यापार का जब तक समाजीकरण नहीं हो जाता तब तक खाद्यान्नों की कीमतें स्थायी रूप से निर्धारित नहीं हो सकेंगी। इस लिये हमारी नीति यह होनी चाहिये कि हम शनैः शनैः खाद्यान्नों के थोक ब्यापार का समाजीकरण करें।"

सस्ते अनाज की दूकानें तो थोक दुकानें नहीं हैं। परन्तु फिर भी उनका नियंत्रण रखा जाता है उन्हें खास कीमत पर खाद्यान्न दिये जाते हैं और उन्हें निर्धारित दाम पर उसे बेचना होता है। मैं यह नहीं कहता कि थोड़ी बहुत गड़बड़ नहीं होती, फिर भी निर्धारित दाम पर अनाज दिया तो जाता ही है।

खाद्यान्न जांच समिति ने सस्ते अनाज की दूकानों के सम्बन्ध में कई पैरे लिखे हैं। उन्होंने यह योजना स्वीकृत की है और सुझाव दिया है कि खास मामलों में पहचान पत्र चालू किये जायें ताकि सस्ती दूकानों पर होने वाली गड़बड़ी कुछ कम हो जाये। यह कहीं नहीं कहा गया है कि इन्हें हटा दिया जाय। साथ ही उन्होंने यह सुझाव दिया है कि समाजीकृत क्षेत्रों में किसी प्रकार का कोई थोक व्यापारी नहीं होना चाहिये। फुटकल व्यापारी तथा सरकार के बीच कोई थोक व्यापारी नहीं है। समाहार अथवा आयात किये हुये अनाज के सम्बन्ध में हम क्या करते हैं? हम आयात करते हैं। कोई थोक व्यापारी बीच में नहीं होता और सारी गेहूं सस्ती दूकानों को दे दिया जाता है। समाहार का कार्य सीधे या तो केन्द्रीय सरकार करती है अथवा यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी जाती है। इस प्रकार थोक व्यापार का समाजीकरण हो जाता है। और यही वह सिफारिश है, जो कि खाद्यान्न जांच समिति ने की है। यदि यह समाजीकरण नहीं तो और क्या है? इस दिशा में जो कुछ हमने किया है वह बहुत काफी है। भारत में हम ५८० लाख टन गल्ला पैदा करते हैं। बीज इत्यादि के लिये रख कर ५०० लाख टन बचता है। मंडी में जो कमी रहती है वह है १६० से १८० लाख टन के लगभग। सरकार आज ३०, ३५ लाख टन अनाज का व्यापार बिना किसी बीच के आदमी की सहायता से चला रही है, जो कि मंडी के कुल व्यापार का १५ से २० प्रतिशत तक है। क्या यह व्यापार का काफ़ी सीमा तक समाजीकरण नहीं है?

अशोक मेहता ने कहा है कि श्वेत पत्र में बेचने योग्य अनाज की बचत की समस्या के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। मैं नहीं समझ सका कि वह इस सम्बन्ध में श्वेत पत्र में और क्या चाहते हैं।

†**श्री अशोक मेहता** (मुज़फ्फरपुर) : मैं यह जानकारी चाहता था कि कुछ बचता भी है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : अपने प्रतिवेदन में श्री अशोक मेहता ने यह सुझाव दिया था कि इस प्रकार के आंकड़े एकत्रित करने के लिये हमें एक विभाग स्थापित करना चाहिये। वह हमने स्थापित कर दिया है और उसने कार्य अभी आरम्भ ही किया है। अभी तक हमारे पास न कोई निश्चत आंकड़े हैं, और न ही हम उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुमानतः उत्तर प्रदेश की ३० मंडियों के आंकड़े हमें उपलब्ध हुये हैं। उनके अनुसार वर्ष के आरम्भ से लेकर अप्रैल के अन्त तक मंडियों की उपलब्धि गतवर्ष से ५० प्रतिशत से अधिक है। रबी फसल की हानि का सकाचार जब फैला

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० प्र० जैन]

तो अनाज का आना कम हो गया। मई के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में यह कमी ४० प्रतिशत तक पहुंच गयी। परन्तु अब शनैः शनैः यह पुनः ६० प्रतिशत तक पहुंच गयी है। अन्दाजा के अनुसार स्थिति लगभग ऐसी ही है। मैं इस सम्बन्ध में सन्देहात्मक आंकड़े प्रस्तुत करना नहीं चाहता। परन्तु श्री अशोक मेहता का यह विचार ठीक है कि मूल्य का आधार उत्पादन नहीं प्रत्युत बचत पर होता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि श्वेत पत्र में यह नहीं कहा गया है कि कितनी देर में हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे। आत्मनिर्भरता हमारा लक्ष्य तो है, पर कब होंगे, इस सम्बन्ध में, कोई तिथि निश्चित करना मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के बस की बात नहीं है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपने प्रस्ताव में कहा है, कि जो कुछ उन्होंने सुझाव दिये हैं यदि उन पर चला जाये तो भारत दो वर्ष में ही आत्मनिर्भर हो जायेगा। मुझे खेद है कि वह इस समय सभा में नहीं हैं। अच्छा होता यदि वह सभा में होते और चित्र का अन्य पहलू भी उनके समक्ष आता।

†**अध्यक्ष महोदय :** जो कुछ मंत्री महोदय कहेंगे वह उन तक पहुंचा दिया जायेगा।

†**श्री अ० प्र० जैन :** क्या पंडित ठाकुर दास भार्गव, इस सभा को यह विश्वास दिला सकते हैं कि उनकी योजना के अनुसार दो वर्ष में देश आत्मनिर्भर हो जायेगा। और क्या सभा उनकी योजना को कार्यान्वित करने की स्वीकृति देने के लिये तैयार है? खाद्य और वितरण के सम्बन्ध में भी कुछ सुझाव दिये गये हैं। एक विचार के प्रतिनिधि श्री त्रिदिव चौधरी है। उनका कहना है कि कहीं भी कमी हो, हमें उसे पूरा करने के लिये अनाज का आयात करते रहना चाहिये। इससे कई एक प्रश्न उत्पन्न होते हैं और सब से महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या उसके लिये विदेशी विनिमय उपलब्ध है? हमारे खाद्य आयातों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो हम अपने विदेशी विनिमय द्वारा लेते हैं और दूसरे हम पी० एल० ४८० के अन्तर्गत लेते हैं। जो अंश इस मंत्रालय को दिया गया है उसके अनुसार हमने सामान्य आवश्यकताओं के लिये गेहूं और बर्मा का चावल खरीदना है। इसके अतिरिक्त बाकी खरीद पी० एल० ४८० के अन्तर्गत होगी। इस सम्बन्ध में वित मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में, अगले दिन स्थिति स्पष्ट कर दी थी।

प्रश्न यह है कि आज हम इस स्थिति में हैं कि सारी कमी को दूर करने के लिये खाद्यान्न का आयात करें। क्या चावल संसार में उपलब्ध है भी। श्री भट्टाचार्य कहते हैं कि हम लोगों को जबर्दस्ती गेहूं दे रहे हैं। गेहूं का उत्पादन भी देश में सारी आवश्यकताओं को तो पूरी नहीं करता चावल की फसल भी इस बार बहुत से देशों में खराब हुई है। फिर भी बर्मा ने ५ लाख टन चावल देना स्वीकार किया था, परन्तु वह ऐसा न कर सका और उसे कम करके तीन लाख टन करना पड़ा।

जहां तक बंगाल का सम्बन्ध है श्री त्रिदिव कुमार चौधरी ने स्वयं कहा है कि बंगाल में सात लाख टन चावल की कमी है। १ जनवरी से जुलाई के अन्त तक हमने पश्चिमी बंगाल को ३,९९,००० टन गेहूं दी है। १,१६,००० टन चावल भी दिये हैं अर्थात् कुल मिला कर ५,१५,००० टन अनाज दिया है। अभी पांच मास भी शेष हैं।

बिहार के बारे में मैं आंकड़े दे चुका हूं। जहां अनाज के संभरण का सम्बन्ध है हम इसी प्रकार संभरण करते रहेंगे और यदि नई मात्रा उपलब्ध हो गई तब हम ज्यादा भी दे सकेंगे। सस्ते अनाज की दुकानों के बारे में कुछ शिकायतें की गई हैं। मैं यह नहीं कहता कि सब दुकानें ठीक

---

†मूल अंग्रेजी में

ही हैं। खराबियां हो सकती हैं किन्तु हमने निरीक्षण काफी कड़ा कर रखा है। यह बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि संभरण तो केन्द्र करेगा और अनाज का वितरण राज्य सरकारों के जिम्मे होगा। राज्यों को कहा गया है कि वे प्रतिनिधियों की समितियां बनायें जो इन दुकानों पर नियंत्रण रखें। कई राज्यों में ऐसी समितियां नियुक्त कर भी दी गई हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि जो अनाज इन दुकानों पर से बिक रहा है उसका उपयुक्त उपयोग हो भी रहा है।

इन सलाहकार समितियों का काम सस्ते अनाज की दुकानों की देखभाल करना है ताकि खरीदने वालों को अनाज ठीक तरह से मिलता रहे। यह समितियां स्टाक आदि को भी देखती हैं। अगर स्टाक कम हो जाये तो उस सम्बन्ध में ये लिख कर सूचना देती हैं। मेरी पूर्ण इच्छा है कि इन दुकानों की सारी खराबियां दूर हो जायें।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : क्या राजनैतिक दलों का भी प्रतिनिधित्व होता है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : इन में सामान्यतया स्थानी विधान-सभा का सदस्य चाहे वह किसी भी दल का हो, होता है जिला बोर्ड, नगरपालिका या पंचायत के सदस्य होते हैं। तीन प्रतिनिधि राज्य-सरकार नियुक्त करती है और मैंने कई स्थानों पर देखा है वे कांग्रेसी ही नहीं होते।

श्री अशोक मेहता ने अनाज की कोटि के बारे में शिकायत की तथा इसी प्रकार की शिकायत उनके एक और साथी ने भी की जिन्होंने उनके साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौर किया था। मेरा तात्पर्य श्री त्रिलोकी सिंह से है। मैं बता चुका हूं कि मैं नहीं चाहता कि निकम्मा माल वहां पहुंचे। श्री त्रिलोकी सिंह गोदामों में चले जायें और यदि वे कहें कि यह अनाज निकम्मा है तो मैं उसे नहीं भेजूंगा। मैं यह भी नहीं कहता कि १०–११ लाख टन में थोड़ा सा माल भी खराब नहीं होगा। हम माल साफ रखने का प्रयास करते हैं। जो माल अमरीका तथा कनाडा से आता है वह तो साफ ही होता है। उनमें कोई मिट्टी नहीं होती। मिट्टी ज्यादा से ज्यादा केन्द्रीय गोदाम में ही मिल सकती है।

मैं सभा के माननीय सदस्यों को निमंत्रित करता हूं कि वे एक छोटा दल बनाकर इन गोदामों में माल देखें, यदि कहीं माल खराब हो तो मैं उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। हो सकता है बाद में कुछ मिलावट हो जाये किन्तु इन सब खराबियों को दूर करने को मैं तैयार हूं।

हम आश्वासन देते हैं कि जैसा अनाज हम अमरीका से प्राप्त करते हैं वैसा ही लोगों को देंगे। मैं मानता हूं कि कहीं थोड़ा खराब अनाज होता है। उतने तक हम सहन भी करते हैं। अन्यथा यदि मिट्टी घट्टा हो तो वह तो कहीं इधर ही मिलाया जा सकता है।

जब मैं बांकुरा गोदाम में गया तब अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मुझे मिले वे कुछ अनाज दिखा कर बोले कि हमें यह अनाज मिलता है। मैंने अपने आदमी को कहा कि वह इन साहबान को साथ ले जायें और केन्द्रीय गोदाम दिखायें। वे वहां से नमूने लें। यदि ऐसा माल वहां भी मिले तो सारा उत्तरदायित्व मेरा है। तब उन्होंने बताया कि यह सस्ते अनाज की दुकानों से लाया गया अनाज है। अब वहां सारी चीजें ठीक कर दी गई हैं क्योंकि मेरे आने की खबर थी। मैं राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अपने गोदामों की जिम्मेदारी लेता हूं। हम कम से कम खराबियां तो दूर कर ही कर सकते हैं। यदि न करें तो कसूर हमारा है। यदि आप नाम देंगे तो मैं आपके दौरे का प्रबन्ध कर दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हाल्दर (डायमण्ड हाबर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : श्रीमान्, मद्रास तथा आंध्र आदि से कलकत्ता को खुले मालडिब्बों में वर्षा में अनाज भेजा गया और उसमें कीटाणु पैदा हो गये। इसका उत्तरदायित्व किस पर है ?

†श्री अ० प्र० जैन : प्रत्येक सप्ताह लाखों मन अनाज इधर उधर भेजा जाता है। इस सम्बन्ध में इस कारण मैं कुछ भी नहीं बता सकता।

अब मैं कृषि सम्बन्धी विभाग की ओर आता हूं जो कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। आज तक हम आयात पर ही निर्भर करते रहे हैं। यह सदैव नहीं चल सकता। हो सकता है कि इस वर्ष जैसे निकम्मे वर्ष हमें आयात करना पड़े। किन्तु समस्या का हल उत्पादन की वृद्धि से ही हो सकता है।

मैं मानता हूं कि हमारा उत्पादन मांग के अनुसार नहीं बढ़ा। किन्तु वृद्धि निरन्तर होती ही रही है। हो सकता है किसी वर्ष उत्पादन में कमी भी हुई हो। प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूर्व अर्थात् १९४७–४८, १९४८–४९, तथा १९४९–५० में कुल अनाज की मात्रा ५२ लाख टन थी। श्वेत पत्र में आंकड़े दिये हुये हैं। १९५३–५४ से १९५७–५८ को हम खासे अच्छे वर्ष कह सकते हैं। १९५७-५८ तथा १९५५–५६ उत्पादन की दृष्टि से निकम्मे थे। १९५४–५५ औसत था तथा १९५३–५४ और १९५६–५७ अच्छे वर्ष थे। अब आप सब तथ्यों को देख कर बताइये कि क्या भारत में अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ा ?

स्वतन्त्रता से पूर्व हमारे देश में २२ लाख गांठें कपास की तैयार होती थीं अब ४८ लाख गांठें तैयार होती हैं। २६ लाख अतिरिक्त गांठों की कीमत ३०० करोड़ रुपया है। इसी प्रकार स्वतन्त्रता से पहले हम ४५ लाख पटसन की गांठें आयात करते थे अब केवल ७ लाख गाठों का आयात होता है। ३८ लाख गांठें हम स्वत: तैयार करते थे जिनकी कीमत ६५ करोड़ रुपये है। अन्य नकद फसलों का भी यही हाल है। आज हमारे देश में नक़द फसलें ज्यादा हो रही हैं जिनसे न केवल हमें कच्चा माल ही मिलता है बल्कि विदेशी मुद्रा की भी आय होती है। आज सारी विदेशी मुद्रा का दो तिहाई नकद फसलों के निर्यात से होता है। और इसके लिये हम कृषकों को बधाई देते हैं।

एक दलील यह पेश की गई कि संसाधन तो असीम हैं किन्तु हमारा मंत्रालय तथा राज्य सरकारें ढील के कारण उनका पूर्णतम उपयोग नहीं कर रहे। श्री टे० सुब्रह्मण्यम ने ट्रेक्टरों का प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा ट्रैक्टर कम हैं। वह यह भी कहने लगे कि ट्रैक्टरों को तोड़ फोड़ लिया जाता है। यह ठीक है। यह इसलिये किया जाता है कि उनके पुर्जों से दूसरे ट्रैक्टरों में ही काम चल जाये। इसका दूसरा कारण यह है कि ट्रैक्टरों के लिये हमें १,४३,००० रुपये की विदेशी मुद्रा चाहिये थी, तथा ६० लाख के फालतू पुर्जे चाहिये थे। हमें ८० लाख ट्रैक्टरों तथा ४० लाख पुर्जे खरीदने को मिला। उन्होंने कृषि के लिये लोहे तथा इस्पात का प्रश्न भी उठाया। १९५७–५८ में हमारी मांग ३९ लाख टन की थी किन्तु हमें मिला केवल ९२,००० टन। इस प्रश्न पर मंत्रालय स्तर पर विचार हुआ है। दूसरे मंत्रालय के अपने और काम हैं। यह सच है कि कुछ लोहा फरनीचर बनाने के लिये भी दिया जा रहा है। किन्तु प्रश्न तो यह पैदा होता है कि फिर उन लोगों का क्या होगा जो आज निर्माण कार्य में लगे हुये हैं। क्या उन्हें बेकार बना डाला जाये। उन्होंने ज्यों त्यों करके हमारी मांग पूरा करने का प्रयास किया है।

आज केवल अनाज की स्थिति ही खराब नहीं वरन हम एक उलझन में से ही गुजर रहे हैं। यदि हम १०० करोड़ के उर्वरक का आयात कर सकें तो बहुत ही अच्छा हो। इससे ३००

---

†मूल अंग्रेजी में

करोड़ की कीमत की अनाज की मात्रा हमें मिलेगी। मैंने वित्त मंत्रालय को यह योजना भेज दी है। किन्तु अब कठिनाई यह है कि १०० करोड़ की विदेशी मुद्रा भी कहां से आये। हम विदेशी सहायता लेने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु उसके बिना उर्वरक हमें नहीं मिल सकते जिन्हें अनाज जांच समिति ने इतना महान महत्व प्रदान किया था। हम ऐसी स्थिति में किसी को भी कोई दोष नहीं दे सकते क्योंकि जब साधन न हों तब क्या किया जाय।

मैं यह नहीं कहता कि हम सब कुछ कर चुके हैं। खाद्यान्न उत्पादन की महान संभावनायें हैं। गलतियां हुई हैं। मैं मानता हूं कि संभरण में भी खराबी रहती है। इन सब बातों पर ध्यान रख कर ही हमने आन्तरिक योजना बनाई है।

एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने "शौक ब्रिगेड" (झटके देकर काम लेने वाले) शब्द प्रयोग किये हैं। मैंने तो कभी भी यह शब्द प्रयोग नहीं किया। शायद कुछ समाचार पत्रों ने जोश में आकर इस शब्द का प्रयोग किया हो। आन्तरिक योजना से हमारा उद्देश्य है कि फसल बोने से पूर्व हम बीज, उर्वरक तथा कीटाणुनाशक चीजें भेजेंगे। एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि गन्धक का प्रयोग किया जाना लाभदायक होगा। हम इस वस्तु का उपबन्ध भी कर देंगे।

हमें खाद्य संरक्षण की कार्यवाही भी करनी है।

इसके अतिरिक्त जन शक्ति के परिपूर्ण उपयोग का प्रश्न है। हमारे लोग गांव में अफसरी दिखाने तो जाते नहीं बल्कि वहां सहायता कार्य के लिये जाते हैं। हम एक और योजना बना रहे हैं जिसके अनुसार समस्त कृषि पाठशालाओं के विशेषज्ञ तथा कृषकों का एक पुंज बनाया जायेगा। ये लोग १०/१५ दिन के लिये एक स्थान पर रह कर वहां के कृषकों की सहायता किया करेंगे। वे किसान के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि वह तो खुद अपना काम जानता है। हां उन्हें सहायता दी जाया करेगी।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

वह बोने, खालियां बनाने में उनकी सहायता करेंगे। इस योजना को सफलता लोगों के सहयोग पर निर्भर है। सभा के सदस्य खाद्य को राष्ट्रीय समस्या समझें। मैं सब की सहायता तथा सहयोग की इच्छा करता हूं।

मूल्य नीति के बारे में भी कई एक सदस्यों ने कहा। श्री अशोक मेहता ने भी इस प्रश्न को उठाया। इसके कई पहलू हैं। उत्पादक की दृष्टि से नीति तथा उपभोक्ता की दृष्टि से नीति फिर अनाज तथा नकद फसलों की दृष्टि से यह नीति रखनी पड़ती है।

पहले उत्पादक की दृष्टि से इसे देखा जाये। इसके दो पहलू हैं; एक तो न्यूनतम मूल्य का आश्वासन दे दिया जाये दूसरे वसूली का मूल्य रखा जाये। इन दोनों बातों पर खाद्यान्न जांच समिति ने विचार किया था। न्यूनतम मूल्यों के सम्बन्ध में आज जनता की दो रायें हैं। एक विचार श्री च० द० पाण्डे ने व्यक्त किया है जो आज की स्थिति में संगत नहीं है। दूसरे कहते हैं कि एक या दो सालों में मूल्य कम भी हो सकते हैं। अतः यदि कृषक को आश्वासन दिया जाये कि सरकार असीम माल खरीदेगी तो वह उत्पादन की योजना वैसे ही बनायेगा। यह बात सरकार के सामने है। सभा को याद होगा कि कुछ समय पूर्व एक विज्ञप्ति में घोषणा की गई थी कि एक मान्य सीमा से इधर उधर अनाज के मूल्यों को नहीं होने दिया जायेगा। यदि ऐसा हुआ तो सरकार अनाज खरीदेगी। हमने पहले भी यह कार्यवाही की है तथा भविष्य में भी करेंगे।

[श्री अ० प्र० जैन]

दूसरा प्रश्न वसूल करने के मूल्यों के बारे में है। प्रश्न यह है कि क्या वसूली के बारे में हमारी कोई नीति है या नहीं? हमने मोटे चावल की कीमत १६ रुपये रखी है और पंजाब सरकार से कहा है कि गेहूं को भी हम १३/८/- मन के हिसाब से खरीदने को तैयार हैं।

पृष्ठ ९२ पर खाद्यान्न जांच समिति ने सिफारिश की है :—

"हम समझते हैं कि चालू वर्ष के लिये मोटे धान का मूल्य ९.२५ से ११ रुपये प्रति मन के बीच निश्चित किया जाये और औसत दर्जे के चावल के मूल्य को १५ से लेकर १७ रुपये प्रतिमन के बीच निर्धारित किया जाये। यह मूल्य उपयुक्त होगा। इसी प्रकार औसत गेहूं की कीमत १३ से १५ रुपये प्रति मन तक की जाये। इतनी कीमत से उत्पादक को भी न्यायोचित मूल्य मिलेगा और उपभोक्ता को वह ज्यादा नहीं लगेगी तथा वैसे भी देश के मल्य के ढांचे में यह ठीक रहेगी।"

क्या हमने इसी नीति का अनुसरण नहीं किया ?

जहां तक पटसन का सम्बन्ध है उचित मूल्यों की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि निर्यात आदि की कठिनाइयों के कारण ऐसा नहीं हो सका है। पटसन लाने ले जाने के लिये प्रत्येक प्रकार की सहायता दी ही गई है ताकि उचित मूल्य मिल सकें।

श्री विभूति मिश्र (बगहा) : मैं यह जानना चाहता हूं कि जूट की प्राइस के बारे में क्या किया गया है। आज कल जूट का सीजन आ रहा है। जूट १६ रुपये से २० रुपये मन तक बिकता है पर उसका जो बोरा बन जाता है वह ४० रुपये मन बिकता है। मिनिस्टर साहब ने अभी बतलाया कि जूट का सामान ७० करोड़ का या न जाने कितने का बाहर जाता है। तो जूट की प्राइस के बारे में क्या किया जा रहा है।

†**श्री अ० प्र० जैन** : अब मैं उपभोक्ता की दृष्टि से आपको मूल्यों की स्थिति बताता हूं।

†**श्री रंगा** : मैं जानना चाहता हूं कि मूल्यों के बारे में, आपने एक सलाहकार समिति क्यों नहीं बनाई। क्या कारण है कि आपने आंध्र सरकार से भी सलाह न ली जो आपको इतना अतिरिक्त अनाज दे रही है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : जो पत्र-व्यवहार उनके साथ हमने किया है वह मेरे पास है किन्तु जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने आज कहा, कई बार उत्पादक राज्य तथा उपभोक्ता राज्यों में मतभेद हो जाता है। आन्ध्र और केरल तथा आन्ध्र और मद्रास के बीच मूल्यों के सम्बन्ध में मतभेद है। आन्ध्र प्रदेश चाहता है कि ऊंचे मूल्य निर्धारित किये जाये पर उपभोक्ता राज्य ऊंचे मूल्य नहीं चाहते। हमें निश्चय करना होता है। यह कहना गलत है कि आन्ध्र राज्य की सलाह नहीं ली गयी, हो सकता है कि हम उनकी सिफारिशें स्वीकार न कर सकें हों।

इसके बाद मैं उपभोक्ता की दृष्टि से मूल्यों की बात लेता हूं। उचित मूल्य दुकानों द्वारा हम १४ रुपये मन गेहूं तथा १६ रुपये मन औसत दर्जे का चावल बेच रहे हैं। इन दुकानों में माल ले जाने तथा ४ या ६ आने प्रतिमन लाभ के बेचने के लिये हमने दरें भी निर्धारित कर दी हैं। चाहे देसी गल्लों के सम्बन्ध में हो या आयात किये गये गल्लों के सम्बन्ध में हो इन मूल्यों में राज्य सहायता भी सम्मिलित है। ५ या ६ करोड़ व्यक्तियों को हम राज्य सहायता प्राप्त दरों पर गल्ला दे रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके बाद खुले बाजार के मूल्य का प्रश्न आता है। खाद्यान्न जांच समिति ने इस प्रश्न पर खूब विस्तार से विचार किया है। समिति का कहना था कि वह पूर्ण राशनिंग व नियंत्रण के पक्ष में नहीं है। पर वे इस पक्ष में थे कि व्यापार पर तथा कुछ हद तक उत्पादन तथा उपभोक्ता पर भी नियंत्रण लगाया जाये। उपभोक्ता पर इसलिये नियंत्रण लगाया जाये कि उसे एक सीमित मात्रा में माल मिलेगा और उत्पादक पर इसलिये कि वह एक निश्चित दर पर ही अनाज बेचें। इस सम्बन्ध में उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को खण्डों में बांट दिया जाये। वर्तमान खण्डों का उन्होंने अनुमोदन भी किया है। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्यान्नों पर अग्रिम धन देने पर बैंकों पर नियंत्रण रखा जाये। इस नीति का पालन किया गया है।

उन्होंने सुझाव दिया था कि उचित मूल्य की दुकानों द्वारा गल्ले का वितरण किया जाये। हम वैसा कर रहे हैं। यदि किसी दुकान पर कोई भ्रष्टाचार या बुराई है तो हम उसे समाप्त करने के लिये तैयार हैं। उन्होंने समाहार का भी सुझाव दिया था। हमने काफ़ी मात्रा में गल्ले का समाहार किया है। एक वर्ष से हमने ५ या ६ लाख टन चावल और अन्य खाद्यान्नों का समाहार किया है। हमारी मूल्य नीति भी है। अतः हमें कोई यह नहीं कह सकता कि हमारे पास कोई मूल्य-नीति नहीं है।

तत्पश्चात् खाद्यान्नों, नकद फसलों, कृषि उत्पादों तथा तैयार माल के बीच मूल्य-समानता निर्धारित करने का सवाल पैदा होता है। यह एक कठिन सवाल है। संसार का कोई भी देश इन मूल्यों के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति निर्धारित नहीं कर सका है। खाद्यान्न जांच समिति को भी इन कठिनाइयों का पता था और कई स्थानों पर उसने इन का उल्लेख किया है। कठोर अर्थ-व्यवस्था में आप नियंत्रण तथा राशनिंग द्वारा वितरण की बात सोच सकते हैं और हो सकता है वहां भी इसे पूर्ण सफलता न मिले। पर स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था में निर्धारण संभव नहीं। पिछले कुछ वर्षों में खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों तथा उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में काफी कमी-बढ़ी होती रही है। अतः इस सिद्धान्त को लागू करने से अंशतः सफलता या लाभ हो सकता है।

इन बातों के सम्बन्ध में अशोक मेहता समिति ने जो सिफारिशें की थीं और हमने जो कुछ किया है उसमें कोई अन्तर नहीं है। यदि दोनों में कोई अन्तर है तो वह संगठन के सम्बन्ध में है और मुझे विश्वास है कि हमने जिस संगठन प्रणाली को अपनाया है वह ठीक तथा उचित है।

अन्य भी अनेक बातें कही गयी हैं। पर मेरा समय पूरा हो गया है अतः मैं उनका उत्तर नहीं दे सकूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधनों को मतदान के लिये रक्खूंगा। श्री विभूति मिश्र के स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ८ पर दो संशोधन हैं। क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनके संशोधन मतदान के लिये रखे जायें।

†**श्री श्री स० म० बनर्जी** : (कानपुर) : संख्या ५ मेरे तथा श्री सरजू पांडे के नाम से है।

†**श्री यादव** : (बाराबंकी) : संख्या ३ भी है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५ और ३ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि स्थानापन्न प्रस्तावों की सूची संख्या ३ में संख्या ८ पर छपे हुये श्री विभूति मिश्र द्वारा प्रस्तुत किये गये स्थानापन्न प्रस्ताव में,—

पैरा २, में :—

"उपयुक्त तथा सक्रिय कार्यवाही" के पहले "अधिक" शब्द रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पंडित ठाकुरदास भार्गव का संशोधन मतदान के लिये रखने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न यह है :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात्:

"देश की खाद्य स्थिति पर विचार करने के पश्चात् इस सभा की यह राय है कि खाद्य स्थिति को सुधारने के लिये सरकार द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही सामान्यतया संतोषजनक है।

और यह सभा सरकार से प्रार्थना करती है कि वह यथासम्भव कम से कम अवधि में खाद्यान्न के मामले में देश को पूर्णतया आत्मनिर्भर बनाने के लिये अधिक उपयुक्त तथा सक्रिय कार्यवाही करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इस के पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, २२ अगस्त, १९५८ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

[गुरुवार, २१ अगस्त, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . . .	१००९—३०
तारांकित प्रश्न संख्या		
३२८	सरकारी सेवा के लिये भर्ती की अर्हतायें	१००९—११
३२९	शहीदों का स्मारक	१०११—१२
३३०	भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता	१०१२—१३
३३२	सरकारी उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था	१०१३—१५
३३३	नागा विद्रोही	१०१५—१६
३५५	नागा	१०१६—१९
३३५	निर्धन छात्र सहायता निधि	१०१९—२०
३३६	कर सम्बन्धी विशेष रियायतें	१०२१—२४
३३७	एस० ए० एस० एकाउन्टेंट	१०२४—२५
३३९	राजस्थान की राजधानी .	१०२५—२६
३४०	आयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड	१०२६—२८
३४२	बिना निकल का स्टेनलैस स्टील .	१०२८
३४४	सरकारी निवृत्ति-वेतन भोक्ता .	१०२८—३०
३४५	इस्पात के अभ्यंश	१०३०
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . . .	१०३१—७४
तारांकित प्रश्न संख्या		
३३१	पुरातत्व संस्था .	१०३१
३३४	कोयला खानों में सेवा निवृत्ति की आयु	१०३१
३४१	अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम	१०३२
३४३	इस्पात के प्रतिधारण मूल्य का पुनरीक्षण	१०३२—३३
३४६	युद्ध सामग्री कारखानों में उत्पादन	१०३३
३४७	उड़ीसा को ऋण	१०३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या		
३४८	जीवन बीमा निगम . .	१०३४
३४९	स्टेनलेस स्टील का आयात	१०३४
३५०	हिमाचल प्रदेश में पंचायत घर . . .	१०३५
३५१	इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी, खड़गपुर और दिल्ली पालीटेक्नीक . .	१०३५
३५२	अंग्रेजी भाषा का अध्ययन . . .	१०३६
३५३	कलकत्ता के सिटी सिविल कोर्ट में केन्द्रीय सरकार के एडवोकेट .	१०३६
३५४	इस्पात उद्योग के लिये आस्ट्रेलिया की सहायता	१०३६–३७
३५६	मौलाना आजाद की रचनायें	१०३७
३५७	कोयला . .	१०३७
३५८	भारत प्रशासन सेवा (विशेष) भर्ती	१०३७–३८
३५९	गुप्त वार्ता विभाग . .	१०३८
३६०	विदेशियों के बारे में केन्द्रीय ब्यूरो	१०३८
३६१	गुरुकुल विश्वविद्यालय का डिप्लोमा	१०३८–३९
३६२	रुपये का अवमूल्यन . .	१०३९
३६३	राजनीतिक पीड़ित .	१०३९–४०
३६४	केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य .	१०४०
३६५	मनीपुर में स्टेडियम	१०४०
३६६	पालना कोयला खान .	१०४१
३६७	मैसूर में अनुसूचित जातियों की सूची	१०४१
३६८	भारतीय विज्ञान कांग्रेस	१०४१
३६९	एलाय और विशेष इस्पात का निर्माण	१०४२
३७०	शिक्षकों को इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण	१०४२
३७१	दिल्ली में चलते-फिरते दल .	१०४२
३७२	दुर्गापुर इस्पात परियोजना सम्बन्धी परियोजना रिपोर्ट	१०४३
३७३	गवेषणा .	१०४३
३७४	ध्वनि प्रक्षेपकों का उत्पादन	१०४३–४४
३७५	बच्चों को उठा ले जाना	१०४४
३७६	औद्योगिक प्रबन्ध संवर्ग	१०४४
३७७	पैट्रोलियम उत्पाद .	१०४५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

३७८ जामा मस्जिद . . . १०४५
३७९ इस्पात उत्पादन . . १०४५–४६
३८० केन्द्रीय भारतीय औषधीय जड़ी बूटी संगठन १०४६
३८१ रूमानिया से मिट्टी का तेल . . . १०४६
३८२ प्रविधिक कर्मचारियों सम्बन्धी आवश्यकतायें १०४६
३८३ रूरकेला में सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्य १०४७
३८४ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश . १०४७
३८५ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय १०४७–४८
३८६ दिल्ली के स्कूल . १०४८
३८७ नया हिन्दी व्याकरण . १०४८–४९
३८८ अतिवयस्क अधिकारी १०४९
३८९ औद्योगिक कर्मचारी . १०४९
३९० खनन् निगम . १०४९–५०
३९१ दिल्ली में लड़कियों के कालेज १०५०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६५७ दिल्ली में बर्फ की कीमत . . १०५०
६५८ दुर्गापुर में स्टील फेब्रिकेटिंग शाप १०५०–५१
६५९ "सैनिक समाचार" . . . १०५१
६६० कुटुम्ब के निर्वाह के लिये भारत को धन विप्रेषण १०५१
६६१ आर्डनेंस डिपो में फालतू सामान . . १०५१–५२
६६३ उत्तर प्रदेश की परियोजनायें . . १०५२
६६४ दिल्ली के सरकारी बुनियादी स्कूलों के शिक्षक १०५२
६६५ शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत आयोग तथा समितियां १०५२
६६६ बम्बई में माध्यमिक शिक्षा . . . १०५३
६६७ राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के कर्मचारी . . १०५३
६६८ सैनिक इंजीनियरिंग सेवा के औद्योगिक कर्मचारी १०५३
६६९ प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में असैनिक कर्मचारी . . . १०५३–५४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६७०	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के औद्योगिक कर्मचारी	१०५४
६७१	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती . . .	१०५४
६७२	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थानों का रक्षण . .	१०५४
६७३	होशियारपुर के समीप विमान दुर्घटना	१०५५
६७४	भिलाई इस्पात संयंत्र के लिये रूसी ऋण	१०५५
६७५	पंजोर गार्डन और कुतुब मीनार.	१०५५–५६
६७६	कोयला धोने के कारखाने	१०५६–५७
६७७	पंजाब में प्रादेशिक भाषायें	१०५७
६७८	पंजाब में बहुप्रयोजनीय स्कूल .	१०५७
६७९	गिरडीह कोयला खान	१०५७–५८
६८०	केरल आदिम जातियों का कल्याण	१०५८
६८१	तस्कर व्यापार निरोधक कार्यों पर व्यय .	१०५८
६८२	रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये रेजीडेण्ट डायरेक्टर	१०५९
६८३	तीन वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम	१०५९
६८४	आसाम में तेल के नये कुएं	१०६०
६८५	प्राचीन वस्तुओं का सर्वेक्षण	१०६०
६८६	पंजाब के किले और महल	१०६०
६८७	दिल्ली के स्कूलों में प्रवेश	१०६१
६८८	जहाजों की जब्ती .	१०६१
६८९	अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, १९५८ .	१०६१–६२
६९०	आसाम तेल क्षेत्रों से अशोधित तेल (क्रूड आयल) का भेजा जाना	१०६२
६९१	भारत का जीवन बीमा निगम	१०६२
६९२	दिल्ली प्रशासन .	१०६३
६९३	भारतीय विश्वविद्यालयों की डिग्रियां	१०६३
६९४	निवृति-वेतन के मामले	१०६३
६९५	मध्य प्रदेश की आदिम जातियां .	१०६३–६४
६९६	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, उड़ीसा	१०६४
६९७	पव्वर नदी (हिमाचल प्रदेश) पर पुल	१०६४
६९८	हिमाचल प्रदेश में निवृत्ति वेतन के मामले .	१०६४–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
६९९	सतर्कता सम्बन्धी नियम-संग्रह .	१०६५
७००	महाराजा वीर विक्रम कालेज, अगरतला	१०६५
७०१	भू-राजस्व . .	१०६५–६६
७०२	अफीम का तस्कर व्यापार .	१०६६
७०३	भारत प्रशासन सेवा . .	१०६६
७०४	अखिल भारतीय केरल आयुर्वेदिक कांग्रेस	१०६७
७०५	इंजीनियरिंग स्कूल	१०६७
७०७	इम्पीरियल वार-ग्रेव्स कमीशन .	१०६७
७०८	अल्प बचत योजना .	१०६८
७०९	जर्मनी में भारतीय प्रशिक्षार्थी	१०६८
७१०	आयकर का बकाया	१०६८
७११	सम्पत्ति-कर . . .	१०६९
७१२	अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आश्रम .	१०६९
७१३	दिल्ली विश्वविद्यालय.	१०६९
७१४	मनीपुर के डाकखाने में चोरी .	१०७०
७१५	भारत में विदेशियों के बैंक-खाते .	१०७०
७१६	एशियाई खेल समारोह में भारतीय खिलाड़ी	१०७०–७१
७१७	चोरी से माल लाना . . .	१०७१
७१८	राजकुमारी शिक्षण योजना . .	१०७१–७२
७१९	राजस्थान की शिक्षा संस्थाओं को सहायता	१०७२
७२०	केरल राज्य को सहायता . .	१०७२–७३
७२१	निवेली परियोजना के लिये मशीनें .	१०७३
७२२	लघु सिंचाई परियोजनायें	१०७३
७२३	दिल्ली विश्वविद्यालय	१०७३–७४
७२४	घी में मिलावट की जांच	१०७४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०७४–७५

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :--

(१) संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अन्तर्गत दिल्ली सरकार के १९५४–५५ के वित्त लेखे और १९५५ की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) समवाय अधिनियम १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत इंडियन माइनिंग ऐण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के वर्ष १९५६–५७ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे सहित ।

(दो) सरकार द्वारा प्रतिवेदन की संक्षिप्त समीक्षा ।

(३) दूसरी लोक सभा के चौथे सत्र, १९५८ में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के अनुपूरक विवरण संख्या ५ की एक प्रति

(४) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १६ अगस्त, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६८९ की एक प्रति ।

(५) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत सीमा शुल्क प्रत्याहृत (रेडियो रिसीवर) नियम, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २५ जुलाई, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६३८ की एक प्रति ।

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . १०७५

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन ने वाणिज्यिक नौवहन विधेयक, १९५८ सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया ।

विधेयक पर साक्ष्य—सभा-पटल पर रखा गया . . . १०७५

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गयी ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत १०७५–७६

सत्ताइसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत— . . . . १०७६—११२६

खाद्य स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शुक्रवार, २२ अगस्त, १९५८ के लिये कार्यावलि—

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार और उसे पारित किया जाना और श्री झूलन सिंह के भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार और उसे पारित किया जाना और दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पर विचार ।

———————